



# सतना विकास योजना



संचालनालय


शहर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

# सतना विकास योजना 2001

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

के

प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्यप्रदेश, भोपाल

सतना विकास योजना 2001 (प्रारूप) का प्रकाशन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के प्रावधान अन्तर्गत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29-8-1986 को किया गया। नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को, स्पष्ट करने के लिये, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सतना, जिलाध्यक्ष, जिला सतना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका, सतना के कार्यालयों में दिनांक 30-8-1986 से 30 दिन की कालावधि तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप योजना पर कुल 104 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जनसामान्य, संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, द्वारा की गई।

सभी आपत्तियों/सुझावों पर समुचित विचारोपरांत तदनुसार संशोधित विकास योजना, राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत विकास योजना में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 480/434/32-1/88, दिनांक 10-2-1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 51, दिनांक 11-2-1988) तथा सूचना क्रमांक 2716/3080/32-1/88, दिनांक 8-9-1988 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 335, दिनांक 14-09-1988) द्वारा कतिपय उपांतरण प्रस्तावित कर, जन सामान्य से 30 दिन की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये। उक्त उपांतरणों पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की राज्य शासन ने विधिवत सुनवाई कर अधिनियम की धारा 19(3) में कुल 15 उपांतरणों की पुष्टि करते हुए सतना विकास योजना को अधिसूचना क्रमांक एफ-1(66)32-86, दिनांक 18-04-1991 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 334, दिनांक 25-4-1991) द्वारा अनुमोदित की गई है।

इस प्रकार सतना विकास योजना 2001 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 25 अप्रैल, 1991 से प्रभावशील की गई है।

## प्रस्तावना

सतना नगर विन्ध्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र के रूप में तीव्रगति से उभर रहा है। यह बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह नगर विन्ध्य क्षेत्र के उत्तर-पूर्वीय जिलों अर्थात् रीवा, शहडोल, सीधी, छतरपुर समूह में स्थित है। यह इन जिलों के लिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण केन्द्र है। सतना में चूने की एक बहुत समृद्ध पट्टी जो झुकेही तक फैली हुई है।


क्षेत्रीय महत्ता के बावजूद, सतना अब भी नियोजित विकास से वंचित है। रीवा के महाराजा रघुराजसिंह द्वारा सन् 1863 में, इसकी स्थिति के महत्व को अनुभव करते हुए नगर बसाहट तथा रेलवे लाईन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कर्नल वार के मार्गदर्शन में सन् 1880 में सिविल लाईन्स क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बनाया गया था जो कि उस समय की नियोजन जागरूकता को प्रतिबिम्बित करता है। सन् 1979 में नगर विकास हेतु बहुखण्डीय नगरीय विकास परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया।

मध्यप्रदेश के पुर्नगठन के पश्चात् गत दशकों में सतना नगर की जनसंख्या में विशेष रूप से वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस अवधि में नगर को औद्योगिक नगर का स्वरूप प्राप्त हुआ है। सतना नगर के समन्वित विकास हेतु नगर की विकास योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह योजना इस प्रकार तैयार की गई है जिसके कार्यान्वयन से बदलते हुए सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के अनुरूप नगर का भौतिक विकास नियोजित ढंग से हो सके।

यद्यपि यह नगर मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है फिर भी सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण से इसकी समस्याएं जटिल हैं। नगर के संभावित विकास को दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त समय है कि इसके लिये एक ऐसी विकास योजना बनाई जावे, जिससे नगर विकास को सुनियोजित दिशा मिल सके और नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं नगरीय सुविधायें उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह विकास योजना तैयार कर प्रभावशील की गई है तथा इसमें प्रयास किया गया है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ भावी निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नगर के भावी विकास के लिये यह योजना वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या 2.20 लाख की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है जिसमें भूमि उपयोग एवं विकास के प्रस्तावों के साथ-साथ पर्याप्त नगरीय अधोसंरचना एवं सुविधाओं के प्रस्ताव भी सृजित किये गये हैं ताकि योजनाकाल के उपरांत भी नगरीय गतिविधियां सक्षम एवं सुचारू रूप से कार्यरत् रह सके।

इस विकास योजना के क्रियान्वयन से निःसंदेह नगर का समानुपातिक नियोजित विकास होगा। अतः योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्थाओं के योगदान के साथ-साथ नगरवासियों का भी योगदान अपेक्षित है।



( के. के. सिंह )

संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

# सतना विकास योजना

## योजना दल

### मुख्य नगर निवेशक एवं अपर संचालक

पी. आर. कान्हेरे  
संयुक्त संचालक

ए. बी. लाल  
उप संचालक

एम. डी. नेरकर  
ए. पी. नायक

यू. सी. शाह  
आर. एस. ठक्कर

### सहायक संचालक

जे. एन. सिंह  
एम. डी. बावर

एस. पी. गुप्ता

पी. खिरवड़कर  
पी. पी. भाटिया

### कर्मचारीगण

एम. ई. थामस  
जे. पी. मिश्रा  
एम. बी. सिंह  
सी. एस. सिंह  
एस. रतनम्मा

ए. के. मुकर्जी  
यू. एस. तिवारी  
सी. लिलम्मा  
एस. एच. रिजवी  
आर. बी. श्रवण

### समय-समय पर योजना दल से सम्बद्ध

#### संयुक्त संचालक

एस. यू. नाथ

आर. बी. शर्मा

डी. के. व्यास

#### उप संचालक

डी. के. पांडरीपाण्डे

#### कर्मचारीगण

आर. पी. मिश्रा  
आर. एस. मल्होत्रा  
पी. एस. बाटव  
जी. एच. चौहान  
आर. एस. सैनी  
अमित गजबिये  
राजकुमार

ऊषा सूरी  
डी. के. चतुर्वेदी  
ए. के. मित्रा  
मो. असलम  
बी. डी. सिंह  
एस. श्री रामे  
जयन्तशील

## विषय-सूची

		पृष्ठ
	प्रस्तावना	III
	योजना दल	V
	विषय सूची	VII
	सारणी सूची	X
	चित्र सूची	XII
<b>भाग-एक : समस्याओं का विश्लेषण :</b>		
<b>अध्याय-1</b>	<b>नगर परिचय एवं जनसंख्या वृद्धि</b>	<b>1-14</b>
1.1	स्थिति	1
1.2	निवेश क्षेत्र	1
1.3	भौतिक स्वरूप	3
1.4	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भौतिक विकास	6
1.5	जनसंख्या परिवर्तन	7
1.6	नगर की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा	10
1.7	नगर के प्रमुख कार्यकलाप	14
<b>अध्याय-2</b>	<b>भूमि उपयोग, वाणिज्यिक एवं उद्योग :</b>	<b>15-29</b>
2.1	भूमि उपयोग एवं वर्गीकरण	15
2.2	भौतिक बाधाएं	17
2.3	भूमि उपयोग का वर्तमान ढांचा	17
2.4	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	20
2.5	आवासीय	21
2.6	वाणिज्यिक क्षेत्र	25
2.7	कार्यालय	28
2.8	उद्योग	28
<b>अध्याय-3</b>	<b>नगरीय अधोसंरचना ( सेवा एवं सुविधाएं एवं परिवहन ) :</b>	<b>31-46</b>
3.1	नगरीय सेवाएं	31
3.2	सेवा सुविधाएं	32
3.3	क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	35
3.4	नगरीय परिभ्रमण संरचना	38
3.5	परिवहन के साधन	39
3.6	यातायात सर्वेक्षण एवं समस्याएं	40
3.7	पार्किंग स्थल	46

## भाग-दो : नियोजन प्रस्ताव

<b>अध्याय-4</b>	<b>नगर की भावी आवश्यकताएं :</b>	<b>47-59</b>
	4.1 नगर के मुख्य कार्यकलाप	47
	4.2 योजना काल	47
	4.3 भावी जनसंख्या	47
	4.4 अनुमानित आवास आवश्यकता	51
	4.5 व्यापार तथा वाणिज्य	54
	4.6 कार्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता	55
	4.7 उद्योगों हेतु आवश्यकता	55
	4.8 नगरीय अधोसंरचना	55
<b>अध्याय-5</b>	<b>प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं यातायात संरचना :</b>	<b>61-74</b>
	5.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग	61
	5.2 योजना की अवधारणा	61
	5.3 निवेश इकाईयां	62
	5.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग तथा भूमि आवंटन	64
	5.5 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	69
	5.6 कार्यकलाप अनुसार मार्ग वर्गीकरण	71
	5.7 यातायात अवसान केन्द्र	74
<b>अध्याय-6</b>	<b>प्रमुख कार्य केन्द्र एवं मध्यवर्ती क्षेत्र :</b>	<b>75-85</b>
	6.1 प्रमुख कार्य केन्द्र	75
	6.2 प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	75
	6.3 कार्यालय	77
	6.4 प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	77
	6.5 मध्यवर्ती क्षेत्र एवं संबंधित समस्याएं	78
	6.6 मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु प्रस्ताव के मूल आधार	82
	6.7 मध्यवर्ती क्षेत्र की प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना	83
	6.8 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना (मध्यवर्ती क्षेत्र)	84
<b>अध्याय-7</b>	<b>आवास एवं नगरीय अधोसंरचना :</b>	<b>87-96</b>
	7.1 आवासीय क्षेत्र एवं जनसंख्या तथा क्षेत्र का वितरण	87
	7.2 शासकीय एवं अर्धशासकीय आवास	90
	7.3 औद्योगिक आवास	90
	7.4 गंदीबस्ती तथा झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र	91
	7.5 सेवाएं एवं सुविधाएं	91
	7.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं	94
	7.7 ग्रामीण आबादी का अंतर्गत विकास	96

	पृष्ठ क्रमांक
<b>अध्याय-8</b>	
<b>विकास योजना का कार्यान्वयन एवं प्रभावीकरण :</b>	<b>97-116</b>
8.1 विकास योजना का कार्यान्वयन	97
8.2 प्रथम चरण	99
8.3 स्वीकृति एवं स्वीकार्य योग्य उपयोग	102
8.4 वर्तमान निर्मित क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन एवं विकास पर नियंत्रण	105
8.5 परिक्षेत्रिक एवं विकास नियमन (नये क्षेत्र)	108
8.6 मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन	116
<b>परिशिष्ट</b>	<b>117-126</b>

## सारणी-सूची

क्रमांक	सारणी	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	1
1-सा-2	नगरपालिक निगम क्षेत्र	3
1-सा-3	जनसंख्या में तुलनात्मक परिवर्तन	7
1-सा-4	नगरीकरण	9
1-सा-5	व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन	11
1-सा-6	कृषि उपज मंडी में आई वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य	13
1-सा-7	नगरपालिका के आय एवं व्यय के आंकड़े	14
2-सा-1	भूमि स्रोत	15
2-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग का ढांचा	17
2-सा-3	असंगत भूमि उपयोग	20
2-सा-4	अकार्यक्षम भूमि उपयोग	21
2-सा-5	आवासीय घनत्व (वार्ड अनुसार)	22
2-सा-6	गंदी बस्तियां	24
2-सा-7	मकानों का अभाव	25
2-सा-8	विशिष्ट एवं फुटकर बाजार	26
2-सा-9	दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान	27
2-सा-10	प्रकारानुसार उद्योग इकाईयां	29
3-सा-1	विद्युत खपत	32
3-सा-2	वर्तमान सेवाएं एवं सुविधाएं	34
3-सा-3	क्षेत्रीय यातायात (बसें)	36
3-सा-4	क्षेत्रीय यातायात (माल)	37
3-सा-5	सीधा यातायात	38
3-सा-6	तीव्र गति वाहनों का विकास	40
3-सा-7	यातायात घनत्व एवं मार्गों की क्षमता	42
3-सा-8	समय दूरी अध्ययन	43
3-सा-9	यातायात दुर्घटनाएं	45
4-सा-1	जनसंख्या अनुमान	48
4-सा-2	आयु एवं स्त्री-पुरुष अनुसार अनुमानित जनसंख्या 2001	50
4-सा-3	अनुमानित व्यावसायिक संरचना	51
4-सा-4	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता	52
4-सा-5	व्यापार एवं वाणिज्यिक हेतु भूमि की आवश्यकता	54
4-सा-6	तीव्र गति वाले वाहनों की अनुमानित संख्या	56
4-सा-7	सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रतिमान	58
5-सा-1	निवेश इकाईवार प्रस्तावित क्षेत्र	64
5-सा-2	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि का आवंटन (2001) पुनर्स्थापना	65
5-सा-3	भूमि उपयोग वितरण (निवेश इकाई अनुसार)	67
5-सा-4	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	68
5-सा-5	अभिशंसित मार्ग चौड़ाई	73
6-सा-1	प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मध्य क्षेत्र)	85
7-सा-1	जनसंख्या एवं आवासीय क्षेत्र का वितरण	88
7-सा-2	आवासीय घनता (परिक्षेत्रानुसार)	89

सारणी क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
8-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत	98
8-सा-2	योजना कार्यान्वयन के प्रथम चरण की लागत	99
8-सा-3	प्रथम चरण में अपेक्षित आय का विवरण	101
8-सा-4	प्रथम चरण विकास कार्यक्रम धन प्रवाह	101
8-सा-5	स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	102
8-सा-6	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	105
8-सा-7	आवासीय क्षेत्र हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात	106
8-सा-8	आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात	108
8-सा-9	आवासीय उपयोग हेतु भू-खण्ड का आकार निर्मित क्षेत्र एवं सीमान्त खुला स्थान	109
8-सा-10	सुख सुविधाओं हेतु मापदण्ड	111
8-सा-11	समूह आवास हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं निर्मित क्षेत्र	112
8-सा-12	वाणिज्यिक विकास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात	113
8-सा-13	औद्योगिक विकास हेतु स्वीकार्य, निर्मित क्षेत्र एवं सीमान्त खुले स्थान	114
8-सा-14	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता, निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (प्रस्तावित क्षेत्र)	115

## चित्र-सूची

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	निवेश क्षेत्र	2(अ)
1.2	बसाहट	2(अ)
1.3	प्राकृतिक जल निकास	4
1.4	वायु दिशा	5
1.5	विकास क्रम	6(अ)
1.6	जनसंख्या परिवर्तन	8
1.7	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी	9
1.8	आर्थिक क्षेत्र अनुसार श्रमिक	12
2.1	भूमि स्रोत	16
2.2	वर्तमान भूमि उपयोग	18(अ)
2.3	भूमि उपयोग दर	19
2.4	आवासीय घनत्व	22(अ)
2.5	प्रमुख कार्य केन्द्र	26(अ)
3.1	सुविधाएं	33(अ)
3.2	क्षेत्रीय यातायात (बस एवं ट्रक)	37
3.3	यातायात संरचना	39(अ)
3.4	यातायात आयतन	41(अ)
3.5	यातायात समस्याएं	45(अ)
4.1	भावी जनसंख्या अनुमान	49
4.2	अनुमानित व्यवसायिक संरचना	51
4.3	अनुमानित आवास आवश्यकता	53
5.1	योजना अवधारणा	62
5.2	भूमि आवंटन	65
5.3	विकास योजना-2001	65(अ)
5.4	निवेश इकाई	67(अ)
5.4-ए	परिभ्रमण अवधारणा	70
5.5	प्रस्तावित यातायात संरचना	71(अ)
5.6	मार्गों का तिर्यक छेदन	73(अ)
6.1	प्रस्तावित प्रमुख कार्यकेन्द्र	76(अ)
6.2	वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र	76
6.3	मध्य क्षेत्र सीमा	79
6.4	वर्तमान भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)	83(अ)
6.5	प्रस्तावित भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)	83(ब)
7.1	जनसंख्या एवं क्षेत्रफल	90
8.1	प्रथम चरण कार्य	100(अ)

---

भाग-एक

समस्याओं का विश्लेषण

---

## नगर परिचय एवं जनसंख्या वृद्धि

### 1.1 स्थिति :

सतना नगर, जिले का मुख्यालय है तथा रीवा संभागीय मुख्यालय से 52 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। सतना नगर बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह नगर विन्ध्य क्षेत्र का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है। यह समुद्र सतह से 317 मीटर ऊंचाई पर, 24°-25' उत्तरी अक्षांश एवं 80°-15' पूर्वी देशान्तर रेखा पर स्थित है। कलकत्ता-बम्बई नगरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7, जिसको ग्रेट डेकेन रोड के नाम से भी जाना जाता है, सतना से 39 कि. मी. की दूरी से गुजरता है। एक अन्य क्षेत्रीय मार्ग, नगर से गुजरकर पन्ना जिला मुख्यालय को रीवा से जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित बम्बई तथा उत्तर-पूर्व में स्थित हावड़ा नगरों को जोड़ने वाली मध्य ब्राड गेज रेलवे मार्ग पर यह नगर स्थित है। नगर में एक हवाई पट्टी भी उपलब्ध है।

### 1.2 निवेश क्षेत्र :

तेजी से बढ़ने वाले इस नगर के आसपास हो रहे अव्यवस्थित विकास को रोकने हेतु इसका सुव्यवस्थित विकास आवश्यक है। अतः इस नगर के आसपास स्थित 33 गांव, निवेश क्षेत्र में समाविष्ट किये गये हैं। वर्तमान नगरपालिक निगम क्षेत्र को मिलाकर लगभग 112 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र निवेश क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्नानुसार 3 क्षेत्रों को निवेश क्षेत्र में समाविष्ट किया गया है:—

- (अ) नगरपालिक निगम क्षेत्र.
- (ब) रेलवे कालोनी, जो नगरपालिक निगम क्षेत्र एवं ग्राम घूरडांग को मिलाकर नगरीय समूह का एक हिस्सा बनाता है.
- (स) ग्रामीण बस्तियों से बनने वाला शेष निवेश क्षेत्र.

राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. 904/एफ-1-31/तैंतीस/74, दिनांक 18-3-1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 6567/32, भोपाल, दिनांक 16-10-81 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 13(1) के अंतर्गत 'सतना निवेश क्षेत्र' गठित किया गया।

निम्न सारणी में निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दर्शाया गया है:—

### सतना : निवेश क्षेत्र


.1-सा-1

अ.क्र.	ग्रामों के नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जनसंख्या 1971
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) ग्राम			
1.	कृपालपुर	1211.9	2522
2.	नीबी वृत्त (निमि)	165.9	87

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	बदखर (भाग)	409.3	542
4.	नैना	393.6	2889
5.	वेलावृत	295.3	347
6.	बठिया कलां	427.2	3373
7.	बठिया खुर्द	244.3	382
8.	घूरडांग (भाग)	240.2	1395
9.	बमुरहा	152.9	132
10.	कैमा कोठार	240.9	790
11.	कैमा उन्मूलन	145.6	243
12.	मटेहना	28.4	89
13.	बरदाडीह (भाग)	120.5	602
14.	शुक्ला	200.9	345
15.	बगहा	657.2	1456
16.	हदबदपुर	58.6	65
17.	करहीहरमल्ला	155.2	73
18.	उमरी	121.4	509
19.	अमौधाकलॉ	562.3	1176
20.	गिदुरी	126.8	33
21.	चकबन्दी	68.5	20
22.	अमौधा	25.0	37
23.	महदेवा	279.2	669
24.	बघेड़ी	109.7	निर्जन
25.	सोनवर्षा	219.3	275
26.	सेजहटा	352.5	553
27.	बेलहटा	461.5	935
28.	डिलौरा (भाग)	785.0	853
29.	सोनौरा	309.4	187
30.	सोनौरा चकउतैली	241.0	113
31.	कटिया	106.8	235
32.	खैरा	91.5	93
33.	बैरिहा	69.0	167
योग (अ) . .		9094.8	21187
(ब)	सतना नगरपालिक निगम क्षेत्र (रेलवे क्षेत्र सहित)	2109.0	60767
कुल निवेश क्षेत्र (अ+ब)		11203.8	81954

स्रोत : भारत की जनगणना, 1971





### 1.21 नगरपालिक निगम सीमा :

रीवा रियासत के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 31 मई, 1921 द्वारा सतना नगर हेतु नगरपालिका गठित की गई, लेकिन नगर को नगरीय स्वरूप, देश की आजादी के पश्चात् ही मिलना शुरू हुआ। सन् 1951-61 के दशक में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के कारण शासन द्वारा नगरपालिका की सीमाओं में आदेश क्रमांक 179-अठारह-दो, दिनांक 30 जून, 1964 द्वारा वृद्धि की गई तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 दिनांक 24 जुलाई 1964 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में 2109 हेक्टेयर का क्षेत्र नगरपालिक निगम सीमा में शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

#### सतना : नगरपालिक निगम क्षेत्र

1-सा-2

अ.क्र.	क्षेत्र/ग्राम का नाम	1964 की अधि- सूचना के पूर्व का क्षेत्र (एकड़ में)	1964 के बाद अधिसूचित क्षेत्र (एकड़ में)	कुल नगरपालिक निगम क्षेत्र	
				एकड़ में	हेक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रघुराजनगर	287.40	719.28	1006.68	407.4
2.	धावरी	14.12	964.59	978.71	396.1
3.	इटौरा	25.98	61.18	87.16	35.3
4.	बम्हनगवां	10.83	97.08	107.91	43.7
5.	कोलगवां	-	1478.51	1478.51	598.3
6.	खूंथी	-	267.75	267.75	108.3
7.	बरदाडीह (भाग)	-	125.43	125.43	50.8
8.	डिलौरा (भाग)	-	534.52	534.52	216.3
9.	घूरडांग (भाग)	-	555.15	555.15	224.7
10.	बदखर (भाग)	-	69.51	69.51	28.1
योग		338.33	4873.00	5211.33	2109.0

स्रोत : नगरपालिक निगम, सतना

### 1.22 विकसित क्षेत्र :


निवेश क्षेत्र में स्थित नगरीय उपयोग में आने वाला क्षेत्र चाहे वह नगर सीमा से लगा हुआ हो या भागों में विभक्त हो, विकसित क्षेत्र माना गया है। कृषि भूमि, जलाशयों एवं अन्य रिक्त भूमि को विकसित क्षेत्र में नहीं गिना जाता है। विकसित क्षेत्र का प्रसार जानना इसलिये महत्वपूर्ण है, ताकि नगर के विभिन्न भागों में आवासीय घनता तथा भूमि के उपयोग की प्रचुरता का सापेक्ष अध्ययन किया जा सके। नगर में कुल 511.8 हेक्टेयर का विकसित क्षेत्र पाया गया है।

### 1.3 भौतिक स्वरूप :

सतना, नदी के किनारे स्थित होकर यह नगर पन्ना के पठार के नीचे स्थित टमस नदी के मैदान में दक्षिणी ढाल पर स्थित है। नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा नगर के दक्षिण में स्थित सतना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है। पश्चिम की ओर स्थित रेल लाईन के कारण नगर का विकास कुछ सीमा तक रुका है। यह कहा जा सकता है कि पश्चिम में स्थित रेल लाईन के कारण ही पूर्व में विकास हुआ है।

### 1.31 प्राकृतिक जल निकास :

नगर का ढाल सामान्यतः दक्षिण की ओर है। वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्राकृतिक ढाल उत्तर से पूर्व और दक्षिण-पूर्व की ओर है। कुछ हिस्सों में ढाल पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की ओर भी है। मध्य रेखा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है। रीवा मार्ग के उत्तर से एक बड़ा नाला प्रारंभ होकर जगतदेव तालाब के निकट से होता हुआ नगर के मध्य क्षेत्र से बहता हुआ सतना नदी में मिलता है। नगरपालिक निगम की दक्षिण सीमा सतना नदी तक है। यह नदी विकसित क्षेत्रों के बहुत समीप है। प्रमुख नाले से नगर का पानी बहता रहता है। दक्षिण-पूर्व में दो अन्य नाले टिकुरिया टोला क्षेत्र को घेरकर इस प्रमुख नाले से मिलते हैं। पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला नाला भी सतना नदी में मिलता है। बरसात के पानी के साथ-साथ अन्य मौसम में भी कच्ची-पक्की नालियों व सड़कों का पानी सड़कों के किनारों से उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले प्रमुख नाले से मिलता है। इस प्रमुख नाले से घरेलू तथा अन्य उद्योगों द्वारा निष्कासित पानी आ मिलने से कभी-कभी वर्षाकाल में बाढ़ से नगर के निचले क्षेत्रों की बस्तियां भी प्रभावित होती हैं। नगर में बरसात के पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने से तथा भूमिगत नालियां न होने से वर्षा का पानी तथा अन्य गंदा पानी खुली नालियों से बहने से अस्वास्थ्यकारक स्थिति बनी रहती है। मुख्य नाले का संबंध जगतदेव तालाब से होने से तथा लोगों द्वारा इस तालाब का नहाने हेतु उपयोग करने से इस नाले को पक्का बनाना जरूरी है, ताकि नगर के पर्यावरण में सुधार आ सके। जगतदेव तालाब का उचित प्रकार से भू-दृश्यीकरण होने पर नगर के मध्य भाग में एक अच्छा मनोरंजन केन्द्र निर्मित हो सकेगा।




सतना निवेश क्षेत्र, सतना एवं टमस नदियों से घिरा हुआ एक त्रिकोण आकृति बनाता है। क्षेत्रीय परिवेश में सतना नदी पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती हुई टमस नदी से मिलती है, जो आगे पूर्व दिशा में माधवगढ़ से गुजरती हुई अंततः जमुना नदी में मिलती है।

### 1.32 जलवायु :

सतना नगर की जलवायु शुष्क है. ग्रीष्मकाल में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है. मई में दिन का तापमान  $41^{\circ}$  सेंटीग्रेड तथा रात में  $26^{\circ}$  सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान  $47^{\circ}$  सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. शीतकाल में तापमान  $26^{\circ}$  सेंटीग्रेड डिग्री के आसपास होता है तथा शीतकाल में रात का न्यूनतम तापमान  $3^{\circ}$  सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. वर्षाकाल जून से मध्य अक्टूबर तक रहता है. औसतन वर्षा लगभग 1100 मि. मी. होती है.

### 1.33 वायु दिशा :

मार्च से सितम्बर तक तेजी से पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं बहती हैं. अक्टूबर से फरवरी तक हवाएं दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ सुबह की बेला में एवं पूर्व से उत्तर की ओर शाम के समय बहती हैं. वर्षाकाल में हवा की गति लगभग 40 से 50 कि. मी. प्रति घण्टा होती है.



हवा की दिशा ग्रीष्मकाल एवं वर्षाकाल में प्रमुखतः पश्चिम की ओर से रहती है, जबकि शीतकाल में हवा की दिशा मूलतः दक्षिण से उत्तर-पूर्व और पूर्व की ओर होती है.

#### 1.4 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भौतिक विकास :

सतना नगर का बसाव बरदाडीह स्थान से प्रारंभ होता है, जो नगर के उत्तर में लगभग तीन कि. मी. पर स्थित है। यह बस्ती पूर्वकाल में बरदाडीह बाजार के नाम से जानी जाती थी। बाद में सन् 1863 में रीवा के महाराजा श्री रघुराज सिंह द्वारा यह भूमि रेलवे टाउनशिप हेतु अर्जित की जाने पर इसको रघुराजनगर नाम से संबोधित किया जाता रहा। सन् 1865 में वर्तमान रेलवे स्टेशन बनने के पश्चात् सतना नदी बहने के कारण सतना नाम से संबोधित किया गया। 19वीं सदी के अंत में यहां स्थापित सतना स्टोन लाइम कम्पनी के कारण भी सतना नाम को जनप्रिय होने में मदद मिली। एक किंवदन्ती यह भी प्रचलित है कि वर्तमान आबादी से 15 कि. मी. दूरी पर सतना नदी के किनारे सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम होने के कारण भी इस नगर को सतना नाम से संबोधित किया जाने लगा।

#### सन् 1900 तक:—

सन् 1900 ईसवी तक भौतिक विकास का प्रश्न है, महाराजा रीवा द्वारा धवारी नाम की बस्ती ब्राम्हणों को आवंटित की गई थी। यह बस्ती 1735 से अभी तक नगर के एक हिस्से के रूप में ज्ञात है। नगर का एक अन्य सबसे पुरातन क्षेत्र डाली बाबा है, जो पहले इटौरा नाम से जाना जाता था। जगतदेव तालाब भी सन् 1868 में अकाल पीड़ित शरणार्थियों को सहायतार्थ खोले गये राहत कार्यों के रूप में बनाया गया था। वास्तव में इस नगर का विकास सन् 1867-68 के आसपास रेल लाईन निर्मित होने के पश्चात् ही शुरू हुआ। शुरूआत में छोटे दुकानदार, ग्वाले, कुम्हार एवं अन्य मजदूर यहां आ बसे। बाद में महाराजा रघुराज सिंह के विशेष प्रयत्नों से बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कच्छ एवं गुजरात से भी लोग आ बसे। इस प्रकार इस क्षेत्र में रीवा रियासत सहित क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने से यह नगर अनाज, तिलहन, कपड़ा एवं किराना का बड़ा व्यापार केन्द्र बन गया।


सन् 1873 में रीवा नगर से 39 कि. मी. की दूर बेला बस्ती को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से जुड़ जाने से परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निर्मित हुई। नगर में सन् 1875 में पोस्ट आफिस की स्थापना हुई तथा सन् 1876 में मुख्तियारगंज मन्दिर निर्मित हुआ, जो अभी भी विद्यमान है। सन् 1877 में नगर में हाई स्कूल स्थापित हुआ तथा सन् 1878 में एक जैन मन्दिर का निर्माण हुआ। नगर में 1883 में टेलीग्राफ आफिस निर्मित होने से संचार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई। सन् 1887 में न्यायालय एवं अस्पताल स्थापित हुये। सन् 1888 में रेलवे क्षेत्र में प्रोटेस्टेन्ट चर्च की स्थापना हुई। सन् 1893 में सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी की स्थापना होने से नगर का वाणिज्य आधार अधिक मजबूत हुआ। वर्तमान में नया तालाब का निर्माण सन् 1897 में हुआ। सन् 1896 में नगर में आंखों का चिकित्सालय स्थापित हुआ सन् 1897 में नगर में पंचायत एवं न्यायालय की स्थापना हुई।

#### सन् 1900 से 1950 तक :


इस शताब्दी के प्रारंभ में सतना को नगर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। शतक पूर्वार्द्ध में नगर का विकास स्टेशन के आसपास तक ही सीमित था। सन् 1909 में कन्या विद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1913 में पोस्ट आफिस भवन निर्मित हुआ। सन् 1915 में प्रथम आइल मिल की स्थापना होने से यहां कृषि उपज पर आधारित उद्योगों हेतु वातावरण निर्मित हुआ। सन् 1920 में सतना रीवा नगरों के बीच बस सेवा शुरू होने से नगर विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हुई। सन् 1921 में नगरपालिका की स्थापना हुई। सन् 1924 में सतना और पन्ना के बीच बस सेवा शुरू हुई। सन् 1925 में कोतवाली भवन का निर्माण हुआ। सन् 1954 में नगर की सड़कों पर प्रथम मोटर कार दौड़ी। नगर में हाई स्कूल पूर्व में स्थापित हो चुका था, किन्तु स्कूल के लिये भवन सन् 1927 में बनकर पूर्ण हुआ। बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण सन् 1933 में बैंक आफ बघेलखण्ड स्थापित हुई। नगर में सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था सन् 1934 में हुई। सन् 1941 में नगर में "मार्तण्ड टाकीज" प्रथम सिनेमा गृह निर्मित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नगर के समीप हवाई पट्टी का निर्माण होकर सेना के उपयोग हेतु युद्धबंदियों को लाने हेतु किया जाता रहा। सन् 1948 में नगर सतना जिले का मुख्यालय बनने से यहां सिविल लाईन्स में बहुत से कार्यालय स्थापित हुये।

# सतना


## 1-5 विकास क्रम




1825 TO 1859



1860 TO 1971



1971 TO 1980



1981 TO 1990



## 1950 से 1980 तक :

सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय विन्ध्य प्रदेश का नवीन मध्यप्रदेश में विलीनीकरण होने के पश्चात् यह नगर बघेलखण्ड क्षेत्र के लिये प्रवेश द्वार बन गया। पिछले तीस वर्षों से इस नगर को विविध गतिविधियों का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। सन् 1958 से नगर में नलों द्वारा जल प्रदाय शुरू हुआ। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, नगर में सन् 1959 में सीमेन्ट कारखाने की तथा सन् 1964 केबल फैक्ट्री की स्थापना हुई। नगर की दिनों-दिन बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुये नगर को सन् 1966 में अमरकंटक ग्रीड से जोड़ा गया। यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु सन् 1970 में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ।

### नियोजन के पूर्व प्रयास :

कहा जाता है कि सन् 1880 में कर्नल बार के मार्गदर्शन में नगर हेतु एक मास्टर प्लान बनाया गया था। इस मास्टर प्लान के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सिविल लाईन क्षेत्र को सामान्यतया मास्टर प्लान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि किसी समय सतना नगर, उद्यानों के नगर के रूप में मशहूर था तथा कंपनी बाग उस समय का सबसे बड़ा उद्यान था लेकिन इस बात की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

### 1.5 जनसंख्या परिवर्तन :

सन् 1971 की जनगणना अनुसार सतना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 81954 थी, जिसमें से 62162 जनसंख्या नगर समूह में वास करते पाये गये। सन् 1981 की जनगणना अनुसार उसी नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 96399 पाई गई। बाकी जनसंख्या निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों में स्थित है। यह नगर सतना जिले का सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर है। नगर की जनसंख्या में विशेष रूप से पिछले तीन दशकों में वृद्धि देखी गई है। सन् 1948 में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् सन् 1951-61 का दशक नगर की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण है। इसी अवधि में नगर के औद्योगिक विकास हेतु नियोजित प्रयास किये गये। सन् 1961-71 एवं 1971-81 के दो दशकों में नगर की जनसंख्या में क्रमशः प्रतिवर्ष 6.3% एवं 5.5% की वृद्धि पाई गई जबकि इसी आकार के अन्य नगरों में जनसंख्या वृद्धि का औसतन दर 2 से 4% प्रतिवर्ष पाया गया। स्पष्ट है कि इस नगर की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है।

अध्ययन क्षेत्र में स्थित जिला मुख्यालयों के नगरों तथा उसी आकार के अन्य नगरों की जनसंख्या में परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया गया है। इस संबंध में आंकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत है:—


### सतना : जनसंख्या में तुलनात्मक परिवर्तन

1-सा-3

(प्रतिशत दशक परिवर्तन)

वर्ष	सतना की जनसंख्या	अध्ययन क्षेत्र				अन्य नगर	
		सतना	रीवा	शहडोल	पन्ना	दमोह	मन्दसौर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1901	7471	-	-	-	-	-	-
1911	7192	3.73	6.66	-	(-)5.20	27.61	(-)19.83
1921	7998	11.21	(-)20.08	-	(-)6.04	(-)10.25	(-)3.38
1931	11276	39.83	(-)20.16	-	7.00	35.51	(-)5.12
1941	11575	3.57	3.18	-	22.56	29.27	42.81
1951	20183	74.37	13.90	83.53	(-)8.46	37.95	57.20
1961	38046	88.51	45.38	79.09	36.70	26.22	21.24
1971	62162	63.39	60.65	45.23	45.59	28.55	36.09
1981	96399	55.08	45.30	53.88	38.15	27.85	31.01

स्त्रोत : भारत की जनगणना, 1971




यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सन् 1931-71 की कालावधि के पिछले 50 सालों में नगर की जनसंख्या में लगभग 96 गुना वृद्धि देखी गई। तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर यह विशेषता है कि सन् 1911 से 21 की कालावधि में जबकि अन्य नगरों की जनसंख्या घट रही थी, तब केवल यही एक नगर था जिसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तथापि 1931-41 में सतना एवं रीवा नगरों की जनसंख्या में साधारण वृद्धि पाई गई। तब दमोह एवं मन्दसौर नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई गई। रीवा नगर संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद सतना की जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक पाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि नगर के आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। जहां तक शहडोल नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है इस नगर की जनसंख्या में भी पिछले तीन दशकों में समानान्तर वृद्धि पाई गई।

#### 1.51 प्रवृजन :

प्रवृजन के कारण नगर की जनसंख्या में बहुत वृद्धि पाई गई। क्षेत्र में कई लोग प्रवृजन के कारण आकर बसे हैं। इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि जनसंख्या में सामान्य वृद्धि और वास्तविक वृद्धि के अन्तर से यह दिखाई देता है कि पिछले दशक में इस क्षेत्र में लगभग 50% तक वृद्धि प्रवृजन के कारण हुई है। इस क्षेत्र की ओर प्रवृजन के स्रोत सम्बन्धी प्रमाण बहुत सीमित रूप से उपलब्ध हैं। यह देखा गया है कि इस नगर की ओर प्रवृजन समीप स्थित रीवा, जबलपुर एवं शहडोल जिले से हुआ है। इसके अलावा सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से भी नगर की ओर प्रवृजन हुआ।

# SATNA

## 1-7 VITAL STATISTICS.



### 1.52 अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण :

विकास योजना हेतु अध्ययन क्षेत्र सतना, रीवा, पन्ना एवं शहडोल जिलों तक सीमित रखा गया है। सन् 1931 से नगरीय जनसंख्या, नगर केन्द्रों की संख्या आदि से नगरीकरण का चित्र निर्मित होता है। सन् 1971 की जनगणना अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल 35.5 लाख जनसंख्या में से 2.99 लाख लोग नगरीय क्षेत्र में वास करते थे। अध्ययन क्षेत्र में नगरीय अंश की मात्रा 8.4% पाई गई है जो पूरे राज्य के औसत (16.2%) से बहुत कम है, तथापि अध्ययन क्षेत्र में जिस गति से नगरीकरण हो रहा है, वह गति संतोषप्रद मानी जा सकती है। नगरीकरण की गति अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ तीव्र होने की आशा है तथा क्षेत्र में सतना की लाभप्रद स्थिति होने से इस प्रक्रिया में नगर को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

### सतना : नगरीकरण

1-सा-4

राज्य/अध्ययन क्षेत्र जिला	(जनसंख्या लाखों में)				
	वर्ष				
	1971	1961	1951	1941	1931
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### मध्यप्रदेश :

1. नगरीय जनसंख्या	67.85	46.27	31.33	23.53	17.72
2. नगरीय अंश (%)	16.2	14.3	12.0	9.8	8.3
3. नगरीय वृद्धि (%)	46.63	47.70	33.16	32.78	23.03
4. नगरीय केन्द्र	232	210	203	178	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>अध्ययन क्षेत्र :</b>					
1. नगरीय जनसंख्या	2.99	1.81	1.24	0.89	0.65
2. नगरीय अंश वृद्धि (%)	8.4	6.9	5.9	4.5	44.04
3. नगरीय वृद्धि (%)	65.26	45.65	40.5	36.12	6.86
4. नगर केन्द्र	16	10	13	9	8
<b>सतना :</b>					
1. नगरीय जनसंख्या	0.95	0.63	0.41	0.31	0.37
2. नगरीय अंश (%)	0.4	9.1	7.3	5.8	8.1
3. नगरीय वृद्धि (%)	49.20	56.05	32.26	(-)17.73	65.96
4. नगरीय केन्द्र	4	4	4	4	4
<b>पन्ना :</b>					
1. नगरीय जनसंख्या	0.30	0.17	0.16	0.18	0.15
2. नगरीय अंश (%)	7.1	5.0	6.1	7.3	7.1
3. नगरीय वृद्धि (%)	82.00	5.90	(-)12.78	19.28	50.33
4. नगरीय केन्द्र	2	1	2	2	2
<b>रीवा :</b>					
1. नगरीय जनसंख्या	0.69	0.43	0.30	0.26	0.25
2. नगरीय अंश (%)	7.1	5.6	4.7	4.4	4.9
3. नगरीय वृद्धि (%)	60.65	45.38	13.90	3.18	20.16
4. नगरीय केन्द्र	1	1	1	1	1
<b>शहडोल :</b>					
1. नगरीय जनसंख्या	1.05	0.58	0.38	0.14	0.08
2. नगरीय अंश (%)	10.2	7.0	5.9	2.3	1.5
3. नगरीय वृद्धि (%)	81.50	51.23	180.95	78.56	46.25
4. नगरीय केन्द्र	9	4	6	2	1

स्रोत : भारत की जनगणना प्रतिवेदन से संकलित.

#### 1.6 नगर की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा :

नगर के सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन से नगर के कार्यकलाप एवं प्रकृति को जानने में मदद मिलती है. सतना नगर के आर्थिक अध्ययन से यह विदित होता है कि यह एक विभिन्न गतिविधियों वाला नगर है तथा इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रधानता है. नगर के अनुकूल स्थान पर स्थित होने से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं. समीपस्थ जिलों के संदर्भ में सतना एक तरफ यह नगर उपभोक्ता सामान का वितरण केन्द्र तथा दूसरी तरफ निर्मित होने वाला कृषि एवं अन्य माल बाहर भेजने हेतु प्रमुख केन्द्र है. सतना से झुकेही तक चूने के पत्थर की पट्टी स्थित होने से यहां सीमेन्ट एवं सिरेमिक उद्योग स्थापित हो चुके हैं.

### 1.61 व्यावसायिक संरचना :

(अ) सहभागिता दर.—सन् 1971 की जनगणना अनुसार सतना नगर समूह में 19,044 कार्यशील लोग थे, जिनमें 17,530 पुरुष हैं. सहभागिता दर से इस बात का पता चलता है कि लाभप्रद परिस्थितियों में कितने लोग रोजगार पा रहे हैं तथा कितने लोग आश्रित हैं. सतना नगर हेतु सहभागिता दर 30.6% पाई गई है, जो सम्पूर्ण प्रदेश के औसतन 28.1% प्रतिशत की दर से तथा रीवा एवं दमोह सहित द्वितीय श्रेणी के नगरों में उपलब्ध दर से अधिक है.

(ब) व्यावसायिक ढांचा.—व्यावसायिक वर्गीकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से नगर में स्थित कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है. निम्न सारणी में व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत हैं.

#### सतना : व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन


1-सा-5

प्रकार	कार्यशील व्यक्ति		1000 श्रमिकों का विभाजन		प्रति 1000 जनसंख्या में श्रमिक	
	1961	1971	1961	1971	1961	1971
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>प्राथमिक क्षेत्र :</b>						
1. कृषक	378	482	25	25	10	7
2. कृषि श्रमिक	257	793	17	42	7	13
3. खदान उत्खनन	325	142	22	8	8	2
योग . .	960	1417	64	75	25	22
<b>द्वितीयक क्षेत्र :</b>						
4. गृह उद्योग	1365	1096	91	57	36	17
5. उत्पादन	2514	3842	166	202	66	62
6. निर्माण	1062	308	71	16	38	5
योग . .	4941	5246	328	275	130	84
<b>तृतीयक क्षेत्र :</b>						
7. व्यापार एवं वाणिज्य	2979	3788	198	199	78	61
8. यातायात संग्रहण एवं संचारण	2440	2664	262	140	64	43
9. सेवाएं	3738	5929	248	311	98	96
योग . .	9157	12381	608	650	240	200
कुल योग . .	15058	19044	1000	1000	395	306

स्त्रोत : भारत की जनगणना, 1971

सन् 1971 की जनगणना अनुसार अर्थ व्यवस्था में कार्यशील व्यक्तियों का तीनों क्षेत्रों में प्रतिशत क्रमशः 7.5%, 27.5% एवं 65% था. औद्योगिक क्षेत्र में तथा व्यापार एवं वाणिज्य एवं सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत कार्यशील व्यक्तियों से नगर की अर्थ व्यवस्था का पता लगता है.

व्यावसायिक ढांचे से नगर का कार्यकलापों का स्वरूप भी स्पष्ट होता है. व्यवसायिक ढांचे में सेवाओं, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आदि नगर के प्रमुख कार्यकलाप हैं. श्रमिक शब्द की परिभाषा में परिवर्तन आने के कारण मौटे तौर पर सहभागिता दर में कमी आने के बावजूद नगर में श्रमिकों की संख्या उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार में बढ़ती जा रही है. पिछली जनगणना की तुलना में नगर में भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों की संख्या घटी है.



द्वितीय श्रेणी के 11 नगरों के व्यावसायिक ढांचे का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि तृतीयक क्षेत्र में सतना नगर चौथे स्थान पर है. (पिछले तीन क्रमशः महू, छिन्दवाड़ा एवं खण्डवा है) द्वितीयक क्षेत्र में यह नगर तीसरे स्थान पर है. (प्रथम दो क्रमशः राजनांदगांव एवं देवास है) प्राथमिक क्षेत्र में यह नगर दसवें स्थान पर है. (सबसे आखिरी महू है) प्राथमिक क्षेत्र यदि छोड़ दिया जाये तो सतना नगर का क्रमांक दो है. तथापि सतना की अर्थ व्यवस्था महू की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि महू केवल सेवा सुविधाओं का नगर है.

### 1.62 नगर के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन की संभावनाएं :

रीवा संभाग के आर्थिक ढांचे में बाणसागर बांध परियोजना पूर्ण होने पर अधिक सिंचाई एवं बिजली उपलब्ध होने के कारण सुधार होने की संभावनाएं हैं. बाणसागर से प्रभावित अधिकतर विस्थापितों को सतना जिले में ही बसाना प्रस्तावित है. इस विकास के साथ क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था में भी सुधार आने की संभावना है. अतः क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में सतना एक प्रमुख केन्द्र निर्मित होने की संभावना है. सतना, खजुराहो, छतरपुर एवं ललितपुर आदि नगरों को रीवा से रेल द्वारा जोड़ने की प्रस्तावित योजना कार्यान्वित होने के पश्चात् आगामी 15-20 साल में नगर के आर्थिक ढांचे में भी बहुत उन्नति होने की संभावना है. दिल्ली के बीच कुतुब एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी शुरू हो जाने के कारण यहां स्थित व्यापार एवं व्यवसाय को और अधिक गति मिली है.

### 1.63. कृषि उपज का थोक व्यापार :

कृषि उपज में थोक व्यापार नगर की प्रमुख गतिविधि है. कृषि के उत्पादन हेतु सतना प्रमुख वितरण केन्द्र है. कृषि उपज की खरीद बिक्री के संबंध में विश्वसनीय जानकारी कृषि उपज मंडी से प्राप्त होती है. निम्नलिखित सारणी में विक्रय हेतु लाई गई वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य दर्शाया गया है.

#### सतना : कृषि उपज मण्डी में लाई गई वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य

1-सा-6

क्रमांक	वस्तु का नाम	मात्रा टनों में			मूल्य (लाख रु. में)		
		1976-77	1977-78	1978-79	1976-77	1977-78	1978-79
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गेहूं	1672	2204	1772	21.0	29.0	22.0
2.	चना	6231	6631	2390	118.0	132.0	42.0
3.	चावल	34	06	-	68.0	-	-
4.	मसूर	1198	1904	535	32.7	59.0	7.2
5.	ज्वार	2702	1473	1026	2.7	1.2	0.9
6.	अलसी	2188	3068	1038	86.0	92.0	28.0
7.	तिल	120	3337	611	4.3	103.0	19.0
8.	सरसों	729	1475	898	3.0	51.0	28.2

स्रोत : कृषि उपज मण्डी, सतना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि तिलहन, चना एवं मसूर आदि बड़ी मात्रा में मण्डी में आती है. इस प्रकार खाद्य एवं वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें अच्छी मात्रा में मण्डी में आती है. सन् 1976-77 की तुलना में 1977-78 में कृषि मण्डी में अधिक मात्रा में कृषि उपज बिक्री हेतु आई थी, जबकि 1978-79 में आवक कुछ कम हुई. यह कमी कुछ हद तक अपूर्ण जानकारी के कारण भी हो सकती है.

### 1.64. नगर पालिका की आर्थिक स्थिति :

नगर पालिका के आय और व्यय के आंकड़ों से भी नगर की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है. रीवा रियासत में (सन् 1921 में) नगर पालिका स्थापित हुई, इस प्रकार पिछले 6 दशकों से नगर में यह संस्था कार्यरत है. निम्नलिखित

सारणी में सतना नगर पालिका के पिछले वर्षों के आय एवं व्यय के आंकड़े प्रस्तुत हैं.

**सतना : नगर पालिका के आय एवं व्यय के आंकड़े**

(रुपये लाखों में)

1-सा-7

वर्ष	कुल आय	प्रति व्यक्ति आय	कुल व्यय	प्रति व्यक्ति व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1970-71	4.10	7	5.45	9
1971-72	7.64	12	5.50	9
1972-73	11.64	18	9.1	14
1973-74	9.65	1	11.03	14
1974-75	8.56	63	23.93	16
1975-76	45.44	55	51.87	32
1976-77	41.48	50	46.24	69
1977-78	48.30	61	40.90	52

**स्त्रोत :** नगर पालिका, सतना

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सन् 1970-71 में नगर पालिका की आय जो 4.10 लाख थी, वह सन् 1977-78 में 48.30 लाख तक पहुंच गई, याने आय में 10 गुना वृद्धि हुई. नगर पालिका के आय का 85% हिस्सा आकृत्य से आय हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली शासकीय सहायता अनुदान के रूप में होती है. जहां तक व्यय का प्रश्न है, नगर पालिका का व्यय सन् 1970-71 में 5.45 लाख था जो 1977-78 में 40.90 लाख तक पहुंच गया. कुल व्यय का आधे से अधिक हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च होता है. इस प्रकार नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक कही जा सकती है. नगर में सन् 1976-77 वर्षों को छोड़कर हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रही है. तथापि सन् 1977-78 में आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति व्यय घटा है.

**1.65. बैंकिंग :**

नगर में विभिन्न बैंकों की 11 शाखाएं हैं. गत वर्षों में जमा तथा अग्रिम की राशियों में निरन्तर वृद्धि हुई है. लोगों की बचत करने की क्षमता में वृद्धि पाई गई. सितम्बर, 1979 तक इन बैंकों की शाखाओं में 13 करोड़ रु. की राशि जमा थी. जबकि वितरित किये गये अग्रिमों की राशि 9 करोड़ थी बैंकों के कारोबार से नगर की आर्थिक दशा बेहतर दिखाई देती है. उद्यमी लोगों को अधिक अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की क्षमता बैंकों की है। बाण सागर परियोजना पूर्ण होने से कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की संभावना है. इससे बैंकों की लेन-देन में वृद्धि होने से उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता भी मिल सकेगी.

**1.66. बिक्री कर से आय :**

बिक्री कर से हर साल बढ़ने वाली आय से यह पता चलता है कि नगर में प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढ़ रही है. सतना जिले में बिक्री कर से आय सन् 1977-78 में 3.3 करोड़ थी जो बढ़कर 1978-79 में 4.31 हो गई इसमें 96.5% आय (4.16 करोड़ केवल) सतना नगर से प्राप्त हुई.

**1.7. नगर के प्रमुख कार्यकलाप :**

व्यावसायिक ढांचे से नगर में बहुविध प्रकार के कार्यकलाप परिलक्षित होते हैं. वर्तमान में प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य तीन प्रमुख कार्यकलाप हैं. जिले का मुख्यालय होने से बहुत से कार्यालय यहां स्थित हैं. कृषि उपज में थोक व्यापार के एक बड़े केन्द्र के रूप में एक बड़ी मण्डी नगर के मध्य स्थित है. उद्योगों हेतु विकसित भूखण्डों की यहां बहुत मांग है. उद्योगों हेतु अतिरिक्त सुविधाएं निर्मित होने से इस नगर को औद्योगिक केन्द्र का स्वरूप शीघ्र ही प्राप्त होगा.

## भूमि उपयोग, वाणिज्य एवं उद्योग

### 2.1 भूमि उपयोग एवं वर्गीकरण :

सतना निवेश क्षेत्र में नगर पालिक निगम क्षेत्र, रेलवे कालोनी, घूरडांग एवं अन्य ग्रामों के भाग शामिल हैं। इस प्रकार कुल निवेश क्षेत्र 11203.8 हेक्टर है, जिसमें 7903 हेक्टर क्षेत्र कृषि भूमि है। नगर पालिक निगम सीमा एवं रेलवे कालोनी सहित कुल विकसित क्षेत्र 511.8 हेक्टर है, जो कुल निवेश क्षेत्र का 4.6% है। इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है।


#### सतना—भूमि स्रोत

2-सा-1

श्रेणी	क्षेत्र हेक्टर में	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
<b>(अ) विकसित क्षेत्र :</b>		
1. नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर एवं रेलवे कालोनी	425.8	3.8
2. नगर पालिक निगम सीमा के बाहर	86.0	0.8
योग . .	* 511.8	4.6
<b>(ब) अनुपयोगी क्षेत्र :</b>		
1. जलाशय		
(अ) नगर पालिक निगम सीमान्तर्गत	24.9	0.2
(ब) नगर पालिक निगम सीमा के बाहर	149.7	1.4
2. नाले के किनारे की निचली भूमि	20.1	0.2
योग . .	194.7	1.7
(स) उपयोगी क्षेत्र	10497.3	93.7
महायोग . .	11203.8	100.0

\* इस क्षेत्र में लगभग 25 हेक्टर हवाई पट्टी क्षेत्र शामिल है।

## SATNA 2-1 LAND RESOURCES



भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित 10 भागों में किया गया है. इस वर्गीकरण से विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की उपलब्धता तथा नगरीय जीवन की समस्याएं तथा नगरीय केन्द्र की कार्यकुशलता आदि का अनुमान लगाया जाता है.

1. रिक्त भूमि
2. आवासीय
3. वाणिज्यिक
4. औद्योगिक
5. यातायात एवं परिवहन
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं
7. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
8. आमोद-प्रमोद
9. कृषि भूमि
10. जलाशय

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर भूमि के वर्तमान उपयोग के मानचित्र एवं रजिस्टर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत सन् 1978 में प्रकाशित कर अंगीकृत किये जा चुके हैं जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 6-10-78 को प्रकाशित की जा चुकी है। नगरीय संरचना को ठीक तरह से जानने के लिये भूमि उपयोग का ढांचा जानना जरूरी है।

## 2.2 भौतिक बाधाएं :

नगर के विस्तार हेतु दो प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, एक भौतिक एवं दूसरी मानव निर्मित। सतना नगर के लिये सतना नदी ही एक मात्र भौतिक बाधा दिखाई देती है, फिर भी यह वर्तमान आबादी से दूर स्थित है। मानव निर्मित बाधा रेल लाईनों के रूप में निर्मित हो गई है। कटनी-इलाहाबाद रेल मार्ग एवं रेलवे कालोनी से मुख्य नगर का पश्चिम की ओर विकसित होने वाली बस्तियों से सम्बन्ध पृथक् हो गया है। सीमेन्ट एवं उद्योगों हेतु निर्मित की गई रेलवे सर्विस लाईन से नगर का उत्तर दिशा में विकास सीमित हो गया है। तथापि पन्ना, रीवा मार्ग एवं फैक्टरी हेतु निर्मित रेलवे सर्विस लाईन के बीच बहुत सी अविकसित भूमि उपलब्ध है जिसका विकास किया जा सकता है। उत्तर-पूर्व दिशा में उपलब्ध भूमि नगरीय विकास हेतु उपयुक्त होने के बावजूद हवाई पट्टी के कारण नगर विस्तार में बहुत सी बाधाएं हैं।

## 2.3 भूमि उपयोग का वर्तमान ढांचा :

वर्तमान भूमि उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है। हवाई पट्टी को छोड़कर नगर स्थित कुल विकसित क्षेत्र 486.8 हेक्टर है। नगर में आवासीय धनता प्रति हेक्टर 170 व्यक्ति पाई गई है।

### सतना : वर्तमान भूमि उपयोग का ढांचा ( 1979 )

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग	(क्षेत्र हेक्टर में)			कुल विकसित क्षेत्र	प्रतिशत	*भूमि उपयोग दर (हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति)
		नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र (रेलवे कालोनी सहित)	नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विकसित क्षेत्र	नगर निगम के बाहर विकसित क्षेत्र			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आवासीय	165.5	165.5	22.0	187.5	38.5	2.26
2.	वाणिज्यिक	24.3	24.3	-	24.3	5.0	0.29
3.	औद्योगिक	36.5	36.5	12.0	48.5	10.0	0.59
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	26.2	26.2	27.0	53.2	10.9	0.64
5.	सार्वजनिक उपयोगताएं एवं सुविधायें	17.2	17.2	5.0	22.2	4.6	0.27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	आमोद-प्रमोद	2.8	2.8	-	2.8	0.6	0.03
7.	यातायात एवं परिवहन	153.3	153.3	20.0	148.3 (+) 25.0	30.4	1.79
8.	रिक्त भूमि	1187.3	-	-	-	-	-
9.	कृषि भूमि	462.5	-	-	-	-	-
10.	जलाशय	33.4	-	-	-	-	-
योग . .		2109.0	425.8	86.0	486.8 (+) 25.0	100.0	5.87

**नोट :-** (1) \* सन् 1979 में अंगीकृत जनसंख्या 0.83 लाख

(2) + वर्तमान हवाई पट्टी

**स्त्रोत:-** भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल नगरीय क्षेत्र का 3/4 हिस्सा (78.2%) या तो कृषि या रिक्त भूमि के रूप में उपलब्ध है. आबादी बसाने हेतु अनुशंगिक सेवा-सुविधाएं सरलता से एवं कम व्यय में उपलब्ध कराने की दृष्टि से सघन नियोजन जरूरी है. विकसित क्षेत्र में विभिन्न उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है. सभी प्रकार के उपयोगों में से विकसित भूमि का 30.4% क्षेत्र परिवहन एवं यातायात के उपयोग में है. कुल विकसित क्षेत्र का 38.5% क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु है. इसी आकार के अन्य नगरों की तुलना में सतना की आवासीय धनता न केवल अधिक है अपितु आबादी क्षेत्र अनियमित रूप से यत्र तत्र स्थित है. इससे रिहायशी भवनों के स्तर में गिरावट आई है. नगर में कच्चे मकानों की संख्या अधिक है. आमोद-प्रमोद हेतु भूमि बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है. नगर में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वाणिज्यिक एवं उद्योगों के उपयोग हेतु उपलब्ध भूमि से नगर का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता.

### 2.31 भूमि उपयोग की दर :


सतना नगर की सन् 1979 की 83000 जनसंख्या को ध्यान में लेते हुये प्रति 1000 व्यक्ति भूमि उपयोग की दर 5.87 हेक्टर थी. भूमि की दर से नगर की पूर्ण तस्वीर सामने नहीं आती. इसके अलावा विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत भूमि के वितरण में असामनता एवं विसंगति भी दिखाई देती है. आवासीय उपयोग में भूमि उपयोग की दर प्रति 1000 व्यक्ति 2.26 हेक्टर पायी गयी. इसके बाद यातायात एवं परिवहन के अन्तर्गत यह दर 1.79 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति पाई गई.

# सतना

## 2-2 वर्तमान भूमि उपयोग

# SATNA

## 2-2 EXISTING LAND USE




- |                               |  |                               |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| RESIDENTIAL                   |  | आवासीय                        |
| COMMERCIAL                    |  | व्यापारिक                     |
| INDUSTRIAL                    |  | औद्योगिक                      |
| PUBLIC & SEMI PUBLIC          |  | सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक  |
| PUBLIC UTILITIES & FACILITIES |  | सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ |
| TRANSPORTATION                |  | स्कूल, कालेज                  |
| RAILWAY STATION               |  | रेलवे स्टेशन                  |
| RAILWAY LINE                  |  | रेलवे लाइन                    |
| BUS STAND                     |  | बस स्टेशन                     |
| RECREATIONAL                  |  | आमोद प्रभाव                   |
| PARKS                         |  | उद्यान                        |
| PLAY FIELDS                   |  | खेल मैदान                     |
| VACANT LAND                   |  | रिक्त भूमि                    |
| WATER BODIES                  |  | जलाशय                         |



भूमि उपयोग के अन्य प्रकार के अन्तर्गत भूमि उपयोग की दर 1.82 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति पाई गई. विकास सम्बन्धी प्रस्ताव देते समय इस कमी को ध्यान में रखा जावेगा. दुर्लभ एवं कीमती नगरीय भूमि का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से सघन नगरीय विकास बहुत जरूरी हो जाता है. दूर-दूर तक बस्तियां फैली रहने से यात्रा व्यय बढ़ने के साथ-साथ नगरीय सेवा सुविधाओं का भी व्यय बढ़ जाता है.

## SATNA

### 2-3 LAND UTILISATION



#### 2.32 भूमि उपयोगों में परस्पर सम्बन्ध :

आवासीय विकास, वर्तमान में मध्यवर्ती क्षेत्र एवं रेलवे कालोनी तक ही सीमित नहीं है वरन् बहुत बड़ा क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र के दक्षिण में, रेलवे कालोनी के पश्चिम में एवं रीवा-पन्ना रोड पर सिविल लाईन दो बड़े क्षेत्रों में एवं बांधवगढ़ कालोनियों में विकसित हुआ है. सिमरिया चौक मध्य नगर से दूर होते हुये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है. रीवा-पन्ना मार्ग के दक्षिण में भी विकास हो रहा है, लेकिन वह अनियोजित है.

भूमि उपयोग ढांचे से यह स्पष्ट है कि नगर में नगरीय गति विधियों का वितरण ठीक तरह से नहीं है. नगर में भौतिक विकास बहुत तेजी से होते रहने से अकार्यक्षम एवं असंगत भूमि उपयोग, भूमि उपयोगों में समन्वय का अभाव तथा विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों का मिश्रण आदि दिखाई देता है.

प्रमुख उद्योग, रीवा एवं सिमरिया मार्ग पर नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में प्रमुखतः स्थित है. वाणिज्य गतिविधियां भी प्रमुखतः रेलवे स्टेशन, मध्यवर्ती क्षेत्र, चौक बाजार, जय स्तंभ एवं सुभाष चौक में केन्द्रित है.

वर्तमान में निवास से कार्य केन्द्रों की दूरी की समस्या नहीं है. लेकिन सतना नगर का जिस प्रकार विकास हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुये इस प्रकार का सहसंबंध निकट भविष्य में स्थापित करना जरूरी है. औद्योगिक क्षेत्र एवं सिविल लाईन स्थित प्रशासनिक क्षेत्र वर्तमान नगरीय केन्द्र से दूर रहते हुये भी सिमरिया चौक का विकास हो जाने के कारण नगर के विकास में एक नई दिशा प्राप्त हुई. एक प्रमुख समस्या यह है कि सघन मध्यवर्ती क्षेत्र में थोक एवं खेरीची दुकानें स्थित

होने तथा संकीर्ण मार्गों के कारण यातायात की समस्याएं निर्मित हुई हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण नगर के मध्य में बहुत सी अग्रेषण संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं। अपर्याप्त मार्ग चौड़ाई एवं अतिक्रमण के कारण नगर की यातायात समस्या अतिविकट होती जा रही है। नगर के बाहर जो कालोनियां निर्मित हुई हैं वहां मूलभूत आवश्यकताओं की दुकानें उपलब्ध न होने से लोगों को खरीदी हेतु मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर आना पड़ता है। नगर में प्रमुख मार्गों पर पत्थर फोड़ने के संयंत्र एवं लकड़ी के पीठे स्थापित होने से नगर की यातायात समस्याएं और जटिल हुई हैं।

#### 1.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग :

भूमि उपयोग का विस्तृत सर्वेक्षण तथा नगर में यातायात आवासीय परिस्थिति आदि के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि नगर में कुछ स्थानों का असंगत भूमि उपयोग है। असंगत भूमि उपयोग निर्धारित करते समय उस उपयोग की कार्य सम्पादन विशेषताएं, पर्यावरण प्रदूषण, नगरीय भूमि का दुरुपयोग, यातायात में होने वाली रूकावटें आसपास के क्षेत्र से बेमेल उपयोग आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। अतः असंगत भूमि उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करना आवश्यक हो जाता है।

#### सतना : असंगत भूमि उपयोग

2-सा-3

अ. क्र.	स्थान का नाम	वर्तमान स्थान	असंगतता का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि उपज मण्डी	नये तालाब के पास	यातायात में बाधा एवं अपर्याप्त स्थान.
2.	अनाज, फल एवं सब्जी का थोक बाजार.	चांदनी टाकीज के समीप मध्यवर्ती क्षेत्र में.	यातायात में बाधा एवं पर्यावरण समस्या.
3.	माल गोदाम	गौशाला चौराहे के समीप	यातायात बाधाएं
4.	मांस बाजार	लालता चौक के समीप चिकान टोला	पर्यावरण समस्या
5.	मछली बाजार	कन्या उ. मा. शाला के सामने	पर्यावरण समस्या
6.	परिवहन अभिकरण	मध्यवर्ती क्षेत्र में बिखरे रूप में	यातायात बाधा
7.	कबाड़ी बाजार	कँवर राम मार्ग, रीवा मार्ग एवं सिमरिया मार्ग पर.	यातायात बाधा एवं पर्यावरण समस्या.
8.	मेटल क्रेसर ( धातु उद्योग)	बिडला मार्ग, सिंधी कैंप के समीप एवं सिमरिया चौक के समीप.	प्रदूषण
9.	शराब कारखाना	नया तालाब से लगा हुआ	पर्यावरण समस्या
10.	आरा मिल	कँवर राम मार्ग, रीवा मार्ग, स्टेशन मार्ग, एवं मंडी मार्ग	यातायात में बाधा आग की संभावना एवं प्रदूषण.
11.	मरघट, चर्मशोधन केन्द्र धोबी घाट.	कोलगंवा थाने के पीछे	पर्यावरण समस्या
12.	श्मशान भूमि	हवाई पट्टी के समीप स्थित टिकुरिया टोला	पर्यावरण समस्या
13.	बस स्टेण्ड	रेलवे स्टेशन के निकट	यातायात में बाधा
14.	जूट मिल	नया तालाब मार्ग	पर्यावरण समस्या
15.	नया तालाब का दक्षिणी भाग	कृषि उपज मंडी के निकट	पर्यावरण समस्या

जहां तक अकार्यक्षम भूमि उपयोग का प्रश्न है वर्तमान में कुछ गतिविधियां अनुपयुक्त स्थानों पर स्थित हैं. अतः उनको उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करना जरूरी है. मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित दो सिनेमा गृह अकार्यक्षम भूमि उपयोग के उदाहरण कहे जा सकते हैं क्योंकि इन सिनेमा गृहों में पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान न होने के साथ-साथ सरलता से पहुंच भी उपलब्ध न होने से यातायात की समस्या है. अकार्यक्षम भूमि उपयोग या तो उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करना होंगे या उन स्थानों पर कोई सुधार न हो सकने की दशा में उसका कोई वैकल्पिक उपयोग करना होगा. उदाहरणार्थ शासकीय अस्पताल बड़े औषधालय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. नया तालाब के कुछ हिस्से को भूमि सुधार के पश्चात् पार्किंग स्थान हेतु उपयोग में लाया जा सकता है. सीमेन्ट कारखाने में धूल के कणों को सोखने वाले उपकरण लगाये जा सकते हैं. सतना नगर में निम्न सारणी में दर्शाये गये भूमि उपयोग अकार्यक्षम भूमि उपयोग पाये गये हैं.

### सतना : अकार्यक्षम भूमि उपयोग

2-सा-4

अ. क्र.	स्थान का नाम	वर्तमान स्थान	समस्या का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अशोक एवं चांदनी सिनेमा गृह.	मध्यवर्ती क्षेत्र	पार्किंग एवं वाहन पहुंच समस्या.
2.	बिरला सीमेन्ट फैक्टरी	सिमरिया मार्ग	वायु प्रदूषण
3.	पी. डब्ल्यू. डी. कार्यालय एवं कारखाना	जय स्तंभ के समीप	पर्यावरणीय समस्या
4.	एम. एल. बी. कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला.	सतना स्टेशन मार्ग एवं जगतदेव तालाब.	ध्वनि प्रदूषण विस्तार की संभावना का अभाव.
5.	वाणिज्य महाविद्यालय	मुख्तियार गंज	अपर्याप्त स्थान तथा खेल के मैदान का अभाव.
6.	जिला अस्पताल	जगतदेव तालाब मार्ग	ध्वनि प्रदूषण एवं विस्तार की संभावना का अभाव.
7.	नया तालाब का दक्षिणी भाग	अनाज मण्डी के समीप	नगरीय भूमि का दुरुपयोग

## 2.5 आवासीय :

किसी भी नगरीय बसाहट में सबसे बड़ा भूमि उपयोग आवासीय से संबंधित होता है. नगर में स्थित मकानों की दशा से वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है. आवासीय स्थिति का लोगों की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार के अध्ययन हेतु आवासीय, सेवा-सुविधाओं का स्तर एवं उनका कार्य केन्द्रों से संबंध आदि बातें सम्मिलित की जाती है. इसके अलावा मकानों की कमी आवासीय घनता, अधिवासी दर एवं आवासों के स्वामित्व संबंधी का अध्ययन भी जरूरी है.

### 2.51 आवासीय घनत्व :

आवासीय घनता से आवासीय उपयोग हेतु स्थान की उपलब्धता का पता लगता है. इससे नगरीय भूमि की उपयोगिता दर भी ज्ञात होती है. सामान्यतः मध्यवर्ती क्षेत्रों में आवासीय घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह नगर की सीमा की ओर घटता जाता है. आवासीय घनत्व का आंकलन करने के लिये आवासीय क्षेत्र में प्रति इकाई कितने लोग निवास करते हैं,

इस बात का पता लगाया जाता है. नगर की वर्तमान जनसंख्या मतदाताओं की सूची के अनुसार अनुमानित की जाती है. इस प्रकार प्राप्त आवासीय घनत्व निम्न सारणी में प्रस्तुत है.

सतना : आवासीय घनत्व ( वार्ड अनुसार )

2-सा-5

वार्ड क्रमांक	वार्ड क्षेत्र (हेक्टर में)	आवासीय क्षेत्र (हेक्टर में)	जनसंख्या (1979)	आवासीय घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	78.4	9.49	1910	201
2	98.2	8.55	4520	529
3	196.8	9.62	3130	325
4	108.4	5.88	1980	337
5	101.8	5.42	3340	616
6	131.6	14.58	3150	216
7	65.4	7.49	3550	474
8	80.3	9.33	3030	325
9	69.9	6.79	3100	456
10	37.3	5.03	3130	622
11	214.8	7.32	3120	426
12	37.0	6.17	3120	506
13	5.6	1.35	1940	1437
14	7.9	1.36	2000	1471
15	5.7	0.77	2280	2961
16	12.4	3.70	2530	684
17	11.0	2.17	2000	922
18	10.4	2.50	3020	1208
19	3.9	1.90	2080	2095
20	33.0	6.49	2650	408
21	140.4	8.52	3570	419
22	116.6	5.47	3010	550
23	95.5	8.27	2440	295
24	50.9	2.10	2480	1181
25	146.3	6.89	2120	308
26	20.6	6.98	2540	364
27	19.4	2.14	1580	738
28	55.5	2.76	3620	1312
29	18.0	2.16	2060	954
रेलवे	136.0	4.31	4000	928
योग . .	2109.0	165.51	83000	500


स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण

# सतना

2-4 आवासीय घनत्व  
व्यक्ति प्रति हेक्टर

# SATNA

2-4 RESIDENTIAL DENSITY  
WARD WISE



सतना नगर हेतु प्रति हेक्टर आवासीय घनता लगभग 500 व्यक्ति है. अधिकतम आवासीय घनता 2961 व्यक्ति प्रति हेक्टर वार्ड क्रमांक 15 में तथा न्यूनतम आवासीय घनता 201 व्यक्ति प्रति हेक्टर वार्ड क्रमांक 1 में पाई गई. नगर के मध्य में स्थित वार्डों में, नगर सीमा पर स्थित वार्डों में आवासीय घनता अधिक पाई गई है.

### 2.52 अधिवासी दर :

नगर स्थित मकानों की दशा अधिवासी दर से ज्ञात होती है. तथा अधिवासी दर से प्रति मकान या प्रति परिवार में कितने लोग वास करते हैं, यह पता चलता है. सन् 1971 जनगणना अनुसार 4.4 व्यक्तियों का एक परिवार पाया गया. जबकि जनगणना में उल्लेखित आवासों में से प्रति परिवार 7.1 व्यक्ति वास करते पाये गये हैं. यह बड़ा विरोधाभास है कि 1961-71 में मकानों की संख्या में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई जबकि जनसंख्या प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ रही थी. सन् 1971 की जनगणना से बहुत ही ऊंची अधिवासी दर प्राप्त हुई. सन् 1971 में प्रति 100 मकानों के पीछे 165 परिवार निवास करते पाये गये हैं. नगर में मकानों की बहुत कमी है इस कमी के कारण मकानों के किराये में भी दिनों-दिन वृद्धि हो रही है. बढ़ती जनसंख्या की तुलना में नये मकानों की निर्मित न होने के कारण अधिवासी दर का बढ़ना अभी भी जारी है. मतदाताओं की सूची के आधार पर किये गये विश्लेषण से यह देखा गया है कि नगर में 6 से अधिक तथा 10 से थोड़े कम व्यक्ति वाले परिवार प्रति मकान में रह रहे हैं.

### 2.53 भवनों की संरचनात्मक स्थिति :

विभाग द्वारा भूमि उपयोग के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण से नगर में इमारतों की संरचनात्मक स्थिति स्पष्ट हो गई है. नगर में लगभग 43% मकान कच्चे पाये गये. जिससे नगर की दयनीय आवासीय परिस्थिति स्पष्ट होती है. नगर में अर्ध पक्के एवं पक्के मकान क्रमशः 16.6% एवं 40.4% पाये गये हैं. भूमि उपयोग सर्वेक्षण के दौरान मकानों की दशा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई. इस सर्वेक्षण के अनुसार 14.9% मकानों की हालत जर्जर देखी गई तथा 53.5% मकान औसतन सामान्य दशा में देखे गये हैं. इस प्रकार केवल 31.6% मकान की अच्छी हालत में पाये गये.

### 2.54 गंदी बस्तियां :

सतना नगर समूह में 7 गंदी बस्तियां पाई गई. इन बस्तियों में अस्वास्थ्यकारक परिस्थितियां होकर जल-मल निकास, जल प्रदाय, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय आदि सेवा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं.

सन् 1978 में किये गये सर्वेक्षण अनुसार 12750 व्यक्ति गंदी बस्तियों में निवास करते पाये गये जो कुल जनसंख्या का 15% है. गंदी बस्तियों के क्षेत्र कोई विशिष्ट मोहल्ले में केन्द्रित न होकर नगर के विभिन्न भागों में बिखरे हुये हैं. ये गंदी बस्तियां आकार में छोटी हैं. गंदी बस्तियों में स्थित आवासीय घनत्व औसतन 647 व्यक्ति प्रति हेक्टर है. सबसे अधिक आवासीय घनता डाली बाबा गंदी बस्ती में 1136 व्यक्ति प्रति हेक्टर देखी गई. इसके पश्चात् कामता टोला में यह आवासीय घनता 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टर पाई गई.

नगर स्थित गंदी बस्तियों की जानकारी निम्न सारणी में प्रस्तुत है.

सतना : गंदी बस्तियां

2-सा-6

अनु- क्रमांक	गंदी बस्तियों के नाम	क्षेत्र (हेक्टर में)	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	प्रति हेक्टर घनता (व्यक्ति)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टिकुरिया टोला	2.2	225	1250	568
2.	बजरहा टोला	3.7	700	2800	757
3.	खूंथी	4.0	650	3100	775
4.	सिद्धार्थ नगर	4.8	300	1550	323
5.	डालीबाबा	1.1	250	1250	1136
6.	पुराना खूंथी	1.4	65	300	214
7.	कामता टोला	2.5	500	2500	1000
योग . .		19.7	2690	12750	647

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 1978 में सम्पन्न स्थल सर्वेक्षण.

### 2.55 मकानों का अभाव :

अधिवासी दर से स्पष्ट है कि सतना नगर में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है. जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हो पा रहा है. सन् 1971 तक की मकानों की पिछली कमी उपलब्ध मकान एवं परिवारों की संख्या में अन्तर से लगाई गई है जिसमें यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार को एक मकान होना चाहिए. इस प्रकार सन् 1971 तक नगर में 5553 मकानों की कमी पाई गई. यह बात ध्यान देने योग्य है कि मकान निर्मित में होने वाला अधिक व्यय एवं किराये की ऊंची दरों के कारण एक मकान में एक से अधिक परिवार भी वास करते हैं. सन् 1971 की जनगणना अनुसार 100 मकानों के पीछे 165 परिवार वास करते दिखाई देते हैं यह ऊंची अधिवासी दर है. प्रति 100 मकानों के पीछे 125 परिवारों का मानक अधिवासी दर मानकर 1971 में मकानों की कमी का पूर्व शेष 3400 मकान होता है.

गंदी बस्तियों को हटाने की कल्पना आज की स्थिति से मेल नहीं खाती. वर्तमान समय में गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. गंदी बस्तियों में स्थित 50% मकान एवं झुग्गी-झोपड़ियों मनुष्य के निवास लायक नहीं पाई गई. अतः इनके ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ इनमें बुनियादी सेवा-सुविधाये भी उपलब्ध कराना जरूरी है. भवन निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाला सामान, निम्न दर्जे का होने के कारण केवल 15% मकान अस्वीकार्य माने गये हैं. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में लेते हुये नगर में मकानों की कुल कमी 4830 आंकी गई है।

सतना : मकानों का अभाव

2-सा-7

अनुक्रमांक	वर्णन	मकानों की आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	सन् 1971 तक के मकानों की कमी	3400
2.	रहने की दृष्टि से अयोग्य मकान—	
	(अ) गंदी बस्तियों में स्थित झुग्गी-झोपड़ी एवं मकानों में से 50% मकान (2610 से) अयोग्य मानने पर.	1305
	(ब) निकृष्ट भवन निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से गंदी बस्तियों में स्थित अस्वीकार्य मकान 15%.	125
	योग . .	4830

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि नगर की एक तिहाई जनसंख्या आवासीय समस्या का सामना कर रही है.

## 2.6 वाणिज्यिक क्षेत्र :

व्यवसाय एवं वाणिज्य इस नगर के प्रमुख कार्य कलाप है. निर्माणाधीन बाणसागर सिंचाई योजना पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की कृषि उपज भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ने की संभावना है. अतः नगर के व्यापार एवं वाणिज्य कार्यकलाप भविष्य में सुचारु रूप से चलाने हेतु पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान जरूरी है. नगर में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र एवं विशिष्ट बाजार की परिस्थितियां और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय जरूरी है. इसके अध्ययन हेतु क्षेत्रों का स्थान, पहुंच तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से सह सम्बन्ध आदि बातों पर विचार आवश्यक है.

### 2.61 विशिष्ट बाजार :

नगर के क्रमिक विकास में बहुत से विशिष्ट बाजार अव्यवस्थित रूप से निर्मित हुये. नगर में विशिष्ट एवं फुटकर बाजार निम्न सारणी में दिखाये गये स्थानों पर स्थित है.

अनु- क्रमांक	गतिविधियां	स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर गाड़ियां एवं सायकल	जगतदेव तालाब एवं हनुमान चौक
2.	कृषि उपकरण एवं अन्य मशीनें	ग्रीन सिनेमा गृह और सुभाष चौक
3.	क्राकरी एवं बर्तन	हास्पिटल चौक एवं सुभाष चौक
4.	कपड़ा बाजार	चौक बाजार, बिहारी चौक, गनपत मार्ग, जय स्तंभ
5.	निर्मित वस्त्र	पन्नीलाल चौक एवं चौक बाजार
6.	किराना	स्टेशन मार्ग, सुभाष मार्ग, सब्जी मार्ग
7.	अनाज	गल्ला मण्डी, सब्जी मण्डी, लालता चौक
8.	सराफा बाजार	गांधी चौक
9.	जूते, चप्पल बाजार	पन्नीलाल चौक
10.	ट्रेक्टर एवं मोटर के पुर्जे	जगतदेव तालाब एवं रीवा मार्ग
11.	औषधियां	हास्पिटल चौक एवं सुभाष चौक
12.	रेडियों एवं इलेक्ट्रिक का सामान	गनपत मार्ग एवं पन्नीलाल चौक
13.	सब्जी एवं फल	सब्जी मण्डी
14.	प्रसाधन एवं जनरल मर्चेन्ट	चौक बाजार एवं पन्नीलाल चौक
15.	लोहे का सामान	हनुमान चौक एवं जगतदेव तालाब

#### 2.62 थोक बाजार :

(क) **फल एवं सब्जी बाजार.**—यह बाजार चांदनी टाकीज के समीप महावीर मार्ग पर स्थित है. भीड़-भाड़ के स्थान पर स्थित होने से यहां यातायात अवरोध की समस्या है. एक अन्य छोटा बाजार, मार्गों पर अतिक्रमण के रूप में सिंधी केम्प में भी स्थित है.

(ख) **अनाज मण्डी.**—अनाज मण्डी नया तालाब के समीप स्थित है. क्षेत्रीय मार्ग को ध्यान में रखते हुये, यह स्थान न केवल अनुपयुक्त है अपितु स्थान अपर्याप्त है. यहां पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध न होने से तथा ट्रकों में से माल निकालने एवं भरने से और अधिक भीड़-भाड़ होती है. इस क्षेत्र में बहुत से वर्कशाप स्थापित हो चुके हैं. वर्तमान सब्जी मण्डी में स्थित फुटकर अनाज की दुकानें यहां स्थानान्तरित की जा सकती हैं. इससे फल एवं सब्जी मण्डी की भीड़-भाड़ कम होगी.


(ग) **लोहे का सामान.**—लोहा बाजार प्रमुखतः हनुमान चौक एवं जगतदेव तालाब के समीप स्थित है. इस स्थानों पर पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने से सड़कों पर माल चढ़ाने उतारने का काम चलता रहता है, जिससे यातायात की समस्या निर्मित होती रहती है. अतः मध्यवर्ती क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग के स्थान की आवश्यकता है. यातायात की समस्या के निराकरण हेतु दिन में वाहनों में माल चढ़ाने-उतारने की गतिविधि वर्जित करना होगा.

# सतना

2-5 प्रमुख कार्य केन्द्र

# SATNA

2-5 MAJOR WORK CENTRES



COMMERCE		वाणिज्य
INDUSTRIES		औद्योगिक
OFFICES		कार्यालय
OTHERS		अन्य



(घ) कपड़ा बाजार.—सतना बघेलखण्ड क्षेत्र का कपड़े के थोक व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र है। इस बाजार में थोक एवं फुटकर व्यापार की गतिविधियां मिश्रित रूप में देखी जा सकती हैं। यह बाजार, चौक बाजार, बिहारी चौक, गणपति मार्ग एवं जय स्तंभ आदि स्थानों पर स्थित है। इन क्षेत्रों में पार्किंग के स्थानों का अभाव है। अतः शहर में कपड़े के थोक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस बाजार हेतु अलग से स्थान नियत करना आवश्यक है।

### 2.63 फुटकर व्यापार :

यह व्यापार मुख्यतः मध्यवर्ती क्षेत्र में स्टेशन मार्ग, चौक बाजार एवं लालता चौक में स्थित है। मध्यवर्ती क्षेत्र का भार कम करने की दृष्टि से सिविल लाईन एवं सेमरिया चौक क्षेत्रों में छोटे शापिंग सेन्टर निर्मित करना जरूरी है।

नगर में दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या दिनों दिन तीव्र गति से बढ़ रही है, तथापि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे वाणिज्यिक संस्थानों की संख्या केवल 32 पाई गई। इससे यह बात स्पष्ट है कि बहुत सी संस्थाएं स्वयं मालिकों द्वारा चलायी जाती हैं, ताकि पंजीकरण अधिनियम अन्तर्गत पंजीकरण की आवश्यकता न पड़े। नगर में 1521 दुकानें, 852 वाणिज्यिक संस्थान, 247 होटल स्वल्पाहार गृह तथा 4 सिनेमा घर सन् 1979 तक पंजीकृत किये गये। यह एक रोचक बात है कि कुल दुकानों में से 32.5% दुकानें वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित हैं, जबकि अन्य नगरीय केन्द्रों में यह प्रमाण 8 से 10% पाया जाता है। निम्नलिखित सारणी में सन् 1960 से नगर में स्थित दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थानों के वृद्धि के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सन् 1960 से नगर में इस गतिविधि में प्रति वर्ष औसतन 60% वृद्धि हुई है अर्थात् पिछले दो दशकों में इस गतिविधि में 13 गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे सतना नगर का वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में महत्व स्पष्ट होता है।

### सतना : दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

2-सा-9

वर्ष	दुकानों की संख्या	वाणिज्यिक संस्थान	होटल/ भोजनालय	सिनेमा टॉकिज	योग	संस्थानों की संख्या प्रति 1000 व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1960	202	23	18	1	244	6
1965	348	39	50	4	441	10
1970	510	242	72	4	828	14
1971	598	270	83	4	955	15
1972	675	369	95	4	1100	17
1973	762	369	106	4	1241	19
1974	832	416	123	4	1375	20
1975	985	477	143	4	2609	23
1976	1135	590	176	4	1905	26
1977	2270	672	196	4	2142	29
1978	1399	759	236	4	2398	30
1979	1521	852	247	4	2624	32
प्रतिशत	58.0	32.5	9.4	0.1	100.0	-

स्त्रोत : सहायक श्रम आयुक्त, सतना

## 2.7 कार्यालय :

जिला मुख्यालय होने से सभी प्रकार के जिला स्तरीय कार्यालय, भारत सरकार के कार्यालय, स्वायत्त संस्थाओं एवं बैंकों के कार्यालय यहां स्थित हैं. नगर में कुल 80 कार्यालय स्थित हैं. इन कार्यालयों में 2500 कर्मचारी कार्यरत हैं. इन कार्यालयों में से 32 कार्यालय किराये के मकानों में स्थित है. इन कार्यालय भवनों में से 13 सिविल लाईन में, 5 मध्यवर्ती क्षेत्र में, 3 सिमरिया चौक में एवं अन्य 11 शहर में यत्र तत्र स्थित है. किराये के भवनों में स्थित कार्यालयों में 750 कर्मचारी कार्यरत हैं. राज्य सरकार के 19 कार्यालय किराये के भवनों में कार्यरत है. इस सब कार्यालयों को एक संयुक्त कार्यालय परिसर में स्थापित किया जा सकता है. अतः विकास योजना में इन कार्यालयों हेतु भूमि नियत करना आवश्यक है.

## 2.8 उद्योग :

सामान्यतया प्रत्येक नगर में बहुत से छोटे एवं अपंजीकृत उद्योग स्थित होते हैं. सन् 1971 की जनगणना में इन उद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है. उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना नगर में मध्यम आकार के 4 उद्योग स्थित हैं, जिसमें 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं. ये उद्योग निम्नानुसार हैं :—

उद्योग का नाम	श्रमिकों की संख्या
1. सतना सीमेन्ट एवं फाउन्ड्री	1754
2. युनिवर्सल केबल लिमिटेड	1016
3. मेसर्स एम. के. कासन्स स्टोन लाईम कंपनी	167
4. सतना ब्रिक्स	112

इस प्रकार सतना सीमेन्ट वर्क्स एवं युनिवर्सल केबल लिमिटेड, प्रमुख औद्योगिक संस्थान नगर के उत्तर-पूर्व में स्थित है.

उपरोक्त उद्योगों के अलावा नगर में 233 लघु उद्योग इकाईयां स्थित है. इन इकाईयों में 2082 श्रमिक कार्यरत हैं. सामान्यतया ये उद्योग लघु आकार के होकर इन उद्योगों में से 75% उद्योगों में से 10 से कम श्रमिक कार्यरत है. इन इकाईयों में से 27% इकाईयां खाद्य से संबंधित (कृषि पर आधारित उद्योग सहित) हैं. नगर में केवल 10 इकाईयां अधातु खनिज उत्पादन से संबंधित है. लेकिन इन इकाईयों में कार्यरत लोग लगभग कृषि पर आधारित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बराबर हैं. निम्न सारणी में प्रकारानुसार औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण दर्शाया गया है.

सतना : प्रकारानुसार औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण

2-सा-10

अनुक्रमांक	उद्योग का प्रकार	इकाईयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खाद्य पदार्थ	63	416
2.	पेय पदार्थ	3	22
3.	तम्बाकू से उत्पादित वस्तुएं	5	135
4.	कपड़ा बुनाई	4	27
5.	लकड़ी का सामान	27	231
6.	कागज का सामान	1	3
7.	मुद्रण एवं प्रकाशन	14	63
8.	चमड़ा एवं चमड़े से निर्मित सामान	6	17
9.	रसायनिक पदार्थ	9	87
10.	अधातु खनिज पदार्थ (चूने सहित)	10	416
11.	बुनियादी धातु एवं उससे निर्मित सामान	37	171
12.	मशीनरी एवं इलेक्ट्रिक का सामान	27	122
13.	परिवहन सामग्री	15	68
14.	अन्य उद्योग (भवन निर्माण सामग्री सहित)	12	304
योग . .		233	2082

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र सतना.

इस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का प्रभावकारी रूप से दोहन नहीं किया गया है जिन पर आधारित बहुत सी नवीन औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जा सकती हैं. अतः उद्योग विभाग द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास जरूरी है.

### 2.81 मूलभूत सुविधाएं :

नगर के औद्योगिक विकास के लिये मूलभूत सुविधाओं में औद्योगिक अधोसंरचना का उपलब्ध होना, जैसे विकसित भूमि, समुचित परिवहन सुविधा जल एवं बिजली आदि आवश्यक है. नगर में रीवा मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व में ही स्थापित हो चुका है. यह स्थान 40 हेक्टर क्षेत्र में स्थापित होकर भूखण्ड उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु आवंटित किये जा चुके हैं, तथापि अभी तक केवल 16 इकाईयां निर्मित हो सकी हैं तथा 4 का कार्य प्रगति पर है. यह उचित होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध अधो सुविधाओं के उपयोग हेतु उद्योग स्थापित करते समय कोई समय सीमा निर्धारित करना जरूरी है.

निर्माणाधीन बाणसागर परियोजना पूरी होने पर तथा 455 मेगावाट विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने पर बहुत से कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित होने की संभावना है. इसके साथ-साथ खनिज विशेषतया चूने के पत्थर का दोहन भी बड़ी मात्रा में हो सकता है. रीवा एवं ललितपुर के बीच (सतना होकर) प्रस्तावित रेलवे लाईन निर्मित हो जाने पर सतना के औद्योगिक विकास को अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है. मध्यम एवं छोटे आकार के नगरों में उद्योग स्थापित करने हेतु शासन की वर्तमान नीति का भी नवीन उद्योग स्थापित होने में मदद होगी.

## नगरीय अधोसंरचना ( सेवा—सुविधाएं एवं परिवहन व्यवस्था )

### सेवा—सुविधाएं :

किसी नगर में नागरिकों हेतु उपलब्ध सेवा—सुविधाओं में उसका कार्यकलाप स्वरूप प्रकट होता है. साथ ही सेवा सुविधाओं से नगर का स्वरूप निश्चित होने के अतिरिक्त नगरीय जीवन स्तर में परिवर्तन की परिचायक भी है. इन सेवा सुविधाओं में प्रमुखतः जल प्रदाय, मल निकास, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आमोद-प्रमोद आदि का समावेश है.

### 3.1 नगरीय सेवाएं :

#### 5.11 जल प्रदाय :

सतना नगर को नल द्वारा जल प्रदाय सन् 1958 से किया जाता है. जल प्रदाय की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है. जल प्रदाय टमस नदी से होकर नदी के प्रवाह से केवल फरवरी माह तक ही वर्तमान आवश्यकता हेतु जल पूर्ति हो पाती है. अतः मार्च से जून तक जल प्रदाय में होने वाली कठिनाई के निवारण हेतु टमस नदी पर एनीकट निर्मित करना जरूरी होता है. वर्तमान जल प्रदाय व्यवस्था की क्षमता 10 एम. एल. डी. है. इसके अलावा 5 एम. एल. डी. का कच्चे पानी के रूप में जल प्रदाय सतना सीमेन्ट वर्क हेतु किया जाता है. वर्तमान में प्रति व्यक्ति 120 लीटर या 26.5 गैलन का जल प्रदाय हो रहा है, जो मांग को ध्यान में लेते हुये कम है. इसके अलावा मध्यवर्ती क्षेत्र का कुछ हिस्सा, कामता टोला एवं नगराबांध क्षेत्र में पानी पर्याप्त प्रेशर से नहीं मिल पाता है. नगर के टिकुरिया टोला, बजरहा टोला, कामता टोला, पुरानी खूंथा एवं सिद्धार्थ नगर आदि क्षेत्रों में कोई सार्वजनिक नल उपलब्ध न होने से समाज के कमजोर बर्गों को कठिनाई होती रहती है.

#### 3.12 मल प्रवाह व्यवस्था :

नगर में भूमिगत जल-मल प्रवाह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. तथा मल वहन की पुरानी पद्धति अभी भी प्रचलित है. मल को गाड़ियों में वहन कर नगर के बाहर गड्ढों में डाल दिया जाता है. गंदा पानी तथा अन्य कचरा खुली नालियों से बहता हुआ मध्यवर्ती क्षेत्र से बहने वाले प्रमुख नाले से मिलता है. यह प्रमुख नाला आगे सतना नदी में मिलता है, चूंकि सतना नदी आगे टमस नदी से मिलती है, अतः औद्योगिक अवशिष्ट द्रव्यों की कुछ हद तक अभिक्रिया बहुत जरूरी है.

#### 3.13 वर्षा के पानी की निकासी :

वर्षा के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होते हुये मध्य क्षेत्र प्रमुख नाले को मिलता है. इस बहाव के कारण जगतदेव तालाब का पानी जो नहाने के लिये उपयोग में आता है, भी दूषित हो जाता है. यह प्रमुख नाला आगे बढ़कर सतना नदी में मिलने से नगर पालिका परिषद् द्वारा नगर में नालियां निर्मित करना शुरू कर दिया है तथा निकट भविष्य में प्रमुख मार्ग पर दोनों ओर नालियां निर्मित करते समय मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई ध्यान में लेकर तुरन्त काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मार्गों की अंतोतगत्वा चौड़ाई निश्चित करने में अभी देर लगने की संभावना है.

### 3.14 विद्युत :

नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था अमरकंटक ग्रीड से संबंधित है। विद्युत प्रदाय हेतु 132 के. वी. की एक सर्किट लाईन कटनी से, कटनी, सतना, रीवा सेक्शन में डाली गई है। नगर में विद्युत वितरण 2X 20 ए. व्ही. ए. 132/33 के. वी. ट्रांसफार्मरों द्वारा किया जाता है तथा ये प्रेमनगर तथा पतेरी में स्थित है।

नगर में तथा वर्तमान औद्योगिक बस्ती में 400 वाट की लो टेन्शन लाईन स्थापित है। वर्तमान में रीवा एवं मैहर नगरों को भी विद्युत प्रदाय सतना सब स्टेशन से ही हो रही है। चूंकि अब रीवा एवं मैहर नगरों हेतु नये सब स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है, तो इन नगरों की खपत बंद हो जाने से सतना नगर हेतु अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार सतना नगर में घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु विद्युत प्रदाय की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है।

नगर में दिनों दिन विद्युत कनेक्शनों की संख्या बढ़ने के बावजूद नगर में स्थित विद्युत कनेक्शनों की संख्या परिवारों की संख्या के तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। इसी प्रकार नगर में प्रति व्यक्ति प्रकाश पॉवर की खपत केवल 119 यूनिट पाई गई है, जो बहुत कम है। नगर में विद्युत खपत के सम्बन्ध में आंकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

#### सतना : विद्युत खपत

(यूनिट लाखों में)

3-सा-1

वर्ष	घरेलू		वाणिज्यिक		औद्योगिक		अन्य		योग	
	कनेक्शन की संख्या	खपत यूनिटों में								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1970	3857	13.36	1611	9.65	297	32.53	531	11.82	6296	66.86
1975	4429	15.62	1828	11.74	318	37.68	664	12.89	7239	77.93
1979	5066	26.75	2581	16.13	230	42.34	666	13.09	8543	98.58

स्रोत : डिवीजनल इंजीनियर (ई. एण्ड एम.) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, सतना।

### 3.2 सेवा सुविधाएं :

#### 3.21 चिकित्सा :

नगर में 106 पलंग युक्त एक सामान्य चिकित्सालय स्थित है। इसमें तपैदिक एवं कुष्ठ रोग से संबंधित विशिष्ट उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा नगर में रेलवे बिरला (ई. एस. आई.) एवं पुलिस विभाग के तीन तथा दो शासकीय औषधालय भी उपलब्ध हैं। नगर में तीन निजी नर्सिंग होम हैं, जिसमें 26 शैय्याओं की व्यवस्था है। इस प्रकार नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 132 शैय्याओं की सुविधा उपलब्ध है। यह अनुपात एक बिस्तर के पीछे 629 व्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 1.6 शैय्याएं उपलब्ध हैं। सामान्य मापदण्ड एवं आसपास स्थित ग्रामीण जनसंख्या को ध्यान में लेते हुये नगर में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त है।

#### 3.22 शिक्षा :



नगर में स्थित स्नातक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध है। वाणिज्य महाविद्यालय मुख्तियारगंज के समीप एक किराये के भवन में स्थित है। अपर्याप्त जगह के कारण इसका स्थान अनुपयुक्त है। विज्ञान महाविद्यालय बस स्टेन्ड के समीप एवं कला महाविद्यालय रीवा मार्ग पर स्थित है। प्रेमनगर में भी एक कला एवं विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। इसके अलावा नगर में दो तकनीकी संस्थाएं भी हैं जिसमें से आई. टी. आई. सिमरिया मार्ग पर तथा जूनियर टेक्निकल स्कूल सिविल लाईन में स्थित है।

# सतना

## 3-1 सुविधासं

# SATNA

## 3-1 DISPOSITION OF FACILITIES



नगर में 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालय हैं। बहुतांश माध्यमिक विद्यालयों में स्थाव की कमी के कारण माध्यमिक कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि 75% उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 50% माध्यमिक विद्यालयों के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। नगर में 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 6 माध्यमिक विद्यालय किराये के भवनों में लगती हैं। ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल के मैदान की सुविधा से वंचित हैं। स्टेशन मार्ग पर स्थित एम. एल. बी. गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल निरन्तर वाणिज्यिक गतिविधियों एवं वाहनों के कारण अनुपयुक्त स्थान पर स्थित है। बहुतांश माध्यमिक शालाओं में प्राथमिक कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। इसके अलावा नगर में 28 प्राथमिक शालाएं हैं जिनमें से 50% शालाओं के पास खेल मैदान नहीं है।

### 3.23 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं :

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं नगर की इन गतिविधियों की समुचितता दर्शाती हैं। इन गतिविधियों के कारण लोगों में आपसी मेलजोल एवं भावनात्मक एकता निर्मित होती है। सतना नगर में एक टाउन हाल, 4 क्लब, 5 पुस्तकालय एवं 2 वाचनालय हैं।

### 3.24 सार्वजनिक मेला स्थान :

नगर में मकर संक्रान्ति के पर्व पर खिचड़ी मेला मैदान में हर साल एक सार्वजनिक मेला लगता है। यह स्थान नदी के किनारे स्थित है।

### 3.25 आमोद-प्रमोद :

किसी समय सतना उद्यानों के नगर के रूप में विख्यात था। लेकिन वर्तमान में इस नगर में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। नगर में केवल दो छोटे पार्क हैं, इनमें से एक शराब कारखाने के पीछे एवं दूसरा सिविल लाईन में है। इसके अलावा नगर में 4 बाल उद्यान सिमरिया मार्ग, बलदेव नगर कालोनी, सीमेन्ट फैक्ट्री एवं केवल फैक्ट्री बस्ती में स्थित हैं। नगर में 5 खुले स्थान हैं, जिनमें दो केवल फैक्ट्री कालोनी में स्थित हैं। सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र में एक स्टेडियम है। नगर में एक खेल का मैदान वार्ड नं. 12 में एवं अन्य दो खेल के मैदान क्रमशः रेलवे कालोनी एवं बिरला नगर में स्थित हैं। इस प्रकार नगर में आमोद-प्रमोद की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

### 3.26 अन्य सेवा सुविधाएं :

(अ) डाक एवं तार.—नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में जयस्तंभ के समीप एक केन्द्रीय डाक एवं तार कार्यालय स्थित है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में 5 उप डाकघर हैं। नगर में 918 कनेक्शनों वाला एक टेलीफोन एक्सचेंज स्टेशन मार्ग पर स्थित है।

(ब) पुलिस स्टेशन.—नगर में सिटी कोतवाली एवं कोलगवां इस प्रकार दो पुलिस स्टेशन हैं।

(स) अग्निशमन केन्द्र.—नगर निगम का एक अग्निशमन केन्द्र जगतदेव तालाब के समीप स्थित है। प्रस्तावित विकास को ध्यान में लेते हुये इस केन्द्र का वर्तमान स्थान अनुपयुक्त प्रतीत होता है।

(द) कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट.—नगर में इस प्रकार के तीन स्थान हैं। ये स्थान क्रमशः मैहर मार्ग पर कोलगवां थाने के पीछे एवं धवारी तालाब के समीप स्थित है। कोलगवां थाने के पीछे स्थित श्मशान घाट से पर्यावरण समस्याएं निर्मित

होती रहती हैं। एक कब्रिस्तान ओव्हरब्रिज के दक्षिण में रेलवे क्षेत्र में स्थित है। नगर में दो कब्रिस्तान भी स्थित हैं। इसमें से एक हवाई पट्टी के समीप होने से अनुपयुक्त है। एक अन्य कब्रिस्तान महदेवा ग्राम में है।

( इ ) धोबी घाट.—नगर में दो धोबी घाट हैं एक कोलगवां थाने के पास है जिसे बन्द करना उचित होगा तथा दूसरा सतना नदी के किनारे उपयुक्त स्थान पर है।

( फ ) डेरी एवं पशु पालन.—जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ पशु पालन की गति भी बढ़ रही है। नगर की जनता हेतु दुग्ध पर्याप्त मात्रा में प्रदाय करने हेतु जो भी नगर में पशु पालन गतिविधि आवश्यक है तथापि इससे पर्यावरण एवं यातायात संबंधी समस्याएं भी निर्मित होती रहती हैं। नगर का स्वरूप प्रमुखतः ग्रामीण होने से इस गतिविधि हेतु कोई क्षेत्र नियत न होने से इस गतिविधि हेतु कोई क्षेत्र नियत न होने से इस प्रकार की गतिविधियां पूरे नगर में फैली हुई हैं। अतः इस परिस्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से नगर में संगठित रूप से डेरी फार्म, पशु पालन फार्म एवं पशु चिकित्सालय स्थापित करना जरूरी है।

नगर में वर्तमान में उपलब्ध सेवा सुविधाएं तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या के संबंध में आंकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत हैं। इससे वर्तमान में सेवा सुविधाओं की कमी के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

### सतना : वर्तमान सेवायें एवं सुविधाएं

3-सा-2

सेवाओं के प्रकार	इकाईयों की संख्या	जनसंख्या 1000 प्रति इकाई
(1)	(2)	(3)
<b>(अ) स्वास्थ्य :</b>		
1. सामान्य चिकित्सालय	1	83.0
2. दवाखाना	4	20.7
3. होम्योपैथिक दवाखाना	1	83.0
4. उपचर्या गृह	4	20.7 +
5. चिकित्सालय (पलंग)	132	629 प्रति व्यक्ति पलंग
<b>(ब) शिक्षा :</b>		
1. प्राथमिक शालाएं	28	3.0
2. माध्यमिक शालाएं	15	5.5
3. उच्चतर माध्यमिक शालाएं	12	6.9
4. महाविद्यालय	4	20.7+
5. तकनीकी संस्थान	2	41.5+
<b>(स) सामाजिक सांस्कृतिक :</b>		
1. टाउन हाल	1	83.0
2. क्लब	4	20.7
3. पुस्तकालाय	5	16.6
4. वाचनालय	2	41.5

(1)	(2)	(3)
<b>(द) आमोद-प्रमोद :</b>		
1. पार्क (छोटे)	2	41.5
2. शिशु पार्क	4	20.7
3. स्टेडियम	1	83.0
4. खेल के मैदान	1	83.0
5. खेल के स्थान	2	41.5
6. सार्वजनिक सभा स्थान	1	83.0
7. अरेना (सर्कस मैदान)	1	83.0
8. मेला मैदान	1	83.0
9. सिनेमा गृह	4	20.7
<b>(इ) अन्य सेवा सुविधाएं :</b>		
1. डाक एवं तारघर	1	83.0
2. दूरभाष केन्द्र	1	83.0
3. बिजलीघर उपकेन्द्र	2	41.5
4. पुलिस चौक	2	41.5
5. अग्नि शामक केन्द्र	1	83.0
6. उप डाक एवं तारघर	5	16.6

+इन इकाईयों द्वारा नगर के अलावा क्षेत्र को भी सेवा सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं।

**स्त्रोत :** नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्थल सर्वेक्षण।

## (2) यातायात एवं परिवहन :

### परिभ्रमण संरचना :

नगर में यातायात के लिये उपलब्ध स्थान एवं परिभ्रमण संरचना से नगर की कार्यात्मक क्षमता प्रभावित होती है। भूमि उपयोग के माध्यम से अभिव्यक्त अनेक गतिविधियों का परिभ्रमण संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है। यातायात के ढांचे तथा भू-उपयोग का उससे संबंध के बाबत यातायात सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन से नगर में यातायात की समस्याओं के अल्प एवं दीर्घ कालीन हल हेतु मदद मिलेगी।

### 3.3 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना :

नगर में माल और यात्रियों का आवागमन प्रमुखतः परिवहन के दो साधनों रेल तथा सड़क द्वारा होता है। नगर में सन् 1865 में रेल की सुविधा हुई। यह नगर मध्य रेल्वे की ब्राडगेज लाईन पर स्थित होकर सतना से इलाहाबाद, कटनी, जबलपुर, इटारसी, झांसी आदि स्थानों तथा देश के प्रमुख नगरों से भी इस का सम्पर्क रेल द्वारा स्थापित है। इस क्षेत्र के रीवा, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो आदि ऐसे महत्वपूर्ण नगर हैं जिनसे सतना का केवल सड़क मार्ग द्वारा ही सम्पर्क है।

सतना नगर, राज्य राजमार्ग-11 पर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 सतना से 39 कि.मी. दूरी पर बेला नामक स्थान पर, रीवा सतना सड़क पर जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राज मार्ग के कारण सतना का सम्बन्ध देश के उत्तरीय एवं दक्षिणी नगरों से स्थापित हो सका है। संक्षेप में इस क्षेत्र में सड़क परिवहन का महत्व विशेष है।

सतना नगर में नियमित वायुयान सेवा नहीं है, लेकिन यहां हवाई पट्टी अवश्य उपलब्ध है। नगर का दिनों दिन भौतिक विस्तार होने के कारण यह हवाई पट्टी विकसित क्षेत्र के समीप हो गई है।

### 3.31 क्षेत्रीय यातायात ( यात्री ) :

बघेल खण्ड क्षेत्र का प्रमुख नगर होने के साथ-साथ सतना राजमार्ग पर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित होने से यहां माल एवं यात्री यातायात सभी दिशा से होता रहता है। यातायात के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 179 यात्री बसें इस नगर से अन्य नगरों को प्रस्थान करती है तथा इतनी ही बसें बाहर से नगर में आती है।

#### सतना : क्षेत्रीय यातायात ( बसें )

3-सा-3

अनुक्रमांक	मार्ग	औसतन प्रतिदिन	
		आने वाली	जाने वाली
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रीवा-सतना	55	55
2.	सेमरिया-सतना	44	44
3.	चित्रकूट-सतना	19	19
4.	पन्ना-सतना	19	19
5.	मैहर-सतना	42	42
योग . .		179	179

स्रोत : म.प्र. राज्य परिवहन निगम, सतना।

क्षेत्र का सबसे अधिक यातायात सतना-रीवा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण है। क्षेत्र में न्यूनतम यातायात सतना-पन्ना एवं सतना-चित्रकूट मार्ग पर है। सतना से ग्वालियर, नागपुर, भोपाल, इलाहाबाद एवं वाराणसी जैसे लम्बी दूरी पर स्थित स्थानों को बसें उपलब्ध है।

### 3.32 क्षेत्रीय यातायात ( माल ) :


सतना, क्षेत्रीय माल यातायात की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नगर में मुख्यतः कोयला, लोहा एवं कपड़ा की वस्तुओं का आयात होता है, जबकि यहां से सीमेन्ट, पत्थर एवं केबल्स बाहर भेजे जाते हैं। विभाग द्वारा सम्मन्न क्षेत्रीय यातायात सर्वेक्षण से यह देखा गया है कि नगर में प्रति दिन 255 ट्रक आते तथा 219 ट्रक नगर से बाहर जाते हैं। उपरोक्त आंकड़ों में सीधा यातायात के वाहन सम्मिलित नहीं है।

सतना : क्षेत्रीय यातायात ( माल )

3-सा-4

अनुक्रमांक	मार्ग खण्ड	ट्रकों की संख्या ( औसतन प्रतिदिन )	
		आने वाली	जाने वाली
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सतना-पन्ना	65	60
2.	सतना-रीवा	57	43
3.	सतना-चित्रकूट	10	16
4.	सतना-मैहर	43	46
5.	सतना-सेमरिया	80	54
योग . .		255	219

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा यातायात सर्वेक्षण.



### 3.33 सीधी यातायात :

मैहर से सतना की ओर आने वाला सीधा यातायात मध्य क्षेत्र से गुजरता है। इसी प्रकार सभी दिशाओं से मैहर की ओर जाने वाला यातायात भी, नगर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से गुजरता है। निम्न सारणी से यह बात स्पष्ट है कि इस सीधे यातायात की मात्रा वर्तमान में इतनी अधिक नहीं है तथापि भविष्य की दृष्टि से सीधे यातायात हेतु एक उपमार्ग प्रस्तावित करना उचित होगा।

#### सतना : सीधा यातायात

3-सा-5

अनु क्रमांक	मार्ग खण्ड से	मार्ग खण्ड को (प्रतिदिन)				
		सतना पन्ना	सतना रीवा	सतना चित्रकूट	सतना मैहर	सतना सेमरिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पन्ना-सतना	-	64	1	3	-
2.	रीवा-सतना	24	-	1	6	-
3.	चित्रकूट-सतना	-	1	-	3	1
4.	मैहर-सतना	6	4	3	-	-
5.	सेमरिया-सतना	5	12	-	4	-
योग		35	81	5	16	1

स्रोत : क्षेत्रीय यातायात सर्वेक्षण, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा (दिसम्बर, 1978)

### 3.4 नगरीय परिभ्रमण संरचना :

नगर की परिभ्रमण संरचना वर्तमान राजमार्ग क्रमांक-11 एवं स्थानीय क्षेत्रीय मार्ग पर प्रमुख रूप से आधारित है। नगर का बहुतांश विकास राजमार्ग क्रमांक-11 के दक्षिण में हुआ है। मेहर मार्ग राजमार्ग से समकोण बनाकर मिलता है तथा मध्य क्षेत्र से गुजरता है। नगर की बहुतांश आबादी इस मार्ग के पूर्व में आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप स्थित है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्ड, गल्ला मण्डी, सब्जी मण्डी आदि गतिविधियां इसी स्थान पर स्थित हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र एवं रेलवे कालोनी में स्थित सड़कों का ढांचा बहुत कुछ ग्रीड आयरन पैटर्न से मिलता जुलता है। रेलवे कालोनी विरल बसी होने के कारण इसके आसपास अनियोजित विकास बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। सेमरिया मार्ग राजमार्ग पर न्यून कोण बनाकर मिलता है। चित्रकूट मार्ग भी राजमार्ग पर सरल कोण बनाकर मिलता है। हाल ही के वर्षों में सिविल लाईन में एवं सेमरिया चौक पर विकास हुआ है। सेमरिया चौक प्रभावकारी रूप से रेलवे स्टेशन से कंवरराम टॉकज मार्ग होते हुये सीधे जुड़ जाने के कारण यह चौक एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है।

क्षेत्रीय मार्गों की चौड़ाई नगर के अतिरिक्त यातायात की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसी प्रकार अर्न्तनगरीय मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई की भविष्य के कार्यकलाप एवं यातायात को ध्यान में लेते हुये बढ़ाया जाना आवश्यक है।

# सतना

3-3 वर्तमान यातायात संरचना

# SATNA

3-3 EXISTING CIRCULATION PATTERN



### 3.41 यातायात उत्पादक केन्द्र :

नगरीय बसाहट में कार्य केन्द्र आमोद-प्रमोद के केन्द्र एवं यातायात केन्द्र आदि ऐसे स्थान होते हैं, जहां से माल, यात्री एवं मिश्रित यातायात उत्पन्न होते हैं। कार्य केन्द्रों एवं यातायात केन्द्रों से नियमित रूप से यातायात निर्मित होती है, जबकि अन्य केन्द्रों से सामयिक यातायात निर्मित होती है। नगर के पुराने मार्ग, स्टेशन मार्ग, चौक बाजार, जय स्तंभ, चांदनी टाकीज मार्ग एवं कंवरराम टाकीज मार्ग आदि ऐसे प्रमुख मार्ग हैं, जहां से सबसे अधिक यातायात निर्मित होती है। गल्ला मण्डी, जिला कार्यालय, स्टेशन मार्ग औद्योगिक क्षेत्र आदि अन्य ऐसे स्थान हैं, जहां से यात्री एवं माल यातायात पर्याप्त मात्रा में निर्मित होता है। पन्ना एवं रीवा से होने वाले माल यातायात जो पूर्व एवं पश्चिम दिशा में जाते हैं। नगर में राजमार्ग के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार नगर में उत्तर से माल यातायात का प्रवेश सेमरिया मार्ग से तथा दक्षिण से मेहर मार्ग से होता है तथा ये दोनों क्षेत्रीय मार्ग राजमार्ग को मिलाते हैं।

### 3.42 यातायात अवसान केन्द्र :

नगर में बस स्टेन्ड एवं रेलवे स्टेशन ये दो स्थान यातायात केन्द्र के रूप में हैं। नगर में माल यातायात हेतु एक संगठित केन्द्र का अभाव है जहां ट्रक आदि खड़े किये जा सकें।

बस स्टेन्ड नगर के मध्य क्षेत्र में स्टेशन मार्ग पर स्थित है। यद्यपि यह रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह समन्वय स्थापित कर कार्यरत है तथा मध्यवर्ती वाणिज्यिक क्षेत्र के समीप है, लेकिन पहुंच मार्गों की बाधा, धनी वाणिज्यिक बस्ती में होने के कारण एवं दुर्घटनाओं की संभावना के कारण इसे सेमरिया चौक में स्थानान्तरित किया गया है। इसके अलावा निजी बस कम्पनियों द्वारा भी इस बस स्टेन्ड को उपयोग में लाया जाता था। भविष्य में प्रतिदिन बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुये यह स्थान इस गतिविधि हेतु अपर्याप्त है। अतः इस बस स्टेन्ड को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान रेलवे स्टेशन में केवल एक ही प्लेटफार्म होने के कारण एक तरफ से ही आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे कालोनी एवं उसके आसपास विकसित हुई नई आबादी को रेलवे स्टेशन से सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक अतिरिक्त प्लेटफार्म का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

जहां तक अग्रोषण अभिकरणों (फारवर्डिंग एजेन्सी) का प्रश्न है, इसके कार्यालय पूरे मध्यवर्ती क्षेत्र में स्टेशन मार्ग पर स्थित है। इस कारण मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर बड़ी मात्रा में ट्रक खड़े होने से सम्पूर्ण क्षेत्र में भीड़-भाड़ बनी रहती है। अतः इन अभिकरणों को संगठित रूप से ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में एक स्थान नियत करना जरूरी है।

### 3.5 परिवहन के साधन :

नगरों में सामान्यतया यातायात विषमता पाई जाती है। यात्री एवं माल वहन करने वाले छोटे-बड़े तथा धीमे और तीव्र गति के वाहन एक साथ ही मार्ग पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार यातायात के मिश्रित स्वरूप के कारण मार्गों की यातायात क्षमता प्रभावित होती है।

#### 3.5.1 धीमी गति वाले वाहन :

नगर में सन् 1971 में धीमी गति वाले वाहनों की संख्या 347 थी, वह 1977 में 1235 हो गई। इस प्रकार इसी कालावधि में प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे 5.6 वाहनों से बढ़कर 16.5 तक पहुंच चुका है। नगर में संकरी गलियों में भी सुगमता से पहुंच प्राप्त करने की दृष्टि से साईकिल रिकशा यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। नगर में सन् 1971 में साईकिल रिकशाओं की संख्या 106 थी, और 1977 में 971 पहुंच गई। यह संभावना है कि इन साईकिल रिकशाओं का स्थान आटो रिकशाओं द्वारा लिया जा सकेगा। लेकिन पेट्रोल की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में लेते हुये यह बदलाव अत्यन्त धीमे ही संभव है। नगर में हाथ ठेलों की वृद्धि हो रही है। सन् 1965 में हाथ ठेलों की संख्या 202 थी वह सन् 1977 में 263 तक पहुंच चुकी है। हाथ ठेला परिवहन का सस्ता साधन होकर इसकी पहुंच वाणिज्यिक एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित संकरी गलियों में आसानी से है।

### 3.52 तीव्र गति वाहन :

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से तीव्र गति वाहनों की संख्या के संबंध में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे सम्पूर्ण सतना जिला हेतु हैं। तथापि इन आंकड़ों से सन् 1971 से 1978 तक सतना नगर में तीव्र गति के वाहनों में हुई वृद्धि के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि सम्पूर्ण सतना जिले में केवल सतना नगर ही प्रमुख शहर है। जहां तक बसें और ट्रकों का प्रश्न है, इसकी वृद्धि विशेष प्रतीत नहीं होती, लेकिन इन वाहनों की संख्या से इस जिले में भारी यातायात का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी यहां नगर वाहन का प्रचलन नहीं है लेकिन नजदीक भविष्य में स्थानीय बस वाहन सेवा शुरू होने की संभावना है। कारों एवं टैम्पों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। जबकि सायकिलें और स्कूटरों की संख्या में विगत आठ वर्षों में तीन गुना वृद्धि देखी गई है।

तीव्र गति वाहनों के सम्बन्ध में सन् 1971 से 1978 तक की कालावधि के आंकड़े निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत हैं:—

#### सतना : तीव्र गति वाहनों का विकास

3-सा-6

वर्ष	कार एवं टैम्पों	मोटर सायकल एवं स्कूटर	ट्रक	बस	आटो-रिक्शा	अन्य	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1971	682	543	604	112	3	117	2061
1972	752	663	616	115	3	99	2248
1973	822	790	636	116	-	231	2595
1974	850	877	657	117	1	257	2759
1975	861	1020	663	11	2	273	2830
1976	876	1291	656	117	4	310	3254
1977	872	1395	673	119	1	332	3392
1978	877	1556	675	141	10	399	3658

स्रोत : क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारी रीवा।

### 3.6 यातायात सर्वेक्षण एवं समस्याएं :

इस विभाग द्वारा यातायात की मात्रा, स्वरूप, दुर्घटना वाले स्थान, पार्किंग स्थल संबंधित बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित परिच्छेदों में इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं सर्वेक्षण हेतु अपनाई गई पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत है।

#### 3.61 यातायात की मात्रा :




नगर के प्रमुख मार्गों पर यातायात की मात्रा जानने हेतु दिसम्बर, 1978 में पुलिस विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण किया गया था यातायात गणना का संचालन एक ही दिन में 23 बिन्दुओं पर किया गया। उच्चतम यातायात प्रहर सुबह 11.00 से 12.00 तथा सायंकाल 6.00 से 7.00 बजे तक रहता है। विभिन्न मार्गों के विभिन्न खण्डों में धीमी एवं तीव्र गति वाहनों

# सतना

3.4 यातायात आयतन

# SATNA

3-4 TRAFFIC VOLUME  
(PEAK HOUR)



हेतु विभिन्न उच्चतम यातायात प्रहर देखे गये हैं. उच्चतम यातायात प्रहर सायंकाल 6.00 से 7.00 बजे तक तीव्र गति वाहनों हेतु 5 बिन्दुओं पर तथा मन्द गति वाहनों हेतु 3 बिन्दुओं पर देखा गया है. दोपहर 3.00 से 4.00 बजे तक उच्चतम यातायात प्रहर मन्द गति वाहनों हेतु 4 बिन्दुओं पर परिलक्षित हुआ. सभी प्रमुख क्षेत्रीय मार्गों, सेमरिया चौक की ओर जाने वाले मार्गों तथा मध्यवर्ती क्षेत्र के बाहरी सीमा वाले निम्नलिखित मार्गों पर उच्चतम यातायात देखी गई:—

1. रीवा-पन्ना मार्ग
2. सेमरिया-सतना मार्ग
3. पुरानी कोतवाली-मैहर नाका
4. स्टेशन मार्ग
5. कंवरराम टाकिज मार्ग
6. बस स्टेन्ड-सर्किट हाऊस
7. जयस्तंभ-बस स्टेन्ड
8. पुरानी कोतवाली-छोटी सब्जी मण्डी.

विभिन्न मार्गों पर उच्चतम यातायात प्रहर की यातायात तथा मार्गों की यातायात क्षमता के संबंध में आंकड़ें एक सारणी में प्रस्तुत किये गये हैं. तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से सभी प्रकार के वाहनों की संख्या को एक ही इकाई में परिवर्तित किया गया है. इस इकाई को "प्रति कार इकाई" कहेंगे, परिवर्तन गुणांक हेतु वाहन द्वारा एक इकाई की दूरी तय करने में एक कार की तुलना में कितनी जगह व समय लगता है, इस आधार पर निश्चित किया गया है. यह गुणांक सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किये गये आधार पर दिये गये हैं.

### 3.62 मार्गों की क्षमता :

किसी मार्ग की यातायात क्षमता, यातायात की मात्रा, तथा मार्ग की ज्यामितीय पर निर्भर करती है. इसके अलावा संपूर्ण मार्ग में सभी स्थानों पर एक सी चौड़ाई यातायात का प्रकार आदि बातों पर वहन क्षमता निर्भर करती है. मार्गों की यातायात वहन क्षमता ज्ञात करने के लिये उच्चतम यातायात प्रहर की यातायात की मात्रा तथा मार्ग की ऐसी चौड़ाई जो वाहन आवागमन हेतु उपलब्ध हो, को विचारार्थ लेना प्रासंगिक होगा. एक मार्ग पट्टी (केरेजे वे) की यातायात क्षमता 500 कार इकाई \*प्रति घण्टा आंकी गई.

\*परिवर्तन गुणांक :—

कार-1, बैलगाड़ी-6.0, ट्रेक्टर-3.0, तांगा-3.0, ट्रक और बस-2.5, हेन्डकार्ट-2.5, टैम्पो-1.25, रिक्शा-1.0, स्कूटर्स/मोटर सायकिल 0.75, सायकिल 0.33.

सतना : यातायात घनत्व एवं मार्गों की क्षमता

3-सा-7

क्र.	मार्ग खण्डों के नाम	औसतन मार्ग चौड़ाई (मीटर में)	द्रुतगामी वाहनों की आवागमन हेतु उपलब्ध मार्ग (केरेज वे)	उच्चतम यातायात (प्रतिकार इकाई में)	मार्ग याता- यात क्षमता (प्रतिकार इकाई में)	अतिभार (प्रतिकार इकाई में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	चित्रकूट नाका पन्ना मार्ग	9.0	1.5	100	750	-
2.	धवारी मार्ग पन्ना मार्ग	10.0	2.0	297	1000	-
3.	पुरानी कोतवाली धवारी मार्ग	10.0	2.0	283	1000	-
4.	सर्किट हाऊस धवारी मार्ग	13.8	2.5	320	1250	-
5.	सेमरिया-चौराहा सर्किट हाऊस	10.0	2.0	541	1000	-
6.	सेमरिया-नाका सेमरिया चौराहा	10.0	1.5	496	750	-
7.	रीवा नाका सेमरिया चौराहा	9.0	1.5	496	750	-
8.	कंवरराम टाकिज सेमरिया चौराहा	8.0	1.5	851	750	101
9.	गल्ला मण्डी कंवरराम टाकिज	10.0	1.5	630	750	-
10.	मछली तालाब स्टेशन मार्ग	7.0	1.0	339	500	-
11.	बस स्टेन्ड कंवरराम टाकिज	10.0	1.5	829	750	79
12.	हनुमान चौक नगर पालिका	7.8	2.0	365	1000	-
13.	जय स्तंभ चिकित्सालय, चौराहा	9.0	1.5	727	750	-
14.	स्टेशन मार्ग चिकित्सालय चौराहा	9.0	2.0	640	1000	-
15.	बिहारी चौक हनुमान चौक	6.5	1.5	341	750	-
16.	टिकुरिया टोला जय स्तंभ	9.0	1.5	527	750	-
17.	गल्ला मण्डी स्टेशन मार्ग	9.0	2.0	717	1000	-
18.	डिस्टीलेअरी बिहारी चौक	9.0	1.5	825	750	75
19.	मैहर नाका पुरानी कोतवाली	8.5	1.5	1027	750	277
20.	जय स्तंभ पुरानी कोतवाली	10.0	1.5	1218	750	468
21.	जय स्तंभ छोटी सब्जी मंडी	10.0	1.5	706	750	-
22.	बस स्टेण्ड जय स्तंभ	9.5	1.5	1881	750	1131
23.	सर्किट हाऊस बस स्टेन्ड	13.0	2.5	2090	1250	840

स्त्रोत : सर्वेक्षण, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा.

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विभिन्न मार्गों पर जो यातायात चल रहा है, उसमें वाहनों की संख्या, क्षमता से अधिक है. मार्गों की चौड़ाई बढ़ाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन यह कार्य बहुत कठिन है मार्गों पर यातायात की अधिकता वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के द्वारा कम करना संभव है. इस कार्यवाही से विशेषतया स्टेशन मार्ग, कंवरराम टाकीज मार्ग एवं मध्यवर्तीय क्षेत्रों के मार्गों में होने वाले यातायात में कमी आ सकती है.

### 3.62 यात्रा गति ( समय-दूरी अध्ययन ) :

यातायात संकुलता के कारण वाहनों की यातायात क्षमता एवं गति भी घटती है. तीव्र एवं मन्दगति वाले वाहन साथ-साथ एक ही मार्ग पर चलने से, असुविधाजनक मार्ग संगमों से एवं मार्गों पर अतिक्रमण आदि कारणों से मार्गों की यातायात क्षमता घटती है. यातायात की गति से मार्ग क्षमता निश्चित की जा सकती है. विभाग द्वारा सम्पन्न समय दूरी अध्ययन से यह स्पष्ट है कि बहुतांश मार्गों पर और विशेषतया मध्यवर्ती क्षेत्रों के मार्गों पर चलने वाले वाहनों की गति वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण बहुत कम है. उच्चतम यातायात प्रहर में बहुतांश वाहनों की गति 10 से 15 कि. मी. प्रति घण्टा देखी गई है. क्षेत्रीय एवं नगर यातायात आपस में मिल जाने के कारण कंवरराम टाकीज मार्ग जो नये बस स्टैण्ड को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है, पर यातायात की गति बहुत धीमी देखी गई है. यात्रियों को एवं सामान को वहन करने में समय लगने से समाज का आर्थिक दृष्टि से नुकसान भी होता है. निम्न सारणी में नगर के प्रमुख मार्गों का समय दूरी अध्ययन प्रस्तुत है.

#### सतना : समय-दूरी अध्ययन

3-सा-8

क्र.	मार्ग खण्ड का नाम	दूरी मीटर में	व्यतीत समय मिनटों में	उच्चतम गति कि.मी. प्रति घण्टा	30 कि.मी. प्रति घण्टे की तुलना में समय की हानि प्रतिशत में	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बांधवगढ़ से सेमरिया चौक	1200	2.45	26.2	15	क्षेत्रीय यातायात स्थानीय यातायात के साथ मिश्रित होता है.
2.	सिमरिया चौक से जगतदेव तालाब.	1200	4.20	16.6	81	नगर का नया बस स्टैण्ड का प्रमुख मार्ग.
3.	जगतदेव तालाब से स्टेशन मार्ग.	600	2.05	17.3	73	रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र मार्ग मिश्रित होता है.
4.	स्टेशन मार्ग से सर्किट-हाऊस.	1060	3.15	19.6	53	क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात मिश्रित होता है.
5.	सर्किट हाऊस चौक से सेमरिया चौक.	1440	3.30	24.7	21	क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात मिश्रित होता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	स्टेशन मार्ग से जय स्तंभ	560	2.10	15.5	93	क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात मिश्रित होता है.
7.	जय स्तंभ से गौशाला	420	1.25	17.7	69	क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात मिश्रित होता है.
8.	गौशाला से सुभाष चौक	360	2.15	9.6	212	केन्द्रीय मार्ग जिसमें प्रमुख गतिविधियां स्थित हैं.
9.	सुभाष चौक से नया नगर निगम कार्यालय	520	3.05	10.1	197	केन्द्रीय मार्ग जिसमें प्रमुख गतिविधियां स्थित हैं.
10.	अस्पताल चौक से जय स्तंभ	5.60	3.00	11.2	257	केन्द्रीय मार्ग जिसमें प्रमुख गतिविधियां स्थित हैं.
11.	जय स्तंभ से मण्डी	540	2.25	13.4	124	कृषि उपज मंडी की ओर जाने वाला प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र मार्ग.
12.	मण्डी से जगत देव तालाब.	680	2.40	15.3	96	मध्यवर्ती क्षेत्र का सीमान्त मार्ग जो कृषि मण्डी को जोड़ता है.
13.	हनुमान चौक के समीप से जिला शिक्षा कार्यालय.	480	3.30	9.9	203	मध्यवर्ती क्षेत्र मार्ग जिसमें प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियां स्थित हैं.
14.	बिहारी चौक से मण्डी	460	2.30	11.0	173	कृषि उपज मंडी की ओर जाने वाला प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र मार्ग.

स्रोत : सर्वेक्षण, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा.

### 3.64 यातायात दुर्घटनाएं :

दुर्घटना स्थलों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि नगर में लगभग 10 स्थान ऐसे हैं, जहां सामान्यतया दुर्घटनाएं होती रहती हैं. एक ही स्थान पर बार-बार दुर्घटनाएं होने से इस बात का संकेत मिलता है कि उस स्थान पर मार्ग मोड़ के रूपांकन में कोई गड़बड़ी है. इस गड़बड़ी को मार्ग ज्यामितीय को सुधार कर या यातायात हेतु संकेत पद्धति अपनाकर ठीक किया जा सकता है. यह देखा गया है कि अधिकतम दुर्घटनाएं रेलवे क्रासिंग, बिरला नगर, रीवा-पन्ना मार्ग, लालता चौक, सेमरिया चौराहा एवं जगतदेव तालाब मार्ग संगम पर घटती हैं. घातक एवं साधारण दुर्घटनाओं में दोनों प्रकार के भारी एवं हल्के वाहन शामिल देखे गये हैं. सन् 1974-78 की कालावधि में नगर में कुल 141 दुर्घटनाएं घटीं जिनमें 21 घातक स्वरूप की थीं. विगत 5 वर्ष की अल्प कालावधि में वार्षिक घातक दुर्घटनाओं की संख्या 3 से 9 तक तथा साधारण दुर्घटनाओं की संख्या 17 से 42 तक पाई गई हैं.

# सतना

3-5 यातायात समस्याएँ

# SATNA

3-5 TRAFFIC PROBLEMS

यातायात बिन्दु

अंधा मोड़

संकीर्ण मार्ग

असुविधाजनक मार्ग संगम

यातायात सकुचन

बसों द्वारा अगम्य क्षेत्र

✕ TRAFFIC POINT


○ BLIND CORNERS

● BOTTLENECKS

⊙ INCONVENIENT JUNCTION

▨ TRAFFIC CONGESTION

▨ AREA INACCESSIBLE BY BUS



सतना : यातायात दुर्घटनाएं

3 सा-9

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		
	घातक	साधारण	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
1974	3	14	17
1975	2	22	24
1976	3	23	26
1977	4	28	32
1978	9	33	42

स्त्रोत : पुलिस विभाग सतना.

3.65 अगम्य क्षेत्र :

मध्यवर्ती क्षेत्र के कुछ मार्गों पर 4 पहिये वाले छोटे वाहन एवं स्कूटर्स आदि न्यूनतम गति पर भी चलाना संभव नहीं होता. अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों को विकेंद्रित किया जाये, ताकि यहां स्थित भीड़-भाड़ कम हो. नगर स्तर पर टिकुरिया टोला, मलाहन टोला एवं खंथी ऐसे कुछ गंदी बस्तियों वाले क्षेत्र हैं, जहां सुगमता से पहुंच संभव नहीं है.

3.66 असुविधाजनक चौराहे एवं अंध मोड़ :

निम्नलिखित असुविधाजनक चौराहे एवं अंध मोड़ों का सुधार आवश्यक है.

(अ) असुविधाजनक चौराहे :

1. सेमरिया चौक
2. पन्ना धावरी मार्ग चौराहा
3. सेमरिया मार्ग चौराहा
4. स्टेशन मार्ग चौराहा
5. पन्नीलाल चौक
6. लालता चौक
7. हनुमान चौक
8. बिहारी चौक
9. पुरानी कोतवाली चौराहा

(ब) अंध मोड़ :

1. जय स्तंभ
2. गौशाला के समीप
3. सर्किट हाऊस के समीप
4. नया तालाब मार्ग चौराहा

### 3.67 संकीर्ण मार्ग :

संकीर्ण मार्गों के कारण यात्रा की गति में निम्न स्थानों पर रूकावटें पैदा होती रहती हैं.

1. स्टेशन मार्ग
2. कंवरराम टॉकीज मार्ग
3. महावीर मार्ग
4. कम्पनी बाग के समीप
5. गणपत मार्ग
6. नया तालाब मार्ग

### 3.7 पार्किंग स्थल :

नगर में वाहनों के पार्किंग हेतु कोई व्यवस्थित स्थान नहीं है. अतः वाहन यत्र-तत्र पार्क होते रहते हैं. मध्यवर्ती क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी, परिवहन अभिकरण, वर्कशाप आदि स्थित होने से सभी स्थानों पर ट्रक पार्क किये जाते हैं. निम्नलिखित स्थानों पर वाहन पार्क किये जाते हैं:—

#### (अ) ट्रक पार्किंग :

1. नया तालाब मार्ग
2. प्रणामी मंदिर मार्ग
3. गल्ला मण्डी मार्ग
4. जय स्तंभ

#### (ब) कार पार्किंग :

1. सेमरिया चौक
2. पन्नीलाल चौक
3. जय स्तंभ

#### (स) रिक्शा पार्किंग :

1. रेलवे स्टेशन
2. सेमरिया चौक
3. हास्पिटल चौक
4. पन्नीलाल चौक
5. कृषि उपज मण्डी के समीप
6. चांदनी टॉकीज के समीप
7. सिविल लाईन्स

#### (द) सायकल तथा स्कूटर पार्किंग :

1. रेलवे स्टेशन
2. सेमरिया चौक
3. पन्नीलाल चौक
4. लालता चौक
5. जय स्तंभ
6. सिविल लाईन्स

---

भाग-दो  
नियोजन प्रस्ताव

---

## नगर की भावी आवश्यकताएं

सतना नगर हेतु विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय नगर के सघन एवं सुव्यवस्थित विकास की कल्पना की गई है, ताकि कार्य कुशलता एवं स्थानात्मक सह संबंध बने रहे तथा अव्यवस्थित फैलाव रोक कर नगर के सौन्दर्य बोध में सुधार किया जा सके. इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नगर की वर्तमान समस्याओं एवं अभावों का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है. नगर की आवास, वाणिज्य, उद्योग एवं नगरीय अधोसंरचना के संबंध में भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये विवेचन निम्न परिच्छेदों में किया जा रहा है.

### 4.1 नगर के मुख्य कार्यकलाप :

नगर की कार्यात्मक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा नियोजन के प्रस्ताव देने के पूर्व यह आवश्यक है कि नगर के मुख्य कार्यकलाप तथा गतिविधियों का, गतिविधि क्षेत्र में स्थित अन्य नगरों से कार्यात्मक सह-संबंध, विकास की नीति, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति आदि के परिपेक्ष्य में निर्धारित किये जावें. निम्नलिखित कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु इस नगर का विकास प्रस्तावित है:—

- (अ) माल के संग्रहण एवं वितरण हेतु व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकास.
- (ब) कृषि एवं खनिजों पर आधारित तथा उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योगों के केन्द्र के रूप में विकास.
- (स) जिला स्तरीय व प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकास.

### 4.2 योजना काल :

आबादी की तुलना एक जीवित अणु से की जा सकती है तथा इस प्रक्रिया में सतत् वृद्धि निहित है. तथापि नगर की विकास योजना हेतु एक विशिष्ट समयावधि निश्चित करना जरूरी है. सामान्यतया यह कालावधि 20 से 25 साल तक प्रस्तावित की जाती है. जहां तक सतना नगर का प्रश्न है, यह कालावधि सन् 2001 तक रखी गई है. विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव केवल विकास योजना की अवधि तक ही सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर के कार्यकलाप योजना काल के उपरान्त भी चलते रहेंगे. इसके अतिरिक्त नगरीय अधोसंरचना के हित में योजना अवधि के उपरान्त काल के लिये भी विचार करना जरूरी है.

विकास योजना प्रस्ताव में यद्यपि नगर की भावी 2 दशकों तक की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है, तो भी प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात् विकास योजना प्रस्ताव की समीक्षा करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि योजना प्रस्ताव निरन्तर बदलती हुई परिस्थितियों से सामंजस्य रख सकें. जहां तक विकास योजना के कार्यान्वयन का प्रश्न है, इस कार्य को पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध करना आवश्यक है ताकि योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक राशि तथा पंचवर्षीय योजनाकाल में उपलब्ध राशि में सम्बन्ध स्थापित हो सकें.

### 4.3 भावी जनसंख्या :

आवास, सार्वजनिक सेवा सुविधायें, नगर तथा उसके प्रभाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर प्रावधानित की जाती

है. जनसंख्या का अनुमान नगर की तथा भूमि की आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु आवश्यक है. नगर की भावी जनसंख्या का ठीक से अनुमान लगाना कठिन कार्य है, क्योंकि यह अनुमान कई बातों पर निर्भर करता है. जिनमें शासकीय नीति में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के सम्बन्ध में परिवर्तन भी शामिल है. तथापि विकास योजना के लिये भावी जनसंख्या का अनुमान मौटे तौर पर ही पर्याप्त है क्योंकि आगामी योजना हर पांच साल के बाद संशोधित की जा सकती है, ताकि परिवर्तित परिस्थितियों से समन्वय किया जा सके.

जनसंख्या वृद्धि के अनुमान सामान्यतः पूर्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में लेकर लगाया जाता है. नगर की भावी जनसंख्या का अनुमान लगाने हेतु निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया गया है:—

(अ) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति.—यह पद्धति पिछले दशकों में जनसंख्या में हुई औसत वृद्धि की दर पर आधारित है. इस पद्धति में यह माना जाता है कि पूर्व के 2-3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की जो गति परिलक्षित हुई है, वहीं भविष्य की वृद्धि को भी प्रभावित करती रहेगी.

(ब) वक्र रेखा पद्धति.— इस पद्धति में पूर्व दशकों की जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या अनुमानित की जाती है. इस प्रकार का अनुमान लगाते समय यह मान्य है कि पिछली जनगणनाओं में दर्शित जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है.

(स) अनुपात पद्धति.—इस पद्धति में भावी जनसंख्या का अनुमान एक बड़े क्षेत्र में नगर क्षेत्र के संभावित अनुमान के आधार पर लगाया जाता है. जहां तक सतना नगर की भावी जनसंख्या का अनुमान है, यह अनुमान सतना जिले की भावी नगरीय जनसंख्या तथा उसमें समाविष्ट सतना नगर की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लगाया गया है. यह अनुमान लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस अंश में पिछले तीन दशकों में कितना परिवर्तन देखा गया है.

(द) तुलनात्मक ग्राफ पद्धति —इस पद्धति में जिस नगर हेतु भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना है, उसी आकार एवं विशेषताओं वाले नगरों की जनसंख्या का पिछले दो-तीन दशकों में जनसंख्या में हुये परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. सतना नगर हेतु इस प्रकार का अध्ययन करते समय राज्य के रायपुर, उज्जैन एवं बिलासपुर नगरों का चयन किया गया है. विभिन्न पद्धतियों द्वारा सतना नगर की भावी जनसंख्या का अनुमान निम्न सारणी में दर्शाया गया है:—

#### सतना : जनसंख्या अनुमान

4-सा-1


क्रमांक	विधि	1981 जनसंख्या	जनसंख्या अनुमानित	
			1991	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ज्यामितीय बर्हिवेशन पद्धति	0.96	1.40	2.39
2.	वक्ररेखा असांजन पद्धति	0.96	1.13	1.50
3.	अनुपात पद्धति	0.96	1.42	2.09
4.	तुलनात्मक ग्राफ पद्धति	0.96	1.47	2.14
औसतन जनसंख्या		0.96	1.40	2.20

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमानित.

## SATNA

### 4-1- POPULATION PROJECTION

YEAR POPULATION  
2001 - 220 LAKH



उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विकास योजना हेतु सन् 2001 के लिये 2.20 लाख जनसंख्या अनुमानित करना तर्कपूर्ण है यह अनुमान भूतकालीन जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति नगर के भावी कार्यकलाप तथा क्षेत्र का संभावित नगरीयकरण आदि बातों को लेकर लगाया गया है.

#### 4.31 आयु एवं लिंग अनुसार वितरण :

आयु एवं लिंग अनुसार जनसंख्या का अनुमान लगाते समय वर्तमान में सम्पूर्ण जनसंख्या में विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या ध्यान में रखी जाती है. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसार 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या में कुछ कमी आ जाने की संभावना है. परिवार का आकार छोटा होने से एवं रोजगार के अवसरों में सुधार आने से युवा एवं मध्यम आयु की जनसंख्या में वृद्धि होने की भी संभावना है. वृद्ध स्त्री-पुरुषों की जनसंख्या में सुविधाओं में एवं पर्यावरण में सुधार आने के कारण वृद्धि अनुमानित है. यह भी अनुमानित है कि सम्पूर्ण आयु समूह में जनसंख्या का विभाजन निम्नानुसार रहेगा:—

	आयु समूह	जनसंख्या का प्रतिशत
1.	0-14 (बालक)	39%
2.	15-34 (युवा)	34%
3.	35-59 (प्रौढ़)	22%
4.	60 से अधिक (वृद्ध)	5%

विभिन्न आयु समूहों हेतु आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाने के कारण स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार होने की संभावना है। सन् 1971 में नगर में स्त्री-पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिये 787 था, जो विकास योजना काल तक 840 पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में आयु समूह में स्त्री-पुरुष में अन्तर दिखाई देता है, वह कायम रहने की संभावना है। उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में लेते हुए, आयु एवं लिंग अनुसार सन् 2001 में जनसंख्या का अनुमान निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है:—

**सतना : आयु एवं स्त्री-पुरुष अनुसार अनुमानित जनसंख्या 2001**

4-सा-2

विस्तृत आयु समूह	आयु समूह (शिक्षा स्तर के अनुसार वर्गीकृत)	पुरुष	स्त्री	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालक	0-4	0.17	0.15	0.32
(0-14)	5-14	0.28	0.26	0.54
युवा	15-19	0.10	0.08	0.18
(15-34)	20-24	0.11	0.09	0.20
	25-34	0.21	0.16	0.37
प्रौढ़	35-59	0.27	0.21	0.48
वृद्ध	60+	0.06	0.05	0.11
योग	-	1.20	1.00	2.20


**4.32 अनुमानित व्यावसायिक संरचना :**

व्यावसायिक संरचना से नगर के आर्थिक ढांचे एवं कार्यकलापों का पता चलता है। विभिन्न गतिविधियों हेतु स्थान की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कितने लोग कार्यरत रहेंगे, यह जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के दिनों दिन अधिक संख्या में व्यवसाय में सम्मिलित होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में जो परिवर्तन होने वाला है उसको भी भली भांति ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार लोगों में दिनों दिन बढ़ती हुई जागरूकता एवं शिक्षा के प्रसार के कारण अवयस्क लोगों का व्यावसायिक संरचना में उनका स्थान नगण्य रहेगा। सतना नगर हेतु व्यावसायिक संरचना में सहभागिता दर सन् 1971 की जनगणना के अनुसार जो 30.6% थी, वह योजना काल में 31% पहुंचने की संभावना है। बाण सागर परियोजना पूर्ण हो जाने के पश्चात् सतना नगर के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने की संभावना पूर्व में ही व्यक्त की जा चुकी है तथापि नगर में आर्थिक गतिविधियों में कमी आने की तथा द्वितीयक क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में स्थिति यथावत् रहने की संभावना है। विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में लेते हुये विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत सन् 2001 में क्रमशः 4%, 31% एवं 65% रहने की संभावना है, इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत हैं:—

सतना : अनुमानित व्यावसायिक संरचना ( 2001 )

4-सा-3

वर्ग/आर्थिक क्षेत्र	कुल श्रमिकों में श्रमिकों का प्रतिशत		श्रमिकों की संख्या	
	1971	2001	1971	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्राथमिक क्षेत्र	7.5	4.0	1417	2728
घरेलू उद्योग	5.7	7.0	1096	4774
निर्माण उद्योग	20.2	21.5	3842	14663
निर्माण	1.6	2.5	308	1705
द्वितीयक क्षेत्र	27.5	31.0	5246	21142
वाणिज्य एवं व्यापार	19.9	20.0	3788	13640
परिवहन, सग्रहण एवं संचार	14.0	14.0	2664	9548
अन्य सेवाएं	31.1	31.0	5929	21142
तृतीयक क्षेत्र	65.0	65.0	12381	44330
महायोग	100.0	100.0	19044	68200



4.4 अनुमानित आवास आवश्यकता :

सन् 1971 तक 4830 आवासीय इकाईयों की कमी का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है. नगर में मकानों की कमी के कारण नगर के विभिन्न भागों में ऊंची अधिवासी दर होने के साथ-साथ नगर में संकुलन तथा गंदी बस्तियां निर्मित हुई हैं.

भविष्य में मकानों की आवश्यकता का जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, मकानों की हालत जर्जर होने के कारण रहने के लिये उनकी कमी, परिवार के सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन एवं संयुक्त परिवारों की टूटने की प्रक्रिया आदि बातों पर निर्भर है। सन् 1971 की जनगणना अनुसार परिवार का आकार 4.4 व्यक्ति था। जहां तक अधिवासी दर का प्रश्न है, एक मकान में 7.2 व्यक्ति निवास करते पाए गये हैं। मकानों के बारे में सतना नगर की पूर्व कमी मालूम करने के लिये 125 परिवारों के लिये 100 मकानों का मानक माना गया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण परिवारों में 80% परिवार ऐसे हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र इकाईयां पसंद करते हैं। दिनों दिन बढ़ते हुये किराये के कारण एक से अधिक परिवारों द्वारा एकत्र रहने की प्रथा जारी रहने की संभावना है तथापि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आने के कारण स्वतंत्र इकाईयों की आवश्यकता सन् 1991 में 85% तथा सन् 2001 में 90% पहुंचने का अनुमान है। आवासीय इकाईयों की आवश्यकता अनुमानित करते समय मकानों की पूर्व की कमी तथा हर साल 1% मकान टूट-फूट के कारण आवास हेतु निरूपयोगी होते रहेंगे। इन बातों को ध्यान में लेते हुये नगर में सन् 2001 में 37720 आवासीय भवनों की आवश्यकता होगी, ऐसा अनुमान है। इस सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत हैं:—

**सतना : अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता**


4-सा-4

क्रमांक	विवरण	वर्ष		
		1971	1991	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनसंख्या	0.62	1.40	2.20
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	-	0.78	0.80
3.	औसत परिवार आकार	4.4	4.5	4.5
4.	अतिरिक्त परिवार	-	17330	17780
5.	2001 में 90% एवं 1991 में 85% की कमी सहित आवास इकाईयों की आवश्यकता.	-	14730	16000
6.	पिछले शेष सहित आवास इकाईयों की कुल मांग.	4830*	19560	35560
7.	प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से टूटे-फूटे मकानों के लिये प्रतिस्थापन.	-	1440	2160
पिछले शेष सहित कुल मांग		4830	21000	37720

\* 1971 पिछला शेष

## SATNA

### 4-3-HOUSING REQUIREMENT



#### 4.41 आवास का प्रकार :

आवास गृहों की आवश्यकता समस्त आय समूह हेतु अनुमानित है। तथापि समाज के विभिन्न आय समूह जैसे अल्प-आय समूह, निम्न आय समूह, मध्यम आय समूह, उच्च आय समूह आदि हेतु अलग-अलग कितने मकानों की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना भी जरूरी है। मकान हेतु भूमि की आवश्यकता एवं मकान का आकार, परिवार की आर्थिक परिस्थिति से सीधा संबंध होता है। एक कमरा, दो कमरे, तीन कमरे एवं चार कमरे वाले मकानों में मोटे तौर पर निवास करने वाले परिवारों के संबंध में अनुमान लगाने पर यह अनुमानित है, कि समाज के कमजोर वर्गों हेतु 15840 इकाईयां, एवं अल्प आय समूह हेतु 12070 इकाईयां, मध्यम आय वर्ग हेतु 7545 इकाईयां एवं उच्च आय समूह हेतु 2265 इकाईयां की आवश्यकता अनुमानित है। विभिन्न आय वर्गों हेतु मकानों की आवश्यकता अनुमानित करते समय उपरोक्त आय वाले समूह में क्रमशः 42%, 32%, 20% एवं 6% जनसंख्या विभाजित है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन आवास इकाईयों हेतु भूमि की आवश्यकता का अनुमान गृह निर्माण एवं नगरीय अधोसंरचना के अध्याय में लगाया गया है।

#### 4.42 आवासीय भूमि की आवश्यकता :

सतना नगर का स्वरूप ग्रामीण होकर लोग बहुमंजिले मकान के आदी नहीं है। नगर में रियायशी मकानों की कमी होकर असामान्य अधिवासी दर एवं आवासीय घनता से गंदी-बस्तियों का आभास होता है। आवासीय उपयोग हेतु प्रति एक हजार व्यक्तियों द्वारा 2.26 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है, जो बहुत ही अपर्याप्त है। आवासीय उपयोग हेतु भूमि का अनुमान लगाते समय सामाजिक प्रवृत्ति तथा लोगों की आर्थिक दशा के साथ-साथ नगर में वर्तमान में मकानों की कमी आदि बातों को भी ध्यान में रखा गया है। अतः आवासीय भूमि की आवश्यकता प्रति 1000 व्यक्ति हेतु 4.09 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उपरोक्त अनुमान से प्रति हेक्टेयर सकल आवासीय घनता 244 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो जावेगी जबकि वर्तमान में यह 500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। अतः योजना काल में अनुमानित 2.20 लाख जनसंख्या हेतु आवासीय उपयोग हेतु 901 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता अनुमानित है।

#### 4.5 व्यापार तथा वाणिज्य :

नगर का महत्व प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार एवं वाणिज्य केन्द्र के रूप में कायम रहेगा. वर्तमान में वाणिज्य उपयोग के अन्तर्गत प्रति 1000 व्यक्ति 0.29 हेक्टेयर भूमि है, जो अपर्याप्त है व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत श्रमिकों की भूमि उपयोगिता दर 1000 श्रमिकों के पीछे 6.4 हेक्टेयर है. यह दर इन्दौर एवं उज्जैन नगरों की तुलना में अधिक तथा देवास नगर की तुलना में कम है. तथापि सतना में कार्यरत कुल श्रमिकों के 19.9% श्रमिक व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत है, जबकि देवास में यह प्रतिशत केवल 13.8% है. अतः वाणिज्य उपयोग हेतु प्रति 1000 व्यक्तियों के लिये 0.65 हेक्टेयर की दर से भूमि प्रस्तावित है. इस प्रकार योजनाकाल में अनुमानित जनसंख्या हेतु वाणिज्यिक उपयोग हेतु लगभग 145 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी.

#### सतना : व्यापार एवं वाणिज्य हेतु भूमि की आवश्यकता

4-सा-5

क्रमांक	संस्थान	विवरण	आवश्यक क्षेत्र (हेक्टर्स में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनाज मण्डी	वर्तमान कृषि उपज मण्डी के लिये निश्चित नया स्थल	10-12
2.	गोदाम एवं शीतगृह	विभिन्न स्थानों पर फैले हुये	6-8
3.	विशिष्ट बाजार	कपड़ा, हार्डवेयर, सेनिटरी-वेयर, फर्नीचर आदि विक्रय हेतु आर्थिक विशिष्ट बाजारों की आवश्यकता.	5-7
4.	थोक एवं फुटकर बाजार	थोक तथा फुटकर व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यालय हेतु नये केन्द्र.	2-4
5.	यातायात नगर	वर्तमान यातायात अभिकरणों के लिये नये स्थान का प्रावधान	4-6
6.	वर्गीकृत बाजार	भवन निर्माण सामग्री लोहा-इस्पात एवं सेवा कार्य केन्द्र, घास मण्डी एवं कबाड़ी बाजार आदि के लिये नये स्थान का प्रावधान.	3-5
7.	साप्ताहिक बाजार	प्रति निवेश इकाई हेतु 3 स्थान	1/2-1
8.	परिक्षेत्रिक (जिला) बाजार केन्द्र	(तीन इकाईयां) एक प्रति निवेश इकाई हेतु	1-2
9.	खण्ड स्तरीय बाजार केन्द्र	15 हजार जनसंख्या हेतु एक खण्ड स्तरीय दुकान.	1/2-1

#### 4.6 कार्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता :

सतना, जिला मुख्यालय होने से यहां पर राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार एवं स्वायत्त संस्थानों के बहुत से कार्यालय स्थित हैं। सौभाग्य वश सिविल लाईन्स में एक संगठित आफिस काम्पलेक्स उपलब्ध है। तथापि नगर स्थित 80 कार्यालयों में से 32 कार्यालय वर्तमान में किराये के भवनों में हैं। कार्यालयों हेतु सामान्यता किराये का स्थान सिविल लाईन्स या सिमरिया चौक में अधिक पसंद किया जाता है। अतः किराये के भवनों में स्थित कार्यालयों एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कार्यालयीन परिसर स्थापित करने हेतु 10 से 15 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान विकास योजना में बहुत जरूरी है।

#### 4.7 उद्योगों हेतु आवश्यकता :

समृद्ध चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित होने से यह नगर बहुत बड़ा परिवहन केन्द्र बन गया है। इस जिले के औद्योगिक विकास हेतु “औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला” घोषित करना जरूरी है। उद्योगों की दृष्टि से यह नगर उपयुक्त स्थान पर होकर यहां कच्चा माल, बाजार, सस्ती श्रमिक शक्ति, बिजली एवं जल प्रदाय आदि सुविधायें उपलब्ध होने से उद्योगों की स्थापना की बहुत संभावनाएं हैं।

औद्योगिक श्रमिकों की दृष्टि से वर्तमान में प्रति 1000 औद्योगिक श्रमिकों हेतु 9.8 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जो वर्तमान में पर्याप्त है। जहां तक भविष्य की आवश्यकताओं का प्रश्न है, यह अनुमान प्रति 1000 व्यक्ति 1.04 हेक्टेयर की दर से लगाया गया है तथा इस दर से 229 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। भावी औद्योगिक श्रमिकों की संख्या को ध्यान में लेते हुये उद्योगों हेतु भूमि की आवश्यकता वर्तमान दर से लगभग मेल खाती है।

सतना के आसपास चूना पत्थर, गेरू, बाक्साइड आदि खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः इस नगर में कैलशियम-कार्बाइड, अभिक्षेपित चूना, डिस्टेम्पर, रंग एवं एल्यूमिना रिफ्रेक्टोरीज आदि कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में मांग पर आधारित एस्बेस्टास सीमेन्ट शीट्स प्रेशर पाईप, एल. टी. एच. टी. पावर, कैपीसीटर्स, सेनेटरी का सामान, पोलीथीन बेग, पेपर बेग, पेन्ट एवं वार्निश, पैकिंग बाक्स का सामान, स्ट्रॉ बोल्ट, फार्मस्युटिकल फार्मुलेशन एवं कैप्सूल भरना, कृषि औजार, कापियां, डिटर्जेंट्स, पशु आहार, मुर्गी आहार, डबल बॉइलड, लीनसीड आइल तैयार करना आदि कारखाने स्थापित हो सकते हैं। बाण सागर योजना पूरी होने पर कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज पर आधारित परम्परागत उद्योग जैसे—दाल मिल, आइल मिल, आदि की भी अधिक मात्रा में स्थापना हो सकती है।

#### 4.8 नगरीय अधोसंरचना :

##### 4.8.1 यातायात एवं परिवहन :

सतना नगर में लगभग 50 मीटर लम्बी सड़कों का जाल फैला है। जिनमें से बहुतांश सड़के पक्की तथा कुछ डामरीकृत हैं। बहुतांश सड़कों पर फुटपाथ नहीं हैं। धीमी गति वाले वाहनों की संख्या प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे सन् 1971 में 5.6 थी वह सन् 1973 में 16.5 हो गई है। नगर में सायकल एवं सायकल रिक्शा जनप्रिय साधन के रूप में जारी रहने की संभावना है। भविष्य में धीमी गति वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि जारी रहेगी तो भी हाथ ठेलों की जगह आटो-डिलेवरी वेन सायकल के स्थान पर स्कूटर एवं मोपेड, सायकल रिक्शाओं के स्थान पर आटो रिक्शा का भी यातायात में स्थापित होना जारी रहेगा।

योजना काल में नगर में धीमी एवं तीव्र गति वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि का अन्दाज लगाना कठिन है। धीमी गति वाले वाहनों का स्थान धीरे-धीरे तीव्र गति वाले वाहनों द्वारा लेना निश्चित होने से केवल तीव्र गति वाले वाहनों में होने वाली वृद्धि के संबंध में ही अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान जनसंख्या के औसत पर आधारित है। नगरीय जनसंख्या में औसत वृद्धि 10% अनुमानित कर सन् 2001 तक नगर में 5500 तीव्र गति वाहन होने की संभावना है।

तीव्र गति वाले वाहनों की अनुमानित संख्या संबंधी जानकारी निम्न सारणी में प्रस्तुत है:—

**सतना : तीव्र गति वाले वाहनों की अनुमानित संख्या**

4-सा-6

क्रमांक	वर्ग	जिला		नगर में अनुमानित	
		संख्या	1978	1978	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बसें	141	92	175	
2.	ट्रक/माल गाड़ी	675	440	600	
3.	कार/जीप/टेम्पो	877	570	850	
4.	आटो रिक्शा	10	8	100	
5.	स्कूटर/मोटर सायकल	1556	1010	3400	
6.	अन्य वर्ग	399	260	375	
योग		3658	2380	5500	

सन् 2001 में, 1000 जनसंख्या के पीछे 25 वाहन उपलब्ध होंगे, जबकि सन् 1978 में प्रति 1000 जनसंख्या के लिये 30 वाहन थे. दिनों दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुये, सन् 1978 के बाद यह संख्या कुछ कम आंकी जाना ठीक प्रतीत होता है. अतः आगामी वर्षों में सड़कों पर इन अतिरिक्त वाहनों को चलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि इन वाहनों का आवागमन पर्याप्त सुरक्षा एवं गति से चलता रहे. संचलन स्थान के अतिरिक्त यातायात केन्द्र, पार्किंग के स्थानों एवं अन्य सुख-सुविधाओं हेतु निम्नानुसार प्रावधान आवश्यक है.

1.	बस स्टेशन	2-3 हेक्टेयर
2.	पिकअप स्टेशन	1/2-1 हेक्टेयर
3.	क्षेत्रीय बस डिपो एवं वर्कशाप	3-5 हेक्टेयर
4.	टैक्सी एवं स्कूटर स्टेन्ड	1/4-1/2 हेक्टेयर
5.	बस यातायात अवसान केन्द्र	1/2-1 हेक्टेयर
6.	विभिन्न उपर्युक्त स्थानों पर पार्किंग हेतु स्थान	-

**4.82 सेवाएं एवं सुविधाएं :**

नगर में जल प्रदाय, मल प्रवाह, भूमिगत मल निकास, विद्युत प्रदाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, आमोद-प्रमोद आदि हेतु भूमि की आवश्यकता अनुमानित करते समय स्थानों का चयन एवं विभिन्न सुविधाओं हेतु आवश्यकता, आदि बातें ध्यान में रखी जाती हैं. इस सुविधाओं के निर्माण हेतु कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि वे नगर के आकार, कार्यकलाप, सम्पूर्ण क्षेत्र में नगर का महत्व, नगर के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे आदि बातों पर निर्भर है.

( अ ) जल प्रदाय.—प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 140 लीटर जल प्रदाय घरेलू, औद्योगिक एवं अन्य कार्यों हेतु आवश्यक है, यह मानकर योजना काल में अनुमानित 2.20 लाख जनसंख्या हेतु 31 एम. एल. डी. जल प्रदाय आवश्यक होगा. इसके अतिरिक्त सतना सीमेन्ट वर्क्स एवं रेलवे के अतिरिक्त अन्य उद्योगों हेतु 10 एम. एल. डी. अपरिष्कृत पानी की आवश्यकता होगी. इस प्रकार सन् 2001 तक नगर में 41 एम. एल. डी. या लगभग 9 एम. जी. डी. जल प्रदाय आवश्यक होगा. यह जल प्रदाय तमसा नदी से ही होते रहने की संभावना है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय में वृद्धि करने हेतु तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुये जल प्रदाय योजना हाथ में लेना जरूरी है. जिन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेशर से जल प्रदाय संभव नहीं होता, उन क्षेत्रों में बड़ी पाईप लाईन बिछाना जरूरी है. इसके अतिरिक्त इस समस्या के समाधान हेतु ओव्हर हेड टैंक्स भी उपयुक्त स्थानों पर बनाना जरूरी है.

( ब ) मल निकास.—नगर में भूमिगत जल-मल निकास की सुविधा नहीं है. आबादी क्षेत्र का मलिन जल खुली नालियों में बहता है तथा ये नालियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले प्रमुख नाले से मिलती हैं. यह बड़ा नाला आगे सतना नदी को मिलता है. अतः नगर की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर एक समन्वयित मल निकास योजना बनाना जरूरी है. इससे नगर में स्वास्थ्य प्रद परिस्थितियां निर्मित होकर नगर के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार आ जावेगा.

( स ) मल प्रवाह व्यवस्था.—नगर में भूमिगत मल प्रवाह व्यवस्था नहीं है. अतः मल प्रवाह हेतु एक व्यापक योजना बनाना जरूरी है. प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इस संबंध में हाल ही में एक 3.26 करोड़ की योजना बनाई गई. इस योजना का रूपांकन इस बात को मान्य कर किया गया है कि रोजाना जल प्रदाय का 70% हिस्सा मल निकास कार्य के लिये प्राप्त होगा. मल-प्रवाह व्यवस्था से प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे शुद्ध किये गये जल से 0.4 से 0.5 हेक्टेयर भूमि में फल, सब्जी बागों की सिंचाई की जा सकेगी. अतः इस प्रकार के बाग लगाने हेतु 90 हेक्टेयर का क्षेत्र निर्धारित करना होगा.

कूड़े-कचरे के निपटारे हेतु पर्याप्त स्थान का प्रावधान करना जरूरी है. कूड़े-कचरे का उपयोग रसोई पकाने की गैस निर्मित करने की संभावना पर भी विचार करना जरूरी है.

( द ) विद्युत वितरण.—नगर में वर्तमान में विद्युत प्रदाय की स्थिति संतोषप्रद है. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा अमरकंटक ग्रीड के द्वारा विद्युत प्रदाय जारी है. तथापि बाण सागर योजना पूरी होने पर कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना को देखते हुये अधिक विद्युत प्रदाय की आवश्यकता होगी. नगर में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 150 यूनिट की खपत अनुमानित कर नगर हेतु वार्षिक आवश्यकता 330 लाख यूनिट बनती है. वर्तमान स्त्रौत से नगर की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति होने की आशा है, तथापि नगर में विद्युत प्रदाय हो सकेगा. निम्न सारणी में सेवा एवं सुविधाओं के प्रतिमान के संबंध में जानकारी दी की गई है.

सतना : सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रतिमान

4-सा-7

क्रमांक	सुविधा का स्तर	श्रेणी	ग्राह्य मापदण्ड (जनसंख्या/ लाभांवित्र क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>शिक्षा :</b>		
	नगर स्तरीय	(1) तकनीकी एवं व्यावसायिक महा-विद्यालय.	नगर/क्षेत्र
	निवेश इकाई स्तर	(2) विश्वविद्यालय	50-75 हजार
	सेक्टर स्तर	(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	10-15 हजार
		(4) माध्यमिक शाला	5-6 हजार
		(5) प्राथमिक शाला	3-4 हजार
		(6) पूर्व प्राथमिक शाला	3-5 हजार
2.	<b>स्वास्थ्य :</b>		
	नगर स्तर	(1) सामान्य चिकित्सालय	नगर/क्षेत्र
		(2) अन्य चिकित्सालय (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सालय)	नगर/क्षेत्र
		(3) परिचर्या गृह	नगर/क्षेत्र
		(4) चिकित्सालय पलंग	400 से 500 व्यक्ति
	निवेश इकाई स्तर	(5) प्रसूति गृह	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
	सेक्टर स्तर	(6) बड़े औषधालय	एक प्रति निवेश इकाई हेतु
		(7) छोटे औषधालय	10-15 हजार
3.	<b>सामाजिक एवं सांस्कृतिक:</b>		
	नगर स्तर	(1) नगर भवन	नगर/क्षेत्र
		(2) प्रमुख क्लब	नगर/क्षेत्र
		(3) कला प्रदर्शन कक्ष	नगर/क्षेत्र
		(4) केन्द्रीय पुस्तकालय	नगर/क्षेत्र
	निवेश इकाई स्तर	(5) सभा भवन एवं सामाजिक सभा भवन	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
		(6) क्लब	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
		(7) पुस्तकालय	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
	सेक्टर स्तर	(8) सामाजिक सभा भवन धर्मशाला सहित	8-10 हजार
		(9) वाचनालय	5-6 हजार

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	<b>आमोद-प्रमोद :</b>		
	नगर स्तर	(1) आमोद-प्रमोद स्थान	नगर/क्षेत्र
		(2) प्रदर्शनी स्थल	नगर/क्षेत्र
		(3) मैदान	नगर/क्षेत्र
		(4) तरण पुष्कर	नगर/क्षेत्र
		(5) नगर उद्यान	नगर/क्षेत्र
		(6) विस्तृत खुली भूमि	नगर/क्षेत्र
	निवेश इकाई स्तर	(7) क्षेत्रीय उद्यान	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
		(8) प्रमुख क्रीड़ा स्थल	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
	सेक्टर स्तर	(9) उपक्षेत्रीय उद्यान	10-15 हजार
		(10) बाल विहार	4-6 हजार
		(11) क्रीड़ा स्थल	2-4 हजार
		(12) क्रीड़ागण	10-15 हजार
		(13) शिशु उद्यान	500 व्यक्ति
5.	<b>अन्य सेवाएं :</b>		
	नगर स्तर	(1) केन्द्रीय डाक एवं तार घर	नगर/क्षेत्र
		(2) स्वचालित दूरभाष केन्द्र	1-2 लाख
		(3) मुख्य आरक्षी केन्द्र	1-2 लाख
		(4) शमशान घाट एवं कब्रिस्तान	1-2 लाख
		(5) अग्निशामक केन्द्र	1-2 लाख
	निवेश इकाई स्तर	(6) क्षेत्रीय डाक एवं तारघर	0-50 लाख जनसंख्या
		(7) विद्युत् उप केन्द्र	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
		(8) उप डाक एवं तार घर	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.
		(9) उप आरक्षी केन्द्र	एक प्रति निवेश इकाई हेतु.

## प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं यातायात संरचना

### 5.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग :

सतना विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य नये केन्द्र बिन्दुओं को ध्यान में लेकर नगर के नियोजित विकास हेतु दिशा प्रदान करना है। मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिकतर गतिविधियां संकुलित रूप से कार्यरत हैं। इन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु वैकल्पिक बड़े स्थानों की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। योजनाबद्ध समन्वित नियोजन के द्वारा ही नगर में बेहतर आवासीय परिस्थितियां, सुगम आवागमन विवेकपूर्ण भूमि उपयोग तथा सेवा-सुविधाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित किया जा सकता है।

विकास योजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगर बहुक्रियात्मक स्वरूप कायम रखकर उद्योग एवं वाणिज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान रखा गया है ताकि यह नगर विन्ध्य क्षेत्र का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहे। नगर की विकास योजना हमेशा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़, सामाजिक रूप से लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली तथा सौन्दर्यपरक होकर वह लोगों हेतु प्रेरणाप्रद होना जरूरी है। निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर नगर की विकास योजना हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

- (अ) नगरीय केन्द्र को रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेन्ड इन दो यातायात केन्द्रों के बीच एक सम्पूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करना।
- (ब) यत्र-तत्र विकसित बस्तियों तथा भविष्य में विकसित होने वाली बस्तियों को समन्वित रूप में बसाहट का निर्माण करना ताकि अधोसंरचना के निर्मित पर मितव्ययता रहकर लोगों को आवागमन में समय की बचत हो सके।
- (स) कुशल परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना ताकि अन्तर्नगरीय एवं नगरान्तर्गत यात्री एवं सामान का आवागमन सुचारू रूप से हो सके।
- (द) उद्योगों हेतु भूमि का विकास इस तरह प्रस्तावित करना ताकि विकास योजना काल के पश्चात् भी निर्मित होने वाले उद्योगों हेतु भूमि उपयोग संरचना में कोई असंबद्धता निर्मित न होते हुये स्थान उपलब्ध हो सकें।
- (इ) पर्यावरण में सुधार के प्रयास।
- (फ) नगर में समन्वित सेवा सुविधाओं का प्रावधान।


### 5.2 योजना की अवधारणा :

वर्तमान में नगर का भौतिक विकास मुख्यतया बम्बई-हावड़ा रेल लाईन की पूर्व की ओर ही सीमित रहा है। रेलवे लाईन के विकास हेतु एक मानव निर्मित बाधा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व दिशा में हवाई पट्टी स्थित होने के कारण भी

आबादी का विस्तार सीमित रहा है. पश्चिम की ओर सिविल लाईन बस्ती को छोड़कर रेलवे क्षेत्र के आसपास अव्यवस्थित रूप से बस्तियां निर्मित हुई हैं. हाल ही के वर्षों में रीवा-पन्ना मार्ग, नवीन बस्तियों के स्थापित होने हेतु धुरी तथा सेमरिया चौक केन्द्रीय बिन्दु होकर यहां नई बस्तियां विकसित हो रही हैं. इस स्थान को तीन क्षेत्रीय मार्गों की सुविधा एवं वर्तमान केन्द्र को जोड़ने वाली शृंखला मार्ग भी उपलब्ध है. इस गलियारानुमा विकास को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का विकास सेवा-सुविधाओं पर होने वाले व्यय की दृष्टि से महंगा सिद्ध होगा.

रेलवे स्टेशन एवं नया बस स्टेन्ड इन दोनों यातायात केन्द्रों का पूरा लाभ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित भीड़-भाड़ कम करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि वर्तमान नगर केन्द्र को एक कड़ी के रूप में सिमरिया चौक पर विस्तारित किया जाये. इस अवधारणा से वर्तमान विकास के परिप्रेक्ष्य में नया विकास नियोजित रूप से किया जा सकेगा.

नगर के विभिन्न मार्गों में यातायात को सुलभ बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ने वाला एक वृत्त मार्ग (सरकुलर रोड) प्रस्तावित है, जिससे पन्ना-रीवा मार्ग को मेहर मार्ग एवं सिमरिया मार्ग से जोड़ा जा सकेगा. सघन एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से तीन उपकेन्द्र निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 3 में विकसित करना प्रस्तावित है. नगरीय स्तर की गतिविधियों एवं सुविधाओं हेतु निवेश इकाई क्रमांक-4 में प्रमुख मार्ग क्रमांक-7 पर एक नगर केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है.



### 5.3 निवेश इकाईयां :

आत्म निर्भर निवेश इकाईयों की परिकल्पना के आधार पर विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं. प्रत्येक निवेश इकाई, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधायें, आमोद-प्रमोद के स्थान आदि दृष्टि से परिपूर्ण रहेगी. इन स्थानों को नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, यातायात केन्द्रों तथा नगरीय स्तर की सेवा सुविधा केन्द्रों से जोड़ा जावेगा. निवेश इकाईयों को खण्ड (सेक्टर) एवं उप-खण्डों (सब सेक्टर) में विभाजित किया गया है.

विकास योजना के अंतर्गत समाविष्ट 1994 हेक्टेयर क्षेत्र को चार निवेश इकाईयों में विभाजित किया गया है। इस क्षेत्र में 487 हेक्टेयर का वर्तमान विकसित क्षेत्र शामिल है, लेकिन इसमें 25 हेक्टेयर का हवाई पट्टी वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। सभी निवेश इकाईयों का क्षेत्रफल समान नहीं है, क्योंकि इनका निर्धारण विभिन्न भूमि उपयोग, वर्तमान तथा प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की श्रेणी तथा भौतिक समानता आदि बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। सुविधा की दृष्टि से निवेश इकाईयों को यथोचित क्रमांक देकर प्रस्तावित पहुंच मार्गों को कार्य सम्पादन उपयोगिता के आधार पर नामांकित किया गया है।

#### **निवेश इकाई क्रमांक-1 :**

इस इकाई में रेलवे कालोनी सहित पुरानी बस्ती का हिस्सा शामिल है। इस इकाई के उत्तर में पन्ना-रीवा मार्ग, दक्षिण तथा पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा एवं पूर्व में प्रमुख मार्ग क्रमांक-1 एवं रेलवे लाईन स्थित है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 1467 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 547 हेक्टेयर भूमि, वर्तमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

#### **निवेश इकाई क्रमांक-2 :**

इसमें सिविल लाईन्स की बस्ती, नया बस स्टैंड, सीमेन्ट एवं केबिल फैक्ट्री, मुख्तयारगंज एवं सिद्धार्थ नगर कालोनी आदि क्षेत्र शामिल हैं। इस इकाई की सीमाएं त्रिभुजाकार क्षेत्र में होकर दक्षिण में पन्ना-रीवा मार्ग एवं उत्तर-पूर्व में सेमरिया मार्ग के मध्य स्थित है। उत्तर एवं पश्चिम में निवेश इकाई की सीमा निवेश क्षेत्र तक है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 5315 हेक्टेयर है। जिसमें 126 हेक्टेयर का क्षेत्र पूर्व से ही विकसित है तथा 459 हेक्टेयर क्षेत्र भावी विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है।

#### **निवेश इकाई क्रमांक-3 :**

इस निवेश इकाई के उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम में सेमरिया मार्ग, दक्षिण में पन्ना-रीवा मार्ग स्थित है तथा पूर्व में निवेश इकाई की सीमा निवेश क्षेत्र तक जाती है। इस इकाई में सीमेन्ट फैक्ट्री का आवासीय क्षेत्र, बांधवगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सिन्धी कैम्प क्षेत्र एवं औद्योगिक बस्ती का क्षेत्र स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1372 हेक्टेयर होकर इसमें से 91 हेक्टेयर क्षेत्र पूर्व से ही विकसित है, तथा 399 हेक्टेयर क्षेत्र भावी विकास हेतु आरक्षित किया गया है।

#### **निवेश इकाई क्रमांक-4 :**

इस निवेश इकाई के पश्चिम में मुख्य मार्ग क्रमांक-1 एवं रेलवे लाइन तथा उत्तर में पन्ना-रीवा मार्ग स्थित है। दक्षिण-पूर्व में निवेश इकाई सीमा निवेश क्षेत्र तक जाती है। इस इकाई में टिकुरिया टोला नामक बस्ती प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। इस इकाई में हवाई पट्टी भी स्थित है। इस इकाई का कुल क्षेत्रफल 3049.8 हेक्टेयर होकर इसमें से 52 हेक्टेयर का क्षेत्र पूर्व से ही विकसित है। इसमें हवाई पट्टी का क्षेत्र शामिल नहीं है। विकास योजना में इस निवेश इकाई अन्तर्गत 320 हेक्टर अतिरिक्त भूमि नगरीय विकास हेतु प्रस्तावित की गई है।

निम्न सारणी में प्रत्येक निवेश इकाई में वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्र दर्शाया गया है।

सतना : निवेश इकाईवार प्रस्तावित क्षेत्र

5-सा-1

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

निवेश इकाई क्रमांक	वर्तमान क्षेत्र	प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र	योग (2+3)	कृषि क्षेत्र	कुल निवेश क्षेत्र (4+5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	218	329	547	920	1467
2.	126	459	585	4730	5315
3.	91	399	490	882	1372
4.	52	320	372	2552.8	3049.8
	(+) 25	(+) 100	(+) 125	—	
योग	487	1507	1994 (+) 125	9084.8	11203.8


(+) टीप:—हवाई पट्टी का क्षेत्र विकसित क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं है.

5.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग तथा भूमि आवंटन :

वर्तमान में विकसित क्षेत्र के भूमि उपयोग विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि प्रति 1000 व्यक्ति 5.87 हेक्टेयर का क्षेत्र उपयोग में लाया जा रहा है. नगर में सकल आवासीय घनता प्रति हेक्टर 170 व्यक्ति है. विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत भूमि का वर्तमान में वितरण असंतुलित है. आवासीय एवं परिवहन उपयोगों को छोड़कर अन्य उपयोगों को वर्तमान में उपलब्ध क्षेत्र बहुत ही कम है. आवासीय क्षेत्र में भी प्रति 1000 व्यक्ति 2.26 हेक्टर का भूमि उपयोग अपर्याप्त है. वर्तमान अभाव एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुए प्रति 1000 व्यक्ति 9.06 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित करना उचित होगा. इससे नगर की आवासीय घनता प्रति हेक्टर 110 व्यक्ति तक कम करने में मदद मिलेगी. प्रस्तावित भूमि आवंटन से नगरीय विकास को भी गति मिलेगी. नगर की भावी आवश्यकता 1994 हेक्टेयर आंकी गई है, जबकि वर्तमान में 487 हेक्टर का विकसित क्षेत्र उपलब्ध है. आवासीय, उद्योग एवं आमोद-प्रमोद के उपयोगों के अलावा सेवा सुविधा हेतु भी पर्याप्त भूमि का प्रावधान रखा गया है.

# सतना

५-३ विकास योजना २००१



संकेत	वर्तमान	प्रस्तावित	
आवासीय वाणिज्यिक	[Yellow Box]	[Red Box]	RESIDENTIAL COMMERCIAL
सामान्य	[Dark Blue Box]	[Black Box]	GENERAL
विशेषीकृत	[White Box]	[Hatched Box]	SPECIALISED
यातायात नगर	[White Box]	[Dark Brown Box]	TRANSPORT NAGAR
मंडी	[White Box]	[Black Box]	MANDI
वेयर हाउसिंग गोदाम औद्योगिक सामान्य	[Black Box]	[Black Box]	WARE HOUSING GODOWN INDUSTRIAL GENERAL
कृषि आधारित	[White Box]	[Purple Box]	AGRO BASED
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक			PUBLIC & SEMI PUBLIC
प्रशासकीय	[Red Box]	[Dark Red Box]	SOCIAL CULTURAL & ADMINISTRATIVE
शैक्षणिक	[Dark Red Box]	[Orange Box]	EDUCATIONAL
स्वास्थ्य	[Dark Red Box]	[Red Box]	HEALTH
आमोद - प्रमोद उद्यान	[Black Box]	[Green Box]	RECREATION PARK
स्टेडियम	[White Box]	[Green Circle]	STADIUM
यातायात मार्ग	[White Box]	[Hatched Box]	TRANSPORTATION ROAD
बस स्टैण्ड	[Brown Box]	[Circle with X]	BUS STAND
रेल्वे स्टेशन	[Brown Box]	[White Box]	RAILWAY STATION
हवाई अड्डा	[Brown Box]	[Brown Box]	AIR PORT
सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	[Black Box]	[White Box]	PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
विद्युत टावर लाइन	[White Box]	[White Box]	ELECTRIC TOWER LINE
कृषि	[Green Box]	[White Box]	AGRICULTURE
जलाशय	[Blue Box]	[White Box]	WATER BODIES

1:50,000  
(क. म. मि.)  
सतना नगर विकास योजना  
मध्य प्रदेश सरकार  
2001



1 MILE  
1370 660 0 1320 2720 3960 5200 FEET

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

सतना : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि का आवंटन—2001 ( विकसित क्षेत्र )

5-सा-2


क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	वर्तमान प्रतिशत	प्रति 1000 व्यक्ति भूमि- उपयोग दर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रस्तावित प्रतिशत	प्रति 1000 व्यक्ति भूमि- आवंटन दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आवासीय	187.5	38.5	2.26	901.00	45.19	4.09
2.	वाणिज्यिक	24.3	5.0	0.29	145.00	7.27	0.65
3.	औद्योगिक	48.5	10.0	0.59	229.00	11.48	1.04
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगिताएं.	75.4	15.5	0.91	264.00	13.23	1.20
5.	आमोद-प्रमोद	2.8	0.6	0.03	132.00	6.61	0.60
6.	यातायात एवं परिवहन.	148.3	30.4	1.79	323.00	16.22	1.48
	योग . .	486.8	100.0	5.87	1994.00	100.00	9.06

नोट :—1. इसमें हवाई पट्टी का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है.

2. आमोद-प्रमोद हेतु जलाशयों का भू-दृश्यीकरण प्रस्तावित है. ऐसे जलाशयों का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है.

SATNA

5-2 LAND ALLOCATION



5.41 भूमि उपयोग संरचना :

भूमि उपयोग संरचना द्वारा भूमि उपयोग परिक्षेत्र निर्धारित कर नगर में मार्ग-संरचना के द्वारा क्रियात्मक कुशलता प्राप्त

की जा सकती है। भूमि उपयोग की भावी संरचना प्रस्तावित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वर्तमान भूमि उपयोग में जहां तक हो सके, न्यूनतम परिवर्तन हो तथा नगर स्तरीय गतिविधियों का निवेश इकाई स्तर एवं खण्ड स्तर गतिविधियों से अन्तर सम्बन्ध तथा आवास एवं कार्य स्थल का सह-सम्बन्ध कायम रहे। बहुतांश नगरों में मिश्रित भूमि उपयोग प्रचलित है। इस नगर हेतु भी मिश्रित भूमि उपयोग की धारणा अपनाई गई है। तथापि अंधाधुंध मिश्रित भूमि उपयोग को रोकने हेतु विशेष भूमि उपयोगों को केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही अनुमोदन दिया जा सकेगा।

(अ) **आवासीय क्षेत्र.**—विकास योजना में आवासीय क्षेत्रों की पूर्ण इकाईयों के रूप में परिकल्पना की गई है। जिसमें सामुदायिक सेवा-सुविधायें उपलब्ध होकर कार्यस्थलों को सक्षम परिवहन संरचना द्वारा जोड़ा जावेगा। आबादी को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखने का प्रयास किया जावेगा। इसके अलावा जिन आवासीय क्षेत्रों में भीड़-भाड़ होकर पर्याप्त सेवा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं उनमें सुधार लाया जावेगा। वर्तमान अभाव को कम कर 1.37 लाख अतिरिक्त जनसंख्या हेतु आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से 901 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें वर्तमान 187.5 हेक्टर क्षेत्र भी शामिल हैं, इस प्रकार विकास योजना में विकसित की जाने वाली कुल भूमि का 45.19% आवासीय उपयोग हेतु प्रावधानित रहेगा। इस प्रकार आवासीय घनता 443 व्यक्ति प्रति हेक्टर से घटकर 244 व्यक्ति प्रति हेक्टर हो जावेगी।

(ब) **वाणिज्यिक क्षेत्र.**—कृषि उपज मंडी, अनाज का थोक बाजार, फल सब्जी मण्डी आदि, वर्तमान में मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में इन बाजारों को सुचारू रूप से वाहनों द्वारा अगम्य होने के साथ-साथ यहां पार्किंग हेतु स्थान भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा माल के लदान एवं उतारने हेतु भी सुविधा का अभाव है। वर्तमान में स्टेशन मार्ग, चौक बाजार, जय स्तंभ, पन्नीलाल चौक, सुभाष चौक आदि क्षेत्र में जो फुटकर दुकानें स्थित हैं, उनके विस्तार हेतु भी स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः इस क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक गतिविधियों के भार को कम करना जरूरी है।


नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान नगरीय केन्द्र को विस्तारित कर सेमरिया चौक तक लाया गया है। कंवरराम टॉकीज मार्ग का श्रृंखला मार्ग के रूप में उपयोग हो सकेगा। विकास योजना में 145 हेक्टर का क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियत होकर यह कुल विकसित क्षेत्र का 7.27% होगा। वर्तमान मण्डी को मुख्य मार्ग क्र. 4 से लगी भूमि पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अध्याय-6 में दी गई है।

(स) **औद्योगिक क्षेत्र.**—नगर में सीमेन्ट फैक्ट्री, केबिल फैक्ट्री आदि बड़े उद्योग स्थित होने से औद्योगिक वातावरण निर्मित होने में मदद मिली है वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुये अपर्याप्त है। मध्यम आकार के उद्योग सेमरिया चौक पर उपलब्ध सेवा सुविधाओं एवं हवा की दिशा को ध्यान में लेते हुये स्थापित करना उपयुक्त होगा। कृषि पर आधारित उद्योगों हेतु भूमि प्रस्तावित मण्डी स्थल से समन्वय रखते हुए निवेश इकाई क्र. 3 में आरक्षित की गई है। प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्र में सुविधा की दृष्टि से बहुमंजिले भवनों में स्थित हो सकने वाले उद्योगों फ्लैट्टेड फैक्टरीज हेतु प्रावधान रखा गया है। मुख्य मार्ग क्रमांक-1 पर आरा मशीनों एवं लकड़ी के पीठों हेतु अलग से स्थान नियत किये गये हैं। इस प्रकार औद्योगिक उपयोग हेतु कुल 229 हेक्टर का क्षेत्र विकास योजना में है, जो प्रस्तावित क्षेत्र का 11.48% होता है।

(द) **सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवा सुविधाएं एवं उपयोगिताएं.**—इस भूमि उपयोग के अन्तर्गत केन्द्र शासन तथा राज्य शासन के कार्यालय, स्थानीय तथा स्वायत्त शासन कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं एवं स्वास्थ्य संस्थाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं। लगभग 20 हेक्टर का क्षेत्र आफिस काम्पलेक्स हेतु चित्रकूट मार्ग पर तथा लगभग 16 हेक्टर का क्षेत्र मुख्य मार्ग क्र. 4 के पूर्व में प्रस्तावित है। वर्तमान में जिन स्थानों पर महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है, उन स्थानों को विकसित कर स्वतंत्र शिक्षा परिसर के रूप में विकसित किया जावेगा जहां अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की जावेगी। अस्पताल हेतु नया स्थान मुख्य मार्ग क्रमांक 4 पर प्रावधानित है। द्वितीय श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधायें निवेश इकाई केन्द्रों में स्थापित की जावेगी। विकास योजना में सभी प्रकार की सेवा-सुविधाओं एवं उपयोगिताओं हेतु 264 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 13.23% है।

# सतना

5-4 निवेश इकाई



(इ) आमोद-प्रमोद.--नगर प्राकृतिक सौंदर्य का अभाव है. पूर्व में किसी समय यह नगर 'उद्यान नगर' के नाम से विख्यात था. इस वैभव की पुनः प्राप्ति, आबादी को विरल रूप में बसाकर तथा उद्यानों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों आदि का विकास योजना में पर्याप्त मात्रा में प्रावधान रखा गया है. नगर में स्थित कुछ तालाबों का आमोद-प्रमोद के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है. प्रत्येक निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय केन्द्रों में आमोद-प्रमोद हेतु पर्याप्त स्थान प्रावधानित है. विकास योजना में कुल 132 हेक्टर का क्षेत्र आमोद-प्रमोद हेतु प्रस्तावित है. जबकि वर्तमान में केवल 2.8 हेक्टर का क्षेत्र इस प्रकार के उपयोग हेतु उपलब्ध है.

(फ) यातायात एवं परिवहन.—इस उपयोग के अन्तर्गत सड़कें, रेल सुविधा, यातायात, केन्द्र, पार्किंग के स्थान आदि उपयोग सम्मिलित हैं. इस प्रकार के उपयोग लगभग 323 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 16.22% है. यातायात के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव संबंधित अध्याय में दिये गये हैं.

#### 5.42 भूमि उपयोग ( निवेश इकाई अनुसार ) :

नगर का प्रस्तावित विकसित क्षेत्र 4 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है. नगर हेतु जो भूमि उपयोग तैयार किया गया है उसके अनुरूप ही हर एक निवेश इकाई क्षेत्र में भूमि उपयोग निर्धारित किया गया है. प्रत्येक निवेश इकाई में जो भूमि उपयोग प्रस्तावित है उसका उद्देश्य विकास योजना का अंतिम रूप प्राप्त होने पर परिक्षेत्रिक योजना बनाने हेतु आधार तैयार करना है. परिक्षेत्रिक योजना में हर, एक निवेश इकाई में विस्तृत रूप से भूमि उपयोग, मार्गों की चौड़ाई, आवासीय घनता, निर्मित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जावेगी. निम्नलिखित सारणी में निवेश इकाई के अनुसार भूमि उपयोग का वितरण दर्शाया गया है.

#### सतना : भूमि उपयोग वितरण ( विकसित क्षेत्र ) ( निवेश इकाई अनुसार )

5-सा-3

निवेश इकाई अनुसार	भूमि उपयोग वर्गीकरण						योग
	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक अर्ध सार्व.	आमोद- प्रमोद	यातायात	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	280	26	8	106	39	88	547
2.	289	43	95	34	38	86	585
3.	121	47	103	115	31	73	490
4.	211	29	23	9	24	76	372
योग	901	145	229	264	132	323	1994

#### 5.43 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना :

असंगत भूमि उपयोग निर्धारित होने पर उनको वर्तमान स्थान से हटाना जरूरी होगा. तथापि विकास योजना प्रस्ताव में यह प्रयास किया गया है कि वर्तमान उपयोगों तथा गतिविधियों को जहां तक सम्भव हो सके, कम से कम स्थानान्तरित किया जावे. केवल उन्हीं उपयोगों को स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है जो या तो वातावरण दूषित करते हैं तथा संकुलता, पहुंच की असुविधा तथा माल उतारने चढ़ाने की सुविधा की दृष्टि से अकार्यक्षम है. भूमि उपयोग पुनर्स्थापना विकास योजना

लागू होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्रतिशीघ्र की जावेगी तथापि म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु युक्ति संगत अवधि उपलब्ध होगी. उनका निराकरण जरूरी है. असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि के विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत हैं.

**सतना : असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग**

5-सा-4

अनुक्रमांक	स्थानान्तरित किये जाने वाले उद्योगों का नाम	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	कृषि उपज मंडी	चौक बाजार के समीप	मुख्य मार्ग 5 के बीच (नि-ई-3)	वाणिज्यिक (थोक अनाज एवं किराना बाजार).
*2.	अनाज, फल, सब्जी, थोक बाजार	चांदनी टाकीज के पास	निवेश इकाई में प्रस्ता- वित नई मंडी में थोक अनाज व्यापार.	वाणिज्यिक (थोक एवं फुटकर फल एवं सब्जी बाजार)
3.	माल गोदाम	गो शाला चौक के समीप	निवेश इकाई 2-3 एवं 4	आवासीय एवं वाणिज्यिक
*4.	मांस बाजार	लालता चौक के समीप चीकानटोला.	निवेश इकाई केन्द्र बाजार	मार्ग विस्तार
*5.	मछली बाजार	कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के सामने.	निवेश इकाई केन्द्र बाजार	पार्किंग क्षेत्र
*6.	परिवहन अभिकरण	मध्य क्षेत्र में फैले हुए	निवेश इकाई 2 एवं 4 पन्ना-रीवा मार्ग के बीच.	आवासीय एवं वाणिज्यिक
7.	कबाड़ी-बाजार	सेमरिया चौक एवं कंवरराम टाकीज के बीच.	नजीराबाद में मैहर मार्ग के पूर्व में.	आवासीय एवं वाणिज्यिक
8.	धातु उद्योग	कैम्प एवं सेमरिया चौक के समीप बिरला मार्ग.	प्रत्येक निवेश इकाई में प्रस्तावित उद्योग.	आवासीय एवं वाणिज्यिक
*9.	शराब-कारखाना	नया तालाब से लगा हुआ	निवेश इकाई-3 में प्रस्ता- वित औद्योगिक क्षेत्र में.	वाणिज्यिक एवं पार्किंग एवं उद्यान
10.	आरा मशीन	रीवा एवं मंडी मार्ग एवं कंवरराम मार्ग.	मुख्य मार्ग-1 एवं क्षेत्रीय वृत्त मार्ग के निकट.	आवासीय एवं वाणिज्यिक
11.	मरघट धोबीघाट एवं चर्मशोधन केन्द्र	कोलगवां थाना के समीप	निवेश इकाई-4 के प्रस्ता- वित विकसित क्षेत्र के बाहर.	आमोद-प्रमोद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	श्मशान भूमि	टिकुरिया टोला	निवेश इकाई-4 के प्रस्ता- वित विकास के बाहर.	आवासीय एवं वाणिज्यिक
13.	बस स्टैण्ड	रेल्वे स्टेशन रोड़	सेमरिया चौक	वाणिज्यिक
*14.	जूट मिल/आरा मशीन	नया तालाब मार्ग	निवेश इकाई-1	फ्लेटेड, उद्योग, वाणिज्यिक एवं पार्किंग.
*15.	नया तालाब का भाग	वर्तमान कृषि उपज मंडी के निकट.	-	पार्किंग क्षेत्र

\*टीप.—मध्य क्षेत्र में स्थित है.

#### 5.44 अकार्यक्षम भूमि उपयोग

सारणी 2-सा-4 में दर्शित अकार्यक्षम भूमि उपयोगों द्वारा यदि समस्या में वृद्धि नहीं की जाती है तो वे वर्तमान स्थल पर वर्तमान समस्या का यथासंभव निदान करते हुए कार्यरत रह सकते हैं किन्तु इन गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर वृद्धि करने की अनुमति नहीं होगी.


#### 5.5 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना :

परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया है:—

- (अ) विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़कर क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण.
- (ब) वर्तमान आबादी को प्रस्तावित विकास से व्यवस्थित रूप से जोड़ना.
- (स) मिश्रित यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग एवं संरचना प्रस्तावित करना.
- (द) कार्य केन्द्र एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करना.
- (इ) योजना कालावधि के बाद भी विकास की दृष्टि से परिवहन संरचना प्रस्तावित करना.

#### 5.51 परिभ्रमण संरचना की अवधारणा :

नगर की वर्तमान मार्ग संरचना में क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात मिश्रित है. यह उल्लेखनीय है कि मैहर मार्ग पर रीवा एवं पन्ना की ओर होने वाले यातायात के नगर के मध्य से गुजरने के कारण से समस्याएं निर्मित होती रहती हैं. वर्तमान विकसित क्षेत्र एवं सेमरिया चौक के समीप नये क्षेत्र को जोड़ने की दृष्टि से कंवरराम टॉकीज मार्ग बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है. प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना प्रस्तुत करते समय एक क्षेत्रीय वृत्त मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जो पन्ना-रीवा मार्ग को मैहर मार्ग एवं सेमरिया मार्ग से जोड़ेगा. इससे क्षेत्रीय यातायात पृथक् होकर नगर में से जाने वाला यातायात कम होगा. मार्गों की लम्बाई कम करने तथा यात्रा समय की बचत की दृष्टि से नगरीय यातायात हेतु प्रमुख मार्गों का प्रावधान प्रस्तावित है. नगर के उत्तरीय हिस्से में आयताकार पद्धति में खुले छोर वाली परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित है ताकि विकास योजना कालावधि के पश्चात् भी नगर विकास में निरन्तरता बनी रहे.



### 5.52 क्षेत्रीय श्रृंखला :

सतना, जबलपुर-इलाहाबाद रेलवे सेक्शन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है तथा इसका देश के अन्य प्रमुख नगरों से सम्पर्क स्थापित है. रेल परिवहन की दृष्टि से यह नगर बहुत उपयुक्त स्थान पर स्थित है. ललितपुर से रीवा, व्हाया छतरपुर, खजुराहो पन्ना एवं सतना प्रस्तावित रेल लाईन निर्मित होने पर इस नगर का क्षेत्रीय महत्व बढ़ेगा. साथ ही बघेलखण्ड क्षेत्र की आर्थिक दशा सुधारने में मदद मिलेगी.


सतना नगर में माल व यात्री यातायात के लिये सड़क मार्गों का बहुत महत्व है. यह जबलपुर-इलाहाबाद के बीच स्थित है. सड़क द्वारा इस नगर का सम्पर्क नागपुर, भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर से स्थापित है. तथापि क्षेत्रीय मार्ग की दशा सुधारकर उनकी चौड़ाई बढ़ाना बहुत जरूरी है. ताकि यातायात तीव्र गति से एवं व्यवस्थित रूप से चल सकें. इसके अलावा क्षेत्रीय यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण जरूरी है.

### 5.53 नगर परिभ्रमण संरचना :


मध्य क्षेत्र की विद्यमान मार्ग संरचना साधारणतया सामानान्तर प्रकार की है. इससे नगर के मध्य क्षेत्र तथा भविष्य में विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में सीधी पहुंच संभव है. ये मार्ग पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थित हैं तथा आड़े मार्गों द्वारा जोड़े गये हैं, जिससे कार्य केन्द्र, औद्योगिक बस्तियां, वाणिज्यिक केन्द्रों, मण्डियों आदि को पहुंच उपलब्ध है. सम्पूर्ण परिभ्रमण संरचना का ढांचा इस प्रकार प्रस्तावित है कि तेजी से बढ़ने वाले नगर को अपने विभिन्न कार्यकलाप कुशलतापूर्वक निभाना संभव हो सकेगा. परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय लोक परिवहन योजना लागू करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है.

# SATNA

## 5-5 PROPOSED CIRCULATION



- REGIONAL LINK 
- RING ROAD 
- MAJOR CITY ROAD 
- SECTOR ROAD 
- RAILWAY LINE 
- TERMINAL CENTRE 
- BUS STAND 
- PICK-UP STATION 
- RAILWAY STATION 
- GRADE SEPARATED 
- CROSSING 



### 5.54 मध्यवर्ती क्षेत्र से सम्बन्ध :

वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र को नगर मार्गों से घेरना प्रस्तावित है। इससे नगर का विस्तारित हिस्सा कुशलतापूर्वक मध्यवर्ती क्षेत्र से जोड़ा जावेगा। इन नगरीय मार्गों में से मुख्य मार्ग क्रमांक-1 जो मध्यवर्ती क्षेत्र के पूर्व की सीमा निर्धारित करता है को छोड़कर अन्य मार्गों को चौड़ा बनाना संभव नहीं है। इस मुख्य मार्ग क्रमांक-1 से मैहर मार्ग जो, मध्यवर्ती क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर स्थित है, द्वारा यातायात का कुछ हिस्सा वहन किया जा सकता है। इन दो समानान्तर मार्गों के कारण मध्यवर्ती क्षेत्र के यातायात अन्य नगरीय केन्द्रों को परिणामकारक रूप से वितरित करने में मदद मिलेगी।

### 5.55 रेल मार्ग पार करने हेतु पुलों का निर्माण :

वर्तमान में सिविल लाईन के समीप पन्ना-रीवा मार्ग पर केवल एक ही पुल रेल लाईन पार करने हेतु उपलब्ध है। विकास योजना में एक वृत्त मार्ग प्रस्तावित होने से जबलपुर रेल लाईन पर कटनी की ओर एक अन्य पुल का निर्माण प्रस्तावित है। यह पुल वर्तमान उपलब्ध पुल से काफी दूरी पर स्थित होगा।

### 5.56 यातायात व्यवस्था में सुधार :

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु यातायात संकेत, मार्गों का निर्माण, यातायात का पृथक्करण तथा महत्वपूर्ण मार्ग संगमों के रूपांकन आदि उपाय किये जावेंगे। सेमरिया चौक, सर्किट हाऊस मार्ग संगम, पन्ना-धवारी मार्ग संगम, सिमरिया मार्ग का बाजू में स्थित मार्ग से संगम तथा पुरानी कोतवाली मार्ग संगम आदि ऐसे मार्ग हैं जिनका वैधानिक आधार पर सुधार कर यातायात संकेत पद्धति स्थापित करना जरूरी है। इसके अलावा अध्याय-3 में जो असुविधापूर्ण मार्ग संगम बताये गये हैं उनका भी सुधार प्रस्तावित है।

### 5.57 पार्किंग सुविधाएं :

प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर व्यवस्थित पार्किंग हेतु परिक्षेत्रीय योजनाओं में स्थान नियत किये जावेंगे। मार्गों के किनारे होने वाली पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु सम्बन्धित पार्किंग स्थलों के प्रस्ताव हैं। इससे नगर की धीमी एवं तीव्र गति वाले वाहनों को, विशेष रूप से यातायात निर्मित होने वाले क्षेत्रों में, पार्क करने हेतु मदद मिलेगी। जहां कहीं भी संभव हो मध्यवर्ती क्षेत्र में पार्किंग के स्थान उपलब्ध कराकर पार्किंग की समस्या का हल निकाला जावेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण परिक्षेत्रिक योजना में दिया जावेगा।

### 5.6 कार्यकलाप अनुसार मार्ग वर्गीकरण :

कार्यकलाप के आधार पर मार्गों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:—

1. क्षेत्रीय वृत्त मार्ग
2. प्रमुख नगर मार्ग
3. खण्ड स्तर मार्ग
4. उपखण्ड स्तर मार्ग
5. स्थानीय मार्ग
6. पदचारी पथ

### 5.61 क्षेत्रीय मार्ग :

क्षेत्रीय वृत्त मार्ग का उपयोग अन्य नगरों से आने-जाने वाले यातायात के लिये किया जाता है जबकि प्रमुख मार्ग से नगर यातायात का आवागमन होता है। इन्हीं मार्गों पर जल-प्रदाय, विद्युत्, भूमिगत मल निकास हेतु लाईने बिछाई जाती हैं। खण्ड स्तरीय मार्गों का उपयोग निवेश इकाईयों में होने वाली यातायात हेतु होता है तथा ये मार्ग सामान्यतया आवासीय खण्डों एवं अन्य भूमि उपयोग, खण्डों के सीमा पर स्थित होते हैं। उपखण्डीय एवं स्थानीय मार्गों का उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत यातायात हेतु होता है। इन मार्गों के किनारे भी जलप्रदाय, भूमिगत जल-मल निकास आदि हेतु लाईने स्थित होती है। सामान्यतया पदचारी पथों का प्रावधान और विशेषकर बालक एवं वृद्ध लोगों की सुरक्षा हेतु होता है। इन पथों द्वारा एक मोहल्ले को या परिक्षेत्र को दूसरे मोहल्ले या परिक्षेत्र को जोड़ा जाता है। इनके प्रावधान से जहां तक संभव हो सके मुख्य मार्ग को लांघकर जाने की नौबत नहीं आती।

### 5.62 प्रमुख नगर मार्ग :

इन मार्गों का उपयोग विभिन्न निवेश इकाईयों, प्रमुख कार्य केन्द्रों, मनोरंजन केन्द्रों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था आदि के बीच होने वाले यातायात को वहन करने हेतु होता है। इन मार्गों का रूपांकन इस प्रकार प्रस्तावित है, ताकि इस पर जन परिवहन व्यवस्था भी चलती रहे। प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्रमांक-1 मैहर मार्ग के समानान्तर रूप से प्रस्तावित है ताकि मैहर मार्ग से होने वाला यातायात इस मार्ग पर भी विभाजित हो सके। इस मार्ग की निर्मिति से मध्यवर्ती क्षेत्र से होने वाली यातायात वहन करने में एक जोड़ मार्ग के रूप में मदद मिलेगी। मुख्य मार्ग क्रमांक-2 और 3 विस्तारित एअर फील्ड क्षेत्र को परिसीमित करने हेतु प्रस्तावित है। मुख्य मार्ग क्रमांक-4, मण्डी एवं निवेश इकाई क्रमांक-3 में स्थित अन्य क्षेत्रों में सीधी पहुंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपलब्ध होगा इससे मुख्य मार्ग क्रमांक-3 को 5 से जोड़कर बाद में सेमरिया मार्ग को जोड़ा जावेगा। मुख्य मार्ग क्रमांक-5 क्षेत्रीय वृत्त मार्ग को सेमरिया मार्ग से जोड़ते हुये बाद में मुख्य मार्ग क्रमांक-6 से निवेश इकाई क्रमांक-2 में जावेगा। इस मार्ग को बाद में केबिल फेक्ट्री तक बढ़ाया जावेगा जो रेल लाईन के उत्तम में स्थित होगी। मुख्य मार्ग क्र. -6 निवेश इकाई क्रमांक-3 और 2 के दो भागों में स्थित क्षेत्रीय वृत्त मार्ग को जोड़ेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से होने वाली सीधी यातायात की विभक्त होने में मदद मिलेगी तथा इसी प्रकार अन्ततोगत्वा पन्ना-रीवा राजमार्ग के यातायात के कम होने में मदद मिलेगी। मुख्य मार्ग क्रमांक-7 और 8 का उपयोग आन्तरिक यातायात हेतु होगा मुख्य मार्ग क्रमांक-7 के कारण निवेश इकाई क्रमांक-2 के आवासीय क्षेत्र से प्रस्तावित नागरिक केन्द्रों को सीधी पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्रमांक-9 वर्तमान आन्तरिक मार्ग के समानान्तर प्रस्तावित है ताकि मुख्य मार्ग क्रमांक-1 से होने वाली भारी वाहनों की यातायात रीवा मार्ग से हो सके। मुख्य मार्ग क्रमांक-10 मार्ग क्रमांक-1 एवं 2 से जोड़ने हेतु प्रस्तावित है इस कारण इसका उपयोग मुख्यतः आन्तरिक उपयोग हेतु होता रहेगा। मुख्य मार्ग क्रमांक-11 का प्रावधान मुख्यतः चित्रकूट मार्ग के पश्चिम में होने वाले विकास को नियंत्रित रखने हेतु प्रस्तावित है तथा योजना कालावधि के पश्चात् सेवा रेल लाईन के पश्चिम में आबादी स्थापित होने की दिशा निर्धारण में सहयोगी होगी। उपरोक्त मार्गों के रेखांकन में स्थल स्थित के अनुरूप थोड़ा सा फेरबदल संभव है।


### 5.63 खण्ड उपखण्ड स्तरीय एवं स्थानीय मार्ग :

खण्ड उपखण्ड स्तरीय तथा पदचारी मार्गों के संबंध में जानकारी एवं प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना में दिये जावेंगे। नगर स्तरीय परिक्षेत्रिक मार्ग प्रमुखतया, निवेश इकाईयां में आपस में यातायात हेतु प्रस्तावित होते हैं, जबकि उपखण्ड स्तरीय स्थानीय मार्ग एवं पदचारी मार्ग परिक्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली यातायात हेतु होते हैं।


# मार्गों का तिर्यक छेदन

# 5-6 CROSS SECTION OF ROADS


## REGIONAL ROADS क्षेत्रीय मार्ग



## SECTOR ROADS उप मार्ग



## LOCAL ROADS स्थानीय मार्ग



### NOTES :-

- SIDE FP ONLY FOR COMMERCIAL STREETS & ROADS, OTHERWISE BERMS
- FOR COMMERCIAL STREETS, SIDE FP & SR CAN BE INTERCHANGED BY 0.6 M GV.
- ① SIDE FP FOR COMMERCIAL STREETS, OTHERWISE BERMS

THE POSITION OF LIGHT & OTHER FIXTURE FOR DIFFERENT ROAD WIDTH SHALL BE GIVEN DURING THE ACTUAL CONSTRUCTION OF ROAD.

### NOTATIONS

CV	CENTRAL VERGE
CW	CARRIAGE WAY
D	DRAIN
GV	GREEN VERGE
FP	FOOT PATH
CT	CYCLE TRACK
SR	SERVICE ROAD
U	ULTIMATE
I	IMMEDIATE
BR	BERM



### 5.64 मार्गों की चौड़ाई :

विभिन्न मार्गों के लिये विभिन्न चौड़ाई प्रस्तावित की गई है। यह चौड़ाई मार्ग का क्रियात्मक महत्व, दीर्घकालीन यातायात सघनता, यातायात का प्रकार एवं विशेषता आदि के आधार पर निर्धारित की गई है। निम्नलिखित सारणी में सतना नगर के लिये प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई दर्शाई गई है:—

#### सतना : अभिशंसित मार्ग चौड़ाई

5-सा-5

क्रमांक	वर्गीकरण	मीटर में मार्गोधिकार (सेवा मार्ग सहित)	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षेत्रीय मार्ग		
	पन्ना मार्ग	60	क्षेत्रीय यातायात
	रीवा मार्ग	60	क्षेत्रीय यातायात
	मैहर मार्ग	60	क्षेत्रीय यातायात
	सिमरिया मार्ग	60	क्षेत्रीय यातायात
	चित्रकूट मार्ग	45	क्षेत्रीय यातायात
2.	क्षेत्रीय वृतीय मार्ग	60	क्षेत्रीय सीधा यातायात
3.	मध्य क्षेत्रीय मार्ग (कंवरराम टाकीज मार्ग)	25	क्षेत्रीय सीधा यातायात
4.	प्रमुख नगरीय मार्ग		
	मुख्य मार्ग क्र. 1	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 2	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 3	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 4		क्षेत्रीय सीधा यातायात
	(अ) ग्राम कोलगंवा में आने वाला भाग	16.5	
	(ब) ग्राम कल्याणपुर में आने वाला भाग	35.0	
	मुख्य मार्ग क्र. 5	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 6	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 7	9	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 8	30	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 9	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 10	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
	मुख्य मार्ग क्र. 11	35	क्षेत्रीय सीधा यातायात
5.	खण्ड स्तरीय मार्ग	25	निवेश इकाई में यातायात हेतु
6.	उप खण्ड स्तरीय मार्ग	18	खण्ड स्तरीय यातायात हेतु
7.	स्थानीय मार्ग	9-12	खण्ड स्तरीय यातायात हेतु
8.	पदचारी मार्ग	5	खण्ड स्तरीय यातायात हेतु

विद्यमान विकसित क्षेत्रों में मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई प्राप्त होना सदैव संभव नहीं होता इस तथ्य को ध्यान में लेते हुये वर्तमान विकसित क्षेत्र में मार्ग चौड़ाई निम्नलिखित अनुसार प्रस्तावित है:—

1. पन्ना-रीवा मार्ग 35 मी.

2.	सेमरिया मार्ग	35 मी.
3.	चित्रकूट मार्ग	25 मी.
4.	मैहर मार्ग	18-25 मी.
5.	मुख्य मार्ग क्रमांक-1	25 मी.

#### 5.7 यातायात अवसान केन्द्र :

##### 5.71 रेलवे माल गोदाम यार्ड :

वर्तमान यार्ड से भविष्य की आवश्यकता पूरी हो सकती है, इसके अलावा सीमेन्ट फैक्ट्री की ओर जाने वाली साईडिंग भी रेलवे यार्ड के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी.

##### 5.72 रेलवे स्टेशन :

वर्तमान रेलवे स्टेशन को दोमुखी रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर बुकिंग आफिस, प्रतिकालय आदि सुविधाएं प्रस्तावित हैं.

##### 5.73 क्षेत्रीय बस स्टेण्ड :

क्षेत्रीय बस स्टेण्ड की स्थापना सेमरिया चौक के समीप प्रस्तावित है. इस बस स्टेण्ड में सामान घर, विश्रामालय, स्वल्पाहार गृह, चाय की दुकान, बुक स्टॉल, फलों की दुकान, पुलिस नियंत्रण कक्ष आदि सुविधायें उपलब्ध होंगी. इस स्थान पर बस स्टेण्ड स्थापित करने में मैहर मार्ग को छोड़कर सभी क्षेत्रीय मार्गों हेतु यह स्थान उपयुक्त है। प्रस्तावित क्षेत्रीय वृत्त मार्ग या मुख्य मार्ग क्रमांक-1 बन जाने पर मैहर मार्ग के क्षेत्रीय यातायात को भी यह बस स्टेण्ड सुविधाजनक होगा.

पुराने बस स्टेण्ड के स्थान पर रेलवे स्टेशन से समीपता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास किया जाना प्रस्तावित है.

##### 5.74 बस डिपो :

बस डिपो का वर्तमान स्थान नये बस स्टेण्ड के पास होने से वर्तमान स्थान ही उपयुक्त है.

##### 5.75 पिकअप स्टेशन :

नगर के बाहरी हिस्सों में परिवहन सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से क्षेत्रीय मार्गों पर निम्नानुसार स्थान पिकअप-स्टेशन के लिये प्रस्तावित है :—

1. औद्योगिक क्षेत्रके समीप
2. सिमरिया मार्ग के समीप औद्योगिक क्षेत्र
3. चित्रकूट मार्ग स्थित मार्ग संगम
4. प्रस्तावित वर्गीकृत बाजार के समीप

##### 5.76 हवाई पट्टी :

वर्तमान हवाई पट्टी के विकास हेतु प्रावधान रखकर यह पट्टी यथावत् रहेगी. इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक-4 में 125 हेक्टर का क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है. तथापि भूमि उपयोग की गणना लगाते समय इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है.

## प्रमुख कार्य केन्द्र एवं मध्यवर्ती क्षेत्र

### 6.1 प्रमुख कार्य केन्द्र :

प्रमुख कार्य केन्द्र, आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु होते हैं। इन्हीं केन्द्रों में वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां होने से ये यातायात उद्गम स्थल भी होते हैं। ये कार्य केन्द्र नगर में इस प्रकार स्थित होने चाहिए कि आवासीय बस्तियों से निकट हो तथा वहां पहुंचने में न्यूनतम समय लगे। सतना नगर की प्रस्तावित योजना में इन गतिविधियों हेतु भूमि उपयोग का वितरण प्रस्तावित कर प्रमुख कार्य स्थलों में कार्यरत व्यक्तियों का विभाजन निम्नानुसार अनुमानित है :—

1.	वाणिज्यिक केन्द्र	14,000
2.	प्रमुख औद्योगिक केन्द्र	21,000
3.	सेवाओं सहित अन्य कार्य केन्द्र	33,000
	योग . .	<u>68,000</u>

### 6.2 प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र :

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में 145 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है। विभिन्न स्तर की प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :—

#### 6.21 थोक एवं विशिष्ट बाजार :

नगर में उच्चतम प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां, वर्तमान नगर केन्द्र एवं सिमरिया चौक के समीप विस्तारित नवीन नगर केन्द्र में स्थापित करने के प्रस्ताव है। वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र में सभी प्रकार के विशिष्ट बाजार होंगे। तथापि प्रस्तावित नवीन बाजार केन्द्रों में कपड़ा, लोहे का सामान, सेनिटरी का सामान, इंजीनियरिंग का सामान, मोटर के कल पुर्जे, खेलों का सामान, थोक सहकारी भण्डार, सुपर मार्केट आदि दुकानें स्थित होंगी। इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक-4 में 10 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है।

#### 6.22 माल गोदाम, शीत गृह एवं भण्डार गृह :


प्रस्तावित अनाज मण्डी, ट्रांसपोर्ट नगर, थोक एवं विशिष्ट बाजार आदि गतिविधियों में समन्वय रखकर माल-गोदाम, शीत गृह एवं भण्डार गृह हेतु स्थान प्रावधानित है। इन गतिविधियों हेतु कुल 55 हेक्टर का क्षेत्र निवेश इकाई क्रमांक 2, 3, 4 में प्रस्तावित है।

#### 6.23 मण्डी :

(अ) अनाज मण्डी :—वर्तमान कृषि उपज मण्डी के कारण यातायात की समस्याएं निर्मित हुई हैं। अतः वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के निकट अनाज मण्डी हेतु 18.8 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है। यह स्थान प्रमुख मार्ग पर स्थापित होकर इससे रीवा मार्ग से भी समन्वय संभव हो सकेगा। मण्डी में माल नीलामी हेतु तथा माल चढ़ाने-उतारने हेतु ट्रक एवं बैलगाड़ियाँ विराम करने हेतु पर्याप्त स्थान होगा। माल तोलने हेतु धर्म कांटा, कृषकों हेतु विश्राम गृह, बैंक, स्वल्पाहार गृह, पुलिस चौकी आदि का भी प्रावधान रखा गया है। इस मण्डी में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हेतु स्थान सुरक्षित रखा गया है।

## सतना

### 6-2 वाणिज्य एवं उद्योग



(ब) थोक एवं किराना बाजार :—वर्तमान में किराना बाजार मध्यवर्ती क्षेत्र में यत्र-तत्र स्थित है तथा थोक अनाज व्यापार सब्जी मण्डी के एक हिस्से में स्थित हैं। वर्तमान कृषि उपज मण्डी अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने पर थोक किराना बाजार एवं अनाज बाजार 1.5 हेक्टर क्षेत्र में स्थापित किया जावेगा।

(स) सब्जी एवं फल बाजार :—वर्तमान सब्जी एवं फल थोक बाजार, मध्यवर्ती क्षेत्र में संकीर्ण स्थान पर स्थित है। फुटकर व्यापारी सड़क पर ही दुकान लगाते हैं, यहां स्थित अनाज का थोक बाजार वर्तमान कृषि उपज मण्डी में स्थानान्तरित होने पर थोक सब्जी एवं फल बाजार हेतु नगर के मध्य में स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा हर एक निवेश इकाई में साप्ताहिक हाट प्रस्तावित हो जाने से खेरी सब्जी विक्रेताओं की कमी होकर भीड़-भाड़ से राहत मिलेगी।

#### 6.24 वर्गीकृत बाजार :

वर्गीकृत बाजार हेतु लगभग 7 हेक्टर का क्षेत्र क्षेत्रीय वृत्त मार्ग पर प्रस्तावित है। जहां कबाड़ी बाजार, भवन-निर्माण सामग्री, घास मण्डी, लोहा सामान से संबंधित दुकानें वर्कशॉप आदि गतिविधियां स्थित होंगी।

#### 6.25 यातायात नगर :


वर्तमान में अग्रेषण अभिकरण (फारवर्डिंग एजेन्सी) मुख्य रूप से मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होने से इस क्षेत्र में यातायात में कठिनाई होती रहती है। यहां पार्किंग हेतु स्थान, सामान उतारने-चढ़ाने की जगह आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर में दिनो दिन बढ़ने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों को ध्यान में लेते हुये एक नियोजित यातायात नगर की सख्त जरूरत है। इस प्रकार की गतिविधि में निवेश इकाई क्रमांक-3 में रीवा मार्ग पर स्थान प्रावधानित है। पन्ना-रीवा मार्ग पर होने वाले यातायात का दबाव कम करने हेतु पन्ना मार्ग के पश्चिम में अतिरिक्त स्थान भी प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों स्थानों के अन्तर्गत लगभग 22 हेक्टर का क्षेत्र यातायात नगर हेतु आरक्षित है।

# सतना

प्रस्तावित मुख्य कार्य केन्द्र

# SATNA

6-1 PROPOSED MAJOR WORK CENTRE



## 6.26 निवेश इकाई स्तर के बाजार केन्द्र :

प्रत्येक निवेश इकाई में बाजार केन्द्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जहां बहुमंजिले भवनों में स्थित कारखाने, आमोद-प्रमोद के केन्द्र तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक संस्थाओं के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे व्यावसायिक संस्थान, बैंक तथा साप्ताहिक बाजारों हेतु स्थान उपलब्ध होंगे. विकास योजना में निवेश इकाई क्रमांक-2 एवं 3 में निवेश इकाई स्तर के बाजार केन्द्र उपलब्ध कराना प्रस्तावित है. जहां तक निवेश इकाई क्रमांक-1 का प्रश्न है, इसमें बाजार केन्द्र की सुविधाएं वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र से उपलब्ध होती रहेगी जबकि निवेश क्रमांक-3 को विस्तारित बाजार केन्द्र का लाभ मिलता रहेगा। विकास योजना में 20 हेक्टर का क्षेत्र इस उपयोग हेतु प्रावधानित है.

## 6.27 खण्ड स्तरीय बाजार केन्द्र :

आवासीय खण्ड को भी आत्मनिर्भर इकाईयों के रूप में बाजार एवं अन्य स्तर की सुविधाएं जिनका विवरण सारणी 4-सा-7 में दिया गया है, उपलब्ध होकर हर एक खण्ड में लगभग 10 से 15 हजार तक जनसंख्या स्थित होने से इसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खण्ड स्तर के बाजार उपलब्ध होंगे. इस खण्ड स्तर के बाजार हेतु दुकानों के साथ-साथ आमोद-प्रमोद केन्द्र एवं अन्य सेवा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। स्थानीय केन्द्र बाजार के रूप में 3 से 4 हजार की जनसंख्या हेतु 15 से 20 दुकानों हेतु स्थान उपलब्ध रहेगा. इस प्रकार खण्ड स्तर एवं स्थानीय बाजार हेतु लगभग 10.7 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है.

## 6.3 कार्यालय :

जैसा कि पूर्व में उल्लेख है कि लगभग 40% कार्यालय वर्तमान में किराये के भवनों में स्थित हैं. अतः यत्र-तत्र स्थित कार्यालयों को एकत्र करने हेतु एक संगठित कार्यालय परिसर स्थापित करना जरूरी है. वर्तमान में सिविल लाईन क्षेत्र में कार्यालयों के स्थित होने से यहां उपलब्ध खुले स्थानों का उपयोग कार्यालय हेतु किया जा सकेगा. इस उपयोग हेतु लगभग 20 हेक्टर का क्षेत्र चित्रकूट मार्ग पर प्रस्तावित है. इसके अलावा लगभग 16 हेक्टर का क्षेत्र मुख्य मार्ग-4 से लगकर भी विकास योजना में आरक्षित है. इसके अलावा निवेश इकाई क्रमांक-3 में कारागार के निर्माण हेतु लगभग 25 हेक्टर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है.

## 6.4 प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र :

वर्तमान में सीमेन्ट एवं केबिल फैक्ट्री तथा लघु उद्योग इकाईयाँ पन्ना-रीवा मार्ग पर नियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं. सेवा उद्योग, वर्कशॉप एवं कृषि पर आधारित लघु उद्योग मध्यवर्ती क्षेत्र में यत्र-तत्र स्थित है. भविष्य में उद्योग विस्तार की संभावना को ध्यान में लेते हुये नये उद्योग स्थापित करने हेतु विकास योजना में 229 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है.

### 6.41 सामान्य उद्योग :

सेमरिया मार्ग पर भारी, मध्यम एवं लघु उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु 120 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है. भारी एवं मध्यम आकार के उद्योगों हेतु सीमेन्ट एवं केबिल फैक्ट्री के समीप स्थान प्रस्तावित है। ताकि इन उद्योगों को रेल लाईन का लाभ मिले. सेमरिया मार्ग के पूर्व में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों हेतु एक अन्य स्थान प्रावधानित है. इसके अलावा इन उद्योगों हेतु निवेश इकाई क्रमांक-4 में रीवा मार्ग पर वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के रूप में स्थल प्रस्तावित है. उद्योगों हेतु स्थान प्रस्तावित करते समय हवा की दिशा, वर्तमान स्थानों से सानिध्य, प्रस्तावित विस्तार आदि बातों को ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में सामान्य उद्योग हेतु लगभग 150 हेक्टर भूमि आरक्षित की गई है.

#### 6.42 कृषि उपज पर आधारित उद्योग :

प्रमुख कृषि उपज मण्डी स्थित होने के कारण यहां कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित होने की अपार संभावनाएं हैं। बाणसागर योजना पूर्ण होने पर कृषि उपज बढ़ने के साथ-साथ इस प्रकार के उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जायेगी। इस गतिविधि हेतु विकास योजना में मुख्य मार्ग क्रमांक-4 के निकट मण्डी हेतु प्रस्तावित नये स्थान से सम्बन्ध स्थापित करते हुये लगभग 40 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है।

#### 6.43 आरा मशीनें, इमारती लकड़ी एवं कोयले के भण्डार :

वर्तमान में आरा मशीनें प्रमुखतया मुख्य मार्गों पर एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होने से यातायात हेतु कठिनाई तथा आग लगने का भय बना रहता है। आरा मशीनों, इमारती लकड़ी, एवं कोयला भण्डारों हेतु क्षेत्रीय उप मार्ग पर लगभग 10 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है। यह स्थान, वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र के समीप स्थित होने के साथ-साथ प्रस्तावित परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से भी उचित जगह पर स्थित होगा।

#### 6.44 घरेलू एवं सेवा उद्योग :

घरेलू एवं सेवा उद्योगों द्वारा लोगों की त्वरित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा ये उद्योग वाणिज्यिक केन्द्रों में समीप स्थित होते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक हो वहां ये उद्योग बहुमंजिले भवनों में स्थित किये जा सकते हैं। सभी निवेश इकाई स्तर के बाजार केन्द्रों में इस प्रकार की इकाईयां स्थापित करने के प्रावधान हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योगों हेतु जगतदेव तालाब के सामने प्रस्तावित है। घरेलू सेवा उद्योग तथा बहुमंजिले भवनों में स्थित होते हुये लगभग 11.5 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है। बहुमंजिले भवनों में स्थित हो सकने वाले उद्योग निवेश इकाई क्रमांक-4 में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं। वर्तमान में अन्य छोटे-छोटे उद्योगों के अन्तर्गत लगभग 17.5 हेक्टर भूमि समाहित है।

#### 6.45 खनन व अन्य उद्योग :

इन उद्योगों के अन्तर्गत मिट्टी के बर्तन बनाने, खनन कर्म, चूने तथा ईट के भट्टे आदि शामिल हैं। इन उद्योगों को प्रस्तावित आबादी क्षेत्र से बाहर सतना नदी के दक्षिण में स्थान नियत है। मिट्टी का प्रकार ज्ञात होने के बाद में विशिष्ट स्थान निश्चित किये जावेंगे।

#### 6.50 मध्यवर्ती क्षेत्र एवं संबंधित समस्याएं :

सामान्यतः नगर में मध्यवर्ती क्षेत्र, वह स्थान होता है जो नगर की मूल बसाहट का केन्द्र हो तथा वहां कालान्तर में नगर स्तरीय गतिविधियां स्थित होती है। नगर के इसी क्षेत्र को सामान्यतया भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से गुजरना होता है। सतना नगर रेलवे स्टेशन के समीप मध्यवर्ती क्षेत्र नगर का सबसे पुराना हिस्सा है। जहां बहुत पुराने काल में नगर स्तरीय गतिविधियां चलती रही। नगर के पश्चिम में रेल लाईन स्थित होने से पश्चिम दिशा में नगर का भौतिक विकास सीमित रहा।


#### 6.51 मध्यवर्ती क्षेत्र का सीमांकन :

निम्नलिखित बातों को ध्यान में लेकर मध्यवर्ती क्षेत्र का सीमांकन किया गया है :—

1. भूमि उपयोग एवं गतिविधियों की समानता
2. गुणात्मक एकता
3. भौतिक एकात्मकता

इस प्रकार नगर का मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिम में बालिका उच्चतम माध्यमिक विद्यालय से गौशाला तक स्टेशन रोड द्वारा तथा दक्षिण में गौशाला से ईदगाह तक, बरदाडीह बाजार मार्ग से तथा पूर्व में अस्पताल मार्ग ईदगाह तक प्रमुख नाला से तथा उत्तर में स्टेशन मार्ग गल्ला मण्डी मार्ग को जोड़ने वाले अस्पताल मार्ग के अन्तर्गत सीमित है। मध्य क्षेत्र में 13 से 19 वार्ड तक का (वार्ड क्रमांक-18 का कुछ हिस्सा छोड़कर) क्षेत्र शामिल है। इसमें 54.4 हेक्टर का क्षेत्र शामिल है। जिसके अन्तर्गत कुछ खुली भूमि एवं नया तालाब भी आता है।

संक्षेप में नगर का वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र पुराना बरदाडीह बाजार ही है जिसका वर्णन नगर के विस्तार के इतिहास में है। मध्यवर्ती क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु पन्नी लाल चौक है। यद्यपि रेलवे स्टेशन एवं पुराने बस स्टेण्ड से यातायात केन्द्र मध्यवर्ती क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर मध्यवर्ती क्षेत्र के बाहर स्थित है तथापि इस क्षेत्र की पहचान इन्हीं लोक परिवहन स्थानों से होती है।



### 6.52 मध्यवर्ती क्षेत्र के कायकलाप .

मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप स्थित हैं। इस क्षेत्र में ऊंचे दर्जे की गतिविधियाँ परिलक्षित होती हैं। तथा बहुतांश विशिष्ट बाजार इसी में केन्द्रित हैं। यहां स्थित वाणिज्यिक गतिविधियों में कृषि उपज मण्डी, अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, गोशत एवं मछली बाजार, अशोक एवं चांदनी सिनेमा घर, बैंक, व्यावसायिक कार्यालय एवं माल गोदाम आदि प्रमुख है। जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, यहां वर्कशॉप, घरेलू उद्योग, कलपुर्जों के कारखाने, दाल एवं तेल मिलें, आरा मशीनें एवं शराब बनाने के कारखाने स्थित है। जनरल पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, जिलाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अग्निशामक केन्द्र, नगर वितरण केन्द्र (उपकेन्द्र सहित), ईदगाह एवं विभिन्न मन्दिर आदि सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवा सुविधाएं भी यहां स्थित हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र की यह विशेषता है कि परिवहन अभिकरणों के कारण इस क्षेत्र में चारों ओर गोदाम स्थित हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, कला महाविद्यालय, नगर कोतवाली, माल गोदाम आदि गतिविधियां भी स्थित है। नगर क्षेत्र में समस्याएं हल करने के लिये यहां स्थित कुछ गतिविधियां अन्यत्र स्थानान्तरित करना जरूरी है।

### 6.53 मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्याएं :

नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धिगत गतिविधियों के कारण तथा अतिरिक्त क्षेत्र के अभाव में बड़ा दबाव है। पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन होने से और पूर्व में प्रमुख नाला होने से, इन दिशाओं में क्षेत्र का विस्तार सीमित हो गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र में अधूरा सीमा मार्ग होने से यहां स्थित अन्य दो मार्ग (स्टेशन मार्ग एवं अस्पताल मार्ग) संकीर्ण होने से यातायात को कठिनाई वहन करना पड़ती है। स्टेशन मार्ग में पहले से ही क्षेत्रीय एवं नगर यातायात मिल जाने से यातायात की समस्याएं उपस्थित हैं। अनियोजित रूप से भूमि उपयोग परिवर्तन होने से तथा रेलवे क्षेत्र में बहुत सी दुकानें निर्मित हो जाने से इस मार्ग से क्षेत्रीय मार्ग का यातायात सुचारू रूप से वहन करना कठिन हो रहा है। अस्पताल मार्ग की वर्तमान चौड़ाई इतनी नहीं है कि सेमरिया चौक की ओर बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण वह यातायात का भार वहन कर सके। सेमरिया चौक के समीप नया बस स्टैण्ड स्थित हो जाने से इस मार्ग पर यातायात का दबाव और भी बढ़ गया है। नया तालाब मार्ग पर प्रमुख नाले के किनारे बहुत से वर्कशॉप स्थापित हो जाने से ट्रक विराम होते रहते हैं तथा इस कारण कृषि उपज मण्डी की तरफ होने वाली यातायात की तरफ बाधा उत्पन्न होती है। यातायात की बाधाओं के अलावा नया तालाब मार्ग पर आरा मशीन स्थित होने के कारण पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी निर्मित हैं। वर्तमान मण्डी के क्रिया-कलाप सक्षम रूप से चलाने हेतु स्थान की कमी एक प्रमुख बाधा है। साथ-साथ यहां विभिन्न स्थानों पर परिवहन अभिकरण होने से समस्या और गंभीर बन गई है। गल्ला मण्डी एवं प्रणामी मन्दिर मार्ग इन दोनों आन्तरिक प्रमुख मार्गों पर हमेशा ट्रक विराम किये जाने के कारण यातायात को बाधा पहुंचती है। इसी प्रकार सुभाष पार्क के समीप स्थित अनाज एवं सब्जी मण्डी हेतु भी पर्याप्त स्थान न होने से यातायात में बाधा पहुंचती है। इसी कारण सुबह के समय बाह्य मार्ग एवं प्रणामी मंदिर मार्ग पर यातायात का चलना कठिन होता है। मध्यवर्ती क्षेत्र का प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं :—

1. उच्चतम दर्जे की वाणिज्यिक गतिविधियां होने तथा क्रियात्मक कार्यकुशलता में कमी निर्मित होने के साथ-साथ पर्यावरण में गुणात्मक अभाव।
2. मध्यवर्ती क्षेत्र में आरा मशीनें, कृषि उपज मण्डी, परिवहन अभिकरण आदि गतिविधियां स्थित होने से असंगत भूमि उपयोगों की बहुलता।
3. क्षेत्रीय तथा नगर स्तरीय यातायात तथा तीव्र एवं धीमी गति वाले यातायात सम्मिलित रूप से चलने से दयनीय पहुंच क्षमता एवं संकुलता।
4. पार्किंग एवं सर्विस वर्कशॉप के कारण मार्गों पर अतिक्रमण।
5. वाहन विराम स्थलों का अभाव।
6. आवासीय घनता अत्यधिक तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों का अभाव।
7. मुख्य नालों की पर्यावरण विषयक समस्या।

### 6.54 परिभ्रमण संरचना एवं संबंधित समस्याएं :

सतना में मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कठिन है। यहां स्थित संकरे मार्ग उपलब्ध वाहनों या भविष्य में होने वाले यातायात के निर्वहन हेतु अनुपयुक्त हैं। वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र में जो भी अनियमित ग्रीड आयरन पेटर्न हैं जिसे सुधारकर सीमावर्ती मार्गों को ठीक कर तथा आन्तरिक मार्गों को सुधारकर समाकृति बनाना जरूरी है। पन्नीलाल चौक रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होने से गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। जबकि लालता चौक मध्य क्षेत्र का केन्द्र है।

मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रवेश और निर्गम के प्रमुख स्थान निम्नानुसार हैं:—

1. **अस्पताल मार्ग :**

- (अ) कृषि उपज मण्डी की ओर जाने वाला नया तालाब मार्ग
- (ब) सुभाष चौक की तरफ जाने वाला नगर पालिका चौराहा
- (स) पन्नीलाल चौक की ओर जाने वाला अस्पताल चौक

2. **स्टेशन मार्ग :**

- (अ) पन्नीलाल चौक की ओर जाने वाला मछली बाजार चौराहा
- (ब) लालता चौक की ओर जाने वाला बिहारी चौक
- (स) कृषि उपज मण्डी की ओर जाने वाला जय स्तंभ
- (द) अनाज एवं सब्जी मण्डी की ओर जाने वाला गौशाला चौक

3. **ईदगाह एवं कृषि उपज मण्डी की ओर जाने वाला टिकुरिया टोला मार्ग.**

**6.55 पार्किंग की समस्याएं :**

मध्यवर्ती क्षेत्र में संगठित रूप से पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है। पन्नीलाल चौक, जय स्तंभ एवं लालता चौक को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के मार्गों पर वाहन खड़े किये जाते हैं। कृषि उपज मण्डी, वर्कशॉप एवं परिवहन अभिकरण आदि गतिविधियां क्षेत्र सम्मिलित होने से जहां प्रमुख रूप से ट्रकों एवं बसों की पार्किंग हेतु स्थानीय यातायात में बाधा है।

परिभ्रमण की अन्य समस्याओं को अंध-मोड़ असुविधाजनक मार्ग संगम आदि से भी यातायात में समय लगने के साथ-साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं।

**6.56 आवास संबंधित समस्याएं :**

भूमि उपयोग परिवर्तन से आवासीय स्थान में कमी होने के बावजूद मध्यवर्ती क्षेत्र की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। मध्यवर्ती क्षेत्र में लगभग 13.1 हेक्टर का आवासीय क्षेत्र उपलब्ध जिसमें 16,475 लोग रहते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की आवासीय घनता प्रति हेक्टर 1255 व्यक्ति है जबकि सम्पूर्ण नगर हेतु आवासीय घनता प्रति हेक्टर 500 व्यक्ति है। मध्यवर्ती क्षेत्र में परिवार का आकार 8.3 व्यक्तियों का है जबकि सम्पूर्ण नगर हेतु यह आकार औसतन रूप से 4.4 व्यक्तियों का है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में 28.4% आवास कच्चे हैं। कच्चे मकान प्रमुखतया मुख्य मार्गों के मकानों के पीछे जहां भूमि उपयोग में परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं हुआ हो, स्थित है। यहां स्थित खुले स्थानों एवं कच्चे मकानों की भूमि का उपयोग, आवासीय एवं सेवा सुविधाओं हेतु किया जा सकता है।

**6.57 भू-उपयोग संरचना एवं असंगत भूमि उपयोग :**

नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में विशेष रूप से मिश्रित भूमि उपयोग है। इस क्षेत्र में उच्चतम प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां स्थित हैं। उपलब्ध आवासीय क्षेत्र का सतत् रूप से वाणिज्यिक, सेवा उद्योग, वर्कशॉप आदि हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन होता रहता है। यहां मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल क्षेत्र का केवल 24.1% हिस्सा आवासीय उपयोग हेतु उपलब्ध है। जबकि सम्पूर्ण नगर

हेतु यह क्षेत्र 36.6% है। मध्यवर्ती क्षेत्र की आबादी अप्रत्याशित रूप से घनी है। मध्यवर्ती क्षेत्र में शराब कारखाने के पीछे स्थित एक छोटे उद्यान के अलावा कोई आमोद-प्रमोद का स्थान उपलब्ध नहीं है। जबकि इस क्षेत्र में बहुत से खुले स्थान उपलब्ध हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र के पूर्व की सीमा से बहने वाले नाले के कारण पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल क्षेत्र का केवल 16.7% हिस्सा मार्गों हेतु उपयोग में लाया जाता है, जो बहुत कम है। स्टेशन मार्ग एवं अस्पताल मार्ग पर जो मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु प्रवेश बिन्दु है वहां वाणिज्यिक गतिविधियां विशेष रूप से सघन हैं। जगत देव तालाब की ओर संकरी एवं आड़ी-टेडी गलियां स्थित होने से इस दिशा से प्रवेश संभव नहीं होता। नया तालाब के समीप स्थित कृषि मण्डी मध्यवर्ती क्षेत्र की पूर्वी सीमा से जोड़ती है। इसके बीच वाला क्षेत्र अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियां से अप्रभावित रहा है।

मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मण्डी, परिवहन अभिकरण, थोक अनाज एवं सब्जी मण्डी, आरा मशीनों, शराब के कारखाने, गोशत एवं मछली बाजार आदि गतिविधियों से संबंधित भूमि उपयोग असंगत भूमि उपयोग है। अतः इन भूमि उपयोगों को स्थानान्तरित करना अति आवश्यक है।

## 6.6 मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु प्रस्ताव के मूल आधार :

मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करना आवश्यक है। मध्यवर्ती क्षेत्र में बहुत से खुले स्थान हैं, जिन को ठीक तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। यहां कुछ मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। क्योंकि मध्यवर्ती क्षेत्र में अच्छा मकान लाभदायक स्थान पर स्थित होकर तथा भूमि का मूल्य बहुत अधिक होने से यहां स्थित बहुत से मकानों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अतः यही उचित समय है कि विकास योजना प्रस्ताव अनुसार भूमि उपयोग-परिवर्तन की अनुमति दी जायें। यह अनुमति देते समय मार्ग की अनुशंसित चौड़ाई, कुल निर्मित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात आदि बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मध्यवर्ती क्षेत्र में सीमित साधनों के अनुरूप योजना प्रस्ताव दिये गये हैं, जिससे इनका क्रियान्वयन कम से कम व्यवधान के साथ संभव हो सकें। मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रस्तावों हेतु मुख्य आधार निम्नानुसार हैं :—

### 1. भूमि उपयोग :

- (अ) वर्तमान मिश्रित भूमि उपयोग को यथावत् रखना।
- (ब) ऊंचे दर्जे की सेवा सुविधाओं एवं अन्य असंगत उपयोगों को स्थानान्तरित कर उपलब्ध होने वाली खाली स्थानों का युक्तिसंगत उपयोग करना।
- (स) नगर में केन्द्र बिन्दुओं को निर्धारित करना।
- (द) उपलब्ध खाली स्थानों का उपयोग कर आवासीय घनता में कमी।
- (इ) खुले स्थान उपलब्ध कराना तथा जलाशयों का विकास करना।
- (फ) पर्यावरण में सुधार हेतु प्रमुख नाले को पक्का बनाना।

### 2. परिभ्रमण :


- (अ) सीमावर्ती मार्गों में सुधार लाना तथा मुख्य नाले को पक्का करना।
- (ब) मध्यवर्ती क्षेत्र से होने वाले क्षेत्रीय यातायात को कम करना।

# सतना

प्रस्तावित भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)

# SATNA

6-5 PROPOSED LAND USE (CENTRAL AREA)



- आवासीय RESIDENTIAL
- व्यापारिक COMMERCIAL
- औद्योगिक INDUSTRIAL
- सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक PUBLIC & SEMI-PUBLIC
- सार्वजनिक सुविधाएं PUBLIC FACILITY
- उपभोग्य प्रजाति RECREATIONAL



# सतना

वर्तमान भूमि उपयोग  
(मध्य क्षेत्र)



- आवासीय RESIDENTIAL
- वाणिज्यिक COMMERCIAL
- औद्योगिक INDUSTRIAL
- सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक PUBLIC & SEMI-PUBLIC
- सार्वजनिक सुविधाएं PUBLIC-AMENITIES
- आमोद प्रमोद RECREATIONAL



- (स) हल्के वाहनों हेतु मध्यवर्ती क्षेत्र में उपयुक्त आंतरिक परिभ्रमण संरचना निर्मित करना.
- (द) भवन पंक्ति निर्धारित कर वांछित मार्ग चौड़ाई प्राप्त करना.
- (इ) असुविधाजनक मार्ग संगमों, अंध मोड़ों एवं अन्य रूकावटों में सुधार लाकर यातायात सक्षम बनाना.
- (फ) वाहनों के पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराना.

#### 6.7 मध्यवर्ती क्षेत्र की प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना :

नगर का वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र यथावत् रहेगा। तथापि मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित दबाव को कम करने हेतु नवीन केन्द्र बिन्दु सिमरिया चौक के समीप विशिष्ट गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि यह क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र के एक हिस्से के अंक में विकसित हो सकें। इस कार्य हेतु कंवरराम टॉकिज रोड का श्रृंखला मार्ग के रूप में उपयोग होगा। वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र को इस प्रकार विकसित करना प्रस्तावित है कि लालता चौक एक धुरी केन्द्र के रूप में कार्यरत रहे। इससे पन्नीलाल चौक एवं चौक बाजार क्षेत्र की वर्तमान भीड़ को कम होने में मदद मिलेगी। इस संबंध में मौटे तौर पर प्रस्ताव नीचे वर्णित है।

#### 6.71 वाणिज्यिक :

आज की परिस्थितियों के अनुरूप मध्यवर्ती क्षेत्र का आकार उपयुक्त प्रतीत होता है। चौक बाजार को यथावत् रखा जावेगा तथा लालता चौक को गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु मानकर नई गतिविधियाँ प्रस्तावित की जावेगीं। कृषि उपज मण्डी स्थानान्तरित पर रिक्त भूमि का उपयोग थोक एवं किराना बाजार हेतु किया जावेगा। इससे वर्तमान अनाज एवं सब्जी मण्डी से भीड़ भी कम होगी। थोक अनाज बाजार को वर्तमान मण्डी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने पर वर्तमान सब्जी एवं फल बाजार मध्यवर्ती क्षेत्र के मध्य में स्थित होंगे। परिवहन अभिकरण को मध्यवर्ती क्षेत्र से स्थानान्तरित करने से मध्यवर्ती क्षेत्र को पर्याप्त राहत मिलेगी।

आरा मशीनें स्थानान्तरित होने पर रिक्त स्थान पर नया तालाब मार्ग पर संगठित बाजार प्रस्तावित है। इस योजना का संचालन खास तौर पर विकास योजना को कार्यान्वित करने वाली किसी एजेन्सी द्वारा हाथ में लेना बहुत आवश्यक है। वर्तमान शराब कारखाने का स्थान थोक अनाज, किराना बाजार पार्किंग एवं उद्यान हेतु प्रस्तावित है। मध्यवर्ती क्षेत्र के परिक्षेत्रिक नियमन में इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि दुकानें केवल वाणिज्यिक तथा आवासीय मार्गों पर ही स्थापित की जा सकें। अन्य मार्गों पर वर्तमान में जो दुकानें स्थित हैं, उनको यथावत् रहने दिया जावेगा। लेकिन इन मार्गों पर भविष्य में दुकानों का निर्माण वर्जित रहेगा। मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र, कुल क्षेत्र का 18.4% होगा।

#### 6.72 भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना :

मध्यवर्ती क्षेत्र की गतिविधियों में सेवा उद्योग एवं गृह उद्योगों का निकट सम्बन्ध होने से वे यथावत् रहेंगे। आरा मशीनों को स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि यहां रिक्त भूमि पर बहुमंजिले औद्योगिक भवनों का निर्माण किया जा सकें। इन भवनों में सेवा उद्योगों से संबंधित वर्कशॉप स्थापित किये जा सकें। मध्य क्षेत्र में स्थित असंगत उपयोगों की पुनर्स्थापना सारणी 5-सा-4 में दर्शाई गई है।

### 6.73 सार्वजनिक सेवा सुविधायें :

वर्तमान में उपलब्ध सभी सेवा-सुविधाएं यथावत् रहेगी. वर्तमान अग्निशामक केन्द्र को भी यथावत् रख इसको प्रस्तावित बहुमंजिले भवन में कार्यरत रखा जावेगा. सुभाष पार्क का सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग यथावत् जारी रहेगा. नया तालाब के दक्षिणी हिस्से को सुधार कर इसका उपयोग पार्किंग हेतु किया जावेगा. इसी प्रकार वर्तमान मछली बाजार को स्थानान्तरित करने पर जो स्थान उपलब्ध होगा वह भी पार्किंग के रूप में उपयोग में लाया जावेगा. इसी प्रकार लो.नि.वि. कार्यालय एवं इस विभाग के वर्कशॉप के पास स्थित स्थान का उपयोग भी पार्किंग हेतु किया जा सकता है. शराब कारखाने का कुछ हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित छोटे पार्क के विस्तार हेतु काम में लाया जावेगा तथा बचे हुये हिस्से का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग एवं पार्किंग के लिये किया जावेगा. ईदगाह एवं नया तालाब के समीप स्थित स्थान का उपयोग आमोद-प्रमोद के लिये किया जावेगा.

### 6.8 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना ( मध्यवर्ती क्षेत्र ) :

वर्तमान मध्यवर्ती क्षेत्र को एक नये उभरने वाले केन्द्र बिन्दु तक विस्तारित करना प्रस्तावित है. अतः मध्यवर्ती क्षेत्र की परिवहन परिकल्पना का आधार ग्रीड आयरन पेटर्न पद्धति को सुधार कर पुराने क्षेत्र को नये विकसित क्षेत्र के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने की योजना है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है. कुछ गतिविधियां स्थानान्तरित कर वर्तमान घनता को कम करना भी प्रस्तावित है. असुविधाजनक मार्ग संगमों का सुधार, अन्ध-मोड़ों का सुधार तथा यातायात में आने वाली अन्य असुविधाओं को सुधार कर यातायात अधिक सुगम एवं सक्षम बनाना प्रस्तावित है. पर्याप्त मात्रा में उचित स्थानों पर पार्किंग हेतु स्थान भी प्रस्तावित किये गये हैं. इन सब बातों को ध्यान में लेते हुये मध्यवर्ती क्षेत्र की परिभ्रमण संरचना के निम्नानुसार प्रस्ताव दिये जा रहे हैं :-

#### 6.81 प्रमुख मार्ग :

मध्यवर्ती क्षेत्र में सर्वप्रथम मुख्य नाले के किनारे से एक मार्ग निर्मित कर ग्रीड आयरन पेटर्न को ठीक करना जरूरी है. विकास योजना प्रस्ताव में इस मार्ग को मुख्य मार्ग क्रमांक-1 के नाम से संबोधित किया जावेगा. इससे दो लाभ होंगे प्रथम यह होगा कि यातायात हेतु एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होंगे तथा दूसरा लाभ नाला पक्का बनने पर इस मार्ग से मध्यवर्ती क्षेत्र की पूर्ववर्ती सीमा निर्धारित होगी. नाले के केवल एक तरफ मार्ग निर्मित करने से पर्याप्त मात्रा में मार्ग चौड़ाई उपलब्ध न होने से यहां प्रस्तावित की गई नाले के दोनों ओर मार्ग प्रस्तावित की जावेगी. नाला पक्का बनने पर दोनों तरफ से प्रस्तावित मार्गों हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने की संभावना है. इस कार्य से सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच सुलभ होकर संपूर्ण पर्यावरण सुधारने में मदद मिलेगी.

#### 6.82 समन्वय मार्ग :

परिभ्रमण संरचना में प्रस्तावित विकास से समन्वय रखा जाता है. नगर के विस्तारित हिस्से को जोड़ने हेतु कंवरराम टॉकिज मार्ग जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करेगा.

#### 6.83 नये पहुंच मार्ग :

पुराने पावर हाऊस मार्ग को नया तालाब मार्ग से जोड़ने हेतु एक नया पहुंच मार्ग प्रस्तावित है. इससे स्टेशन मार्ग एवं प्रमुख मार्ग क्रमांक-1 को सीधी पहुंच उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रस्तावित बहुमंजिले भवनों में स्थित उद्योगों एवं वाणिज्यिक क्षेत्र को भी जोड़ने में मदद मिलेगी. वर्तमान मण्डी को जो मार्ग उपलब्ध है उसको नये पहुंच मार्ग तक बढ़ाया जावेगा.

#### 6.84 पदचारी मार्ग :

वाणिज्यिक मार्ग पर पैदल चलने वालों को नियंत्रित करना कठिन है. विकास योजना में लालता चौक केन्द्र बिन्दु परिकल्पित होने से यह प्रस्तावित है कि इस चौक पर जाने वाले सभी मार्गों पर सायकल और स्कूटर को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर लगाई जावें. इस प्रकार लालता चौक से चांदनी चौक, जवाहर चौक वर्तमान मण्डी एवं गनपत मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग पदचारी मार्ग के रूप में प्रस्तावित है.

#### 6.85 मार्गों की चौड़ाई :

उपलब्ध भूमि एवं मध्यवर्ती क्षेत्र की परिभ्रमण संरचना को ध्यान में लेते हुये मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित है. सभी प्रमुख मार्गों को वाणिज्यिक मार्गों में विभाजित किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी के मार्गों को वाणिज्यिक तथा आवासीय मार्गों में वर्गीकृत किया गया है. शेष सभी मार्ग प्रमुखतः आवासीय मार्गों के रूप में कार्यरत रहते हैं. बहुत से कारणों में मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई के लिए एक समान चौड़ाई प्रस्तावित करना संभव नहीं है. लेकिन किसी भी दशा में वर्तमान में उपलब्ध चौड़ाई को कम नहीं किया जायेगा.

निम्न सारणी में मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित प्रमुख मार्ग हेतु प्रस्तावित चौड़ाई के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है:—

#### सतना : प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई ( मध्य क्षेत्र )

6-सा-1

क्रमांक	मार्गों के नाम	मार्ग चौड़ाई (मीटर में)	
		वर्तमान	प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)

#### (अ) वाणिज्यिक मार्ग :

1.	अस्पताल मार्ग	12	18
2.	स्टेशन मार्ग	12	15 से 18
3.	नया तालाब मार्ग (प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्र. 1)	10	15 से 18
4.	गल्ला मण्डी मार्ग	12	12 से 15
5.	महावीर मार्ग	9	12 से 15
6.	पुराना पावर हाऊस मार्ग	10	12 से 15
7.	चौक बाजार मार्ग	10	12 से 15

#### (ब) वाणिज्यिक तथा आवासीय मार्ग :

1.	चौक बाजार से शराब कारखाने तक का मार्ग	9	12
2.	गनपत मार्ग	9	12
3.	बिहारी चौक से मण्डी तक का मार्ग	9	12
4.	प्रमाणी मंदिर मार्ग	7	12
5.	बजरहा टोला मार्ग	7.5	10

## आवास एवं नगरीय अधोसंरचना

नगर में निवास की परिस्थितियां, मकानों की कमी तथा भविष्य की आवश्यकता आदि बिन्दुओं पर विवेचन दूसरे और चौथे अध्याय में किया जा चुका है. नगर की वर्तमान समस्याएं तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुये आवास एवं उससे संबंधित योजना के प्रस्ताव निम्न आधार पर तैयार किये गये हैं :—

- (अ) सन् 2001 तक के लिये आवश्यकताओं के अतिरिक्त वर्तमान में 4830 आवास गृहों की कमी की पूर्ति हेतु भूमि का आवंटन।
- (ब) अल्प आय, निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये विशिष्ट आवासीय क्षेत्रों का प्रावधान.
- (स) वर्तमान तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों का कड़ी मार्ग एवं सेवा सुविधाओं के साथ विकास करना.
- (द) नगरीय एवं नगरीकरण योग्य ग्रामों का प्रस्तावित विकास के साथ समन्वय.
- (ई) झुग्गी-झोपड़ी एवं गंदी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार.

विकास योजना में प्रत्येक आवासीय इकाई स्वयंपूर्ण बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर सेवा एवं सुविधाओं को क्रमबद्ध रूप से विकास प्रस्तावित है.

### 7.1 आवासीय क्षेत्र एवं जनसंख्या तथा क्षेत्र का वितरण :

सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्र का चार परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निवेश इकाई से संबद्ध हैं. यह परिक्षेत्र आत्मनिर्भर रहेंगे तथा इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होकर आवास, कार्यस्थल तथा सुविधाओं में सहसम्बन्ध स्थापित रहेगा.

नगर में आवासीय क्षेत्र एवं जनसंख्या का वितरण आवासीय घनता की मात्रा एवं आय समूह के आधार पर आधारित है. राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार नगरों में 42% जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग 32 % जनसंख्या निम्न आय वर्ग 20% जनसंख्या मध्यम आय वर्ग तथा 6% जनसंख्या उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत पाई गई.

आवासीय घनता एवं परिवार की आय का परस्पर सम्बन्ध देखा गया है. सामान्यतया उच्च आय वर्ग के लोग कम घनत्व वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में वास करते हैं. तथापि आवासीय क्षेत्रों में निवेश करते हुये विभिन्न आय समूहों को सामाजिक सम्बद्धता एवं सुविधा की दृष्टि से मिश्रित रूप से विकास प्रस्तावित है. मध्यम एवं कम घनत्व वाले क्षेत्रों में सेवा कार्यों से संबंधित लोगों हेतु स्थान प्रावधानित करना जरूरी है. आय समूहों को ध्यान में लेते हुये आवासीय घनत्व निम्नानुसार प्रस्तावित है. निम्न घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हेक्टर ( उच्च आय वर्ग के लिये), मध्यम घनत्व 126 से 250 व्यक्ति प्रति हेक्टर, ( मध्यम आय वर्ग के लिये), मध्यम उच्च घनत्व 251 से 400 व्यक्ति प्रति हेक्टर ( निम्न आय वर्ग के लिये), उच्च घनत्व 401 से 600 व्यक्ति प्रति हेक्टर ( आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु).

विकास योजना में जनसंख्या एवं आवासीय क्षेत्रों का वितरण निम्न बातों को ध्यान में लेकर किया गया है :—

- (अ) प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में आपसी समन्वय द्वारा सामाजिक सम्बद्धता निर्मित करना.
- (ब) निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु उच्च एवं मध्यम आवासीय घनत्व वाले क्षेत्रों का निर्माण कार्य केन्द्रों, नगरीय केन्द्रों एवं औद्योगिक केन्द्रों के समीप प्रस्तावित.
- (स) मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित भारी भीड़ को फर्शी-क्षेत्र अनुपात ( एफ.ए.आर. ) निर्धारित कर तथा खुले स्थान को काम में लाकर नियंत्रित करना प्रस्तावित.
- (द) उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु निम्न घनत्व वाले क्षेत्र न्यूनतम रखने का प्रयास किया है.
- (इ) सेवाओं एवं सुविधाओं का उचित रूप से वितरण करने पर वर्तमान एवं प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में सामन्जस्य स्थापित किया जावेगा.
- (फ) वर्तमान नगरीय केन्द्र एवं विस्तारित वाणिज्यिक केन्द्र के बीच सहसम्बन्ध आवासीय विकास को ध्यान में लेते हुए किया गया है.

आवासीय परिक्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण निम्नानुसार है :—

सतना : जनसंख्या एवं आवासीय क्षेत्र का वितरण

7-सा-1

आवासीय परिक्षेत्र क्र.	परिक्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण बस्तियां	आवासीय परिक्षेत्रों की संख्या	क्षेत्र		जनसंख्या		औसतन आवासीय घनत्व
			क्षेत्र हेक्टर में	प्रतिशत	1000 में	प्रतिशत में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नगर केन्द्र, पन्नी लाल चौक, लालता चौक, बिहारी चौक, रेलवे कालोनी, धवारी-नजीराबाद, डालीबाबा, राजेन्द्रनगर आदि.	4	280	31.18	66	30.00	235
2.	सिविल लाईन, सेमरिया चौक, मुख्तियारगंज, सीमेंट एवं केबिल फैक्ट्री आदि.	4	289	32.18	66	30.00	228
3.	बांधवगढ़ कालोनी, सिंधी कैम्प, औद्योगिक क्षेत्र, आई.टी.आई., सीमेंट फैक्ट्री, बस्तियां आदि.	3	121	13.43	41	18.6	338

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	कोलगवां थाना, कंवरराम टाकीज क्षेत्र, कृष्णा कालोनी, टिकुरिया टोला आदि.	4	211	23.21	47	21.4	222
	योग	15	901	100.0	220	100.0	245

आवासीय घनत्व के माध्यम से आवास एवं सेवा-सुविधाओं हेतु वांछित क्षेत्र की आवश्यकता ज्ञात की जाती है। सामान्यतया शुद्ध आवासीय घनत्व से वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में लोग किन परिस्थितियों में वास कर रहे हैं, इसका पता चलता है। छोटे क्षेत्रों के अभिन्यास बनाने हेतु भी शुद्ध घनत्व एक मापदण्ड है। सम्पूर्ण नगर, आवासीय परिक्षेत्र आदि के लिये क्रमबद्ध रूप से सेवा एवं सुविधाओं का प्रावधान रखने हेतु सकल घनता वाले मापदंड का प्रयोग किया जाता है।

नगर में औसत आवासीय घनता प्रति हेक्टर 500 व्यक्ति पाई गई है। तथापि नगर के 29 वार्डों में से 13 वार्डों में उपरोक्त औसत से कम घनता पाई गई है। नगर के कुछ वार्डों में और विशेषतया मध्यवर्ती क्षेत्र में आवासीय घनता अप्रत्याशित रूप से अधिक दिखाई देती है। विकास योजना में सकल घनत्व प्रति हेक्टर 244 व्यक्ति एवं शुद्ध घनता 110 व्यक्ति प्रस्तावित की गई है।

विभिन्न घनत्व परिसीमा हेतु निर्धारित क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:—

**सतना : आवासीय घनता ( परिक्षेत्रानुसार )**


(क्षेत्रफल हेक्टर में एवं जनसंख्या हजार में) 7-सा-2

आवासीय परिक्षेत्र	आय समूह/घनत्व								योग	
	निम्न 125 तक		मध्यम 126- 250 तक		मध्यम-उच्च 251-400		उच्च 401-600			
	क्षेत्रफल	जनसंख्या	क्षेत्रफल	जनसंख्या	क्षेत्रफल	जनसंख्या	क्षेत्रफल	जनसंख्या	क्षेत्रफल	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	42	4	87	8	78	28	73	26	280	66
2.	43	4	90	12	81	21	75	29	289	66
3.	18	2	37	6	34	12	32	21	121	41
4.	32	3	65	18	59	9	55	17	211	47
योग	135	13	279	44	252	70	235	93	901	220
क्षेत्रफल%	15	-	31	-	28	-	26	-	100.0	-
जनसंख्या%	-	6	-	20	-	32	-	42	-	100

## सतना

### 7-1- क्षेत्र एवं जनसंख्या

#### घनत्व सीमा के अनुसार



प्रत्येक परिक्षेत्र में आवासीय घनत्व क्षेत्र की स्थिति तथा वहां लोगों की व्यय क्षमता पर निर्भर करता है. इस जनसंख्या वितरण से आवासीय परिक्षेत्र एवं समीपस्थ आवासीय स्थान की भौगोलिक परिस्थिति तथा लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति आदि बातों को ध्यान में रखकर नियोजन करने में मदद मिलेगी.

चित्र से यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे आवासीय घनत्व में वृद्धि होती है वैसे-वैसे जनसंख्या का प्रमाण बढ़ता है. अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निम्न आय वर्गों की बस्ती में उच्च आय वर्गों की बस्ती की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वास करती है.

### 7.2 शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय आवास :

वर्तमान में जो केन्द्रीय शासन, राज्य शासन एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय किराये के भवनों में स्थित हैं, उन कार्यालयों को वर्तमान सिविल लाईन क्षेत्र एवं कोलगवां थाने के निकट स्थित नये आफिस काम्पलेक्स में स्थापित करना प्रस्तावित है. परिक्षेत्र क्रमांक 2 और 4 में शासकीय आवास निर्माण करना प्रस्तावित है. शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय आवास व्यवस्था हेतु लगभग 40 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित है. इस सम्बन्ध में स्थान का चयन शासकीय भूमि की उपलब्धता कार्यालयों से आवासों की दूरी आदि बातों को ध्यान में लेकर किया गया है.

### 7.3 औद्योगिक आवास :

रोजगार के अवसर विशेषकर उद्योग में होने से अकुशल श्रमिक आस-पास के ग्रामों से नगर की ओर आकर्षित करते हैं. इस प्रकार के श्रमिकों को अपने गांव से नित्य रोज आना-जाना सम्भव नहीं होता तथा इन लोगों को किराये के मकान में रहने की हैसियत भी नहीं रहती. इन सभी औद्योगिक नगरों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु निवास स्थान उपलब्ध होते हैं तथा ये निवास स्थान उनके कार्य स्थल के समीप होना जरूरी होता है. यदि इस प्रकार के श्रमिकों को बसाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्थान नहीं रखा गया तो ये लोग नगर में खुली नजूल भूमि पर जबरदस्ती बस जाते हैं तथा अन्तोगत्वा खुले स्थानों पर गन्दी बस्तियां निर्मित हो जाती है.

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में लेते हुये, आवासीय, परिक्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के समीप होने से औद्योगिक श्रमिकों के आवास हेतु प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजना हेतु कुल 125 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है।

#### 7.4 गंदी बस्ती तथा झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र :

नगर में सात गंदी बस्तियां देखी गई है। जिनमें 12750 लोग रहते है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गंदी बस्तियों का उन्मूलन एक कठिन काम होने के साथ-साथ इससे लोगों के सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त होकर कार्य केन्द्र से आर्थिक संबंध भी टूट जाते है। गंदी बस्ती उन्मूलन में पर्याप्त लम्बे समय से किसी स्थान पर बसे हुये उन स्थानों से भावनात्मक संबंध निर्मित होने से वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में लेते हुये सभी गंदी बस्ती क्षेत्र का सुधार प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत फुटपाथ, नालियां, स्ट्रीट लाईट एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रावधानित है। यदि विकास योजना क्रियान्वित करने हेतु किसी गंदी बस्ती क्षेत्र का कोई हिस्सा आवश्यक हो तो वहां स्थित परिवारों को आसपास के क्षेत्र पर स्थान प्रावधानित किया जा सकता है।

इस प्रकार निम्नलिखित गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार लाना आवश्यक है:—

1. टिकुरिया टोला
2. बजरहा टोला (कुछ हिस्सा)
3. खूथी
4. सिद्धार्थ नगर (कुछ हिस्सा)
5. डालीबाबा
6. पुरानी खूथी
7. कामता टोला

गंदी बस्ती समस्या के हल हेतु तथा नई गंदी बस्तियां न हो इसलिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित है। इससे यत्र तत्र झुग्गियों के निर्माण पर नियंत्रण के साथ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को भी रोका जा सकेगा:—

1. गंदी बस्ती में स्थित लोगों के जीवन में सुधार लाने की दृष्टि से गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार.
2. जो श्रमिक नगरों में बसना चाहते है, उनको सेवा-सुविधाओं हेतु रिक्त भू-खण्ड उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु भूमि उपलब्ध कराना.
3. गंदी बस्तियों की वृद्धि को रोकने हेतु प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के अभिन्यास बनाकर तथा विकास कर लोगों को आवश्यकतानुसार भू-स्वामित्व के आधार पर भू-खण्डों का वितरण.

विकास योजना में नगर की कुल 42% जनसंख्या समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के आवास हेतु 26% प्रावधानित है। विशिष्ट क्षेत्रों में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार रूप बुनियादी सेवायें उपलब्ध कर भू-खण्डों का आवंटन किया जा सकेगा.

#### 7.5 सेवायें एवं सुविधायें :

नगरीय जीवन सुविधाजनक एवं आनंदमय बनाने की दृष्टि से सेवा सुविधायें उपलब्ध स्थानों पर उपलब्ध कराना जरूरी है। इस प्रकार की सेवा सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, जन उपयोगिताएं, आमोद-प्रमोद

आदि सुविधाएं शामिल है। इन स्थान, आकार, प्रकार चारित्रिक गुण आदि के रूप में इन सुविधाओं की समस्याएं एवं अभाव का ध्यान रखना जरूरी होता है। खण्ड स्तर, निवेश इकाई स्तर पर अतिरिक्त इकाईयां स्थापित कर योजना काल में वर्तमान कमियों को पूरा करना आवश्यक है।

### 7.51 स्वास्थ्य सुविधाएं :

विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं हेतु नगरवासियों को वर्तमान में रीवा जाना पड़ता है जो खर्चीला एवं असुविधाजनक होता है। अतः कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं सतना में ही उपलब्ध कराना होगी। नगर में 220 पलंगों वाले अस्पताल की आवश्यकता है। जबकि वर्तमान में केवल 132 पलंग उपलब्ध है। 100 पलंग क्षमता वाले एक नये अस्पताल के निर्माण हेतु 7.5 हेक्टर का क्षेत्र निवेश इकाई क्रमांक 3 में प्रावधानित है। वर्तमान अस्पताल को जिला अस्पताल के रूप में कार्यरत रखने की दृष्टि से वर्तमान क्षेत्र अपर्याप्त है। तथापि मध्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्तमान अस्पताल यथावत् रखा जावेगा। इसके अलावा निवेश इकाई क्रमांक 4 में प्रस्तावित नगर केन्द्र में नागरिकों हेतु स्थान प्रस्तावित है। बड़े औषधालय, नर्सिंग होम प्रसूतिगृह आदि सुविधाएं निवेश इकाई स्तर के अन्तर्गत शामिल है। वर्तमान में नगर में पहले से ही कुछ औषधालय है। निवेश इकाई क्रमांक 3 को छोड़कर जहां पहले से अस्पताल स्थित हर एक निवेश इकाई में 1 से 1-1/2 हेक्टर क्षेत्र में एक औषधालय स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अलावा हर एक परिक्षेत्र में 0.25 से 0.50 हेक्टर तक के क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी प्रस्तावित है। इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 25 हेक्टर का अतिरिक्त क्षेत्र प्रावधानित है।

### 7.52 शैक्षणिक सुविधाएं :

अध्याय 4 में निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। सम्पूर्ण नगर हेतु भूमि उपयोग संरचना को ध्यान में लेते हुये शैक्षणिक संस्थाओं हेतु स्थान प्रस्तावित किये गये हैं। एक संयुक्त शिक्षा परिसर स्थापित करने की दृष्टि से नया स्थान वर्तमान कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के समीप ही प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तावित औद्योगिक परिक्षेत्र से समन्वय रखते हुये पालिटेक्निक हेतु 3 हेक्टर का क्षेत्र वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समीप प्रस्तावित है। इसके अलावा वर्तमान शैक्षणिक सुविधाएं यथावत् कार्यरत रहेगी। आसपास में स्थित किसी निवेश इकाई केन्द्र में हायर सेकेन्डरी भवन निर्मित होने पर वर्तमान महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करना उचित होगा क्योंकि वाहनों द्वारा शोर-शराबा होने के साथ-साथ इस स्थान पर खेल का स्थान भी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार मुखतियारगंज स्थित वाणिज्यिक महाविद्यालय को भी किराये के मकान में स्थित होने के साथ-साथ खेल का मैदान उपलब्ध न होने से शिक्षा परिसर में स्थानान्तरित करना उचित होगा। प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्र. 3 के दक्षिण में ग्राम सौनोरा चैक उतैली में 8.52 एकड़ भूमि विद्यालय हेतु आरक्षित की गई है। जिस पर विकास के लिए सिविल एविएशन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

हर एक निवेश इकाई में छात्र एवं छात्राओं हेतु एक-एक उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय हेतु स्थान रखा गया है। इसी प्रकार परिक्षेत्रिक एवं उप परिक्षेत्रिक स्तर पर माध्यमिक, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शाला हेतु स्थान रखा गया है।

निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार सामान्य रूप से विद्यालयों हेतु एवं विशेष रूप से नये विद्यालयों हेतु स्थान प्रावधानित किये जावेंगे।

1.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1.25 से 1.5 हेक्टर
2.	माध्यमिक विद्यालय	0.75 से 1.0 हेक्टर
3.	प्राथमिक विद्यालय	0.25 से 0.30 हेक्टर
4.	पूर्व प्राथमिक शाला (नर्सरी)	0.15 से 0.20 हेक्टर

इस प्रकार विकास योजना में परिक्षेत्रिक स्तर के शिक्षा सुविधा हेतु लगभग 43 हेक्टर का अतिरिक्त क्षेत्र प्रावधानित है।

### 7.53 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं :

निवेश इकाई एवं परिक्षेत्रीय स्तर पर नगर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, तथा इस संबंध में विवेचन अध्याय-4 में किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्तमान संस्थाओं के संबंध में भी विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। नगर में नये बस स्टेण्ड के समीप टाऊन हाल का निर्माण जारी है। संग्रहालय, केन्द्रीय पुस्तकालय एवं सिटी क्लब हेतु निवेश इकाई क्रमांक 4 में स्थान प्रावधानित है। इसके अलावा हर एक निवेश इकाई में सभा भवन, कम्युनिटी हाल, क्लब एवं पुस्तकालय हेतु स्थान प्रावधानित है। सामुदायिक भवन, धर्मशाला एवं वाचनालय हेतु हर एक परिक्षेत्र में प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजन हेतु विकास योजना में लगभग 15 हेक्टर का अतिरिक्त क्षेत्र प्रावधानित है। प्रस्तावित नगर केन्द्र में नगरीय स्तर की सभी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां सम्पन्न होने की संभावना है।

### 7.54 आमोद-प्रमोद :

विकास योजना में आमोद-प्रमोद हेतु प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में नगर में कोई नगर स्तरीय उद्यान नहीं है। कम्पनी उद्यान, जो नगर का सुन्दर उद्यान माना जाता था, संकुचित स्थान में परिवर्तित हो गया है। नगर में आमोद-प्रमोद की गतिविधियां स्थापित करने हेतु संभावनाएं विद्यमान हैं। वर्तमान जलाशयों को उद्यान एवं पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। स्वस्थ पर्यावरण निर्मित करने की दृष्टि के खेल के मैदानों एवं खुले स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश नगर में इसका अभाव है। इसी प्रकार नगर में लगभग दो तिहाई शैक्षणिक संस्थाओं के पास खेल के मैदानों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जो केवल 2.8 हेक्टर का क्षेत्र आमोद-प्रमोद हेतु उपलब्ध है, जो कुल विकसित क्षेत्र का केवल 0.5% है। इस बात को ध्यान में लेते हुये विकास योजना में 132 हेक्टर का क्षेत्र इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित है।

(अ) नगर उद्यान.—वर्तमान नारायण तालाब को, जो रीवा मार्ग पर कौलंगवा थाने के समीप निवेश इकाई क्रमांक 4 स्थित है, प्रमुख नगर उद्यान के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। इस तालाब में पानी का विस्तार अच्छा होने से इसके कुछ हिस्सों में जल आधारित आमोद-प्रमोद गतिविधियां भी विकसित की जा सकती हैं। इस नगर उद्यान हेतु 20 हेक्टर का क्षेत्र नियत है। इस क्षेत्र का उपयुक्त विकास करने की दृष्टि से यहां स्थित कब्रिस्तान, चर्मशोधन केन्द्र एवं धोबीघाट आदि गतिविधियां असंगत होने से अन्यत्र स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है।

इसके अलावा तीन अन्य पार्कों का निर्माण लगभग 40 हेक्टर में निर्मित करना प्रस्तावित है। ये पार्क क्रमशः मुखतियारगंज मंदिर के समीप धवारी स्थित खुले स्थानों पर तथा निवेश इकाई क्रमांक 3 में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थापित करना प्रस्तावित है।

(ब) स्टेडियम.—नगर में एक स्टेडियम है जो केवल सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र में आता है। नगर उद्यान परिसर में निवेश इकाई क्रमांक 4 में 6 हेक्टर का क्षेत्र नये स्टेडियम हेतु प्रस्तावित है।

(स) तरणताल.—नगर में वर्तमान में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित नगर उद्यान परिसर में 2 हेक्टर का क्षेत्र निवेश इकाई क्रमांक 4 में तरणताल हेतु प्रस्तावित है।

(द) पिकनिक स्थल.—प्रस्तावित नगर उद्यान, पिकनिक स्थल के रूप में भी उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा संतोषी माता मन्दिर के समीप स्थित तालाब के चारों ओर के हिस्से का भू-दृश्यीकरण कर आमोद-प्रमोद सह-पिकनिक स्थल के रूप में उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार सतना नदी के तटीय भाग को विकसित कर अवकाश के दिनों में नगरवासियों

को आमोद-प्रमोद हेतु आकर्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार सतना नगर में 15 कि. मी. दूरी पर स्थित रामवन का भी पिकनिक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।

(इ) प्रदर्शनी स्थल.—प्रदर्शनी स्थल हेतु कोई नियत स्थान नहीं है। मेला, सर्कस आदि कार्यक्रम हेतु धावरी के खुले स्थान का उपयोग होता रहता है।

#### 7.55 निवेश इकाई स्तर की सेवा-सुविधाएं :

निवेश इकाई क्रमांक 1 को छोड़कर प्रत्येक निवेश इकाई में आमोद-प्रमोद हेतु संगठित रूप से क्षेत्र नियत है। इसमें परिक्षेत्रिक उद्यान, खेल मैदान आदि स्थित होंगे। निवेश इकाई क्रमांक 1 में उद्यान हेतु स्थान, कृषि उपज मण्डी के समीप ईदगाह के बाजू में विकसित करना प्रस्तावित है। इसी प्रकार रेलवे क्षेत्र के नजदीक प्रस्तावित उद्यान एवं खेल के मैदान का उपयोग निवेश इकाई क्रमांक 1 के लोगों को मिलता रहेगा। निवेश इकाई स्तर पर लगभग 40 हेक्टर का क्षेत्र आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु प्रावधानित है।

#### 7.56 परिक्षेत्रिक स्तर की सेवा सुविधाएं :

परिक्षेत्र स्तर पर 10 से 15 हजार की जनसंख्या को लाभ पहुंचाने हेतु परिक्षेत्रिक उद्यान एवं खेल के मैदान का प्रावधान रखा गया है। जिन स्थानों पर परिक्षेत्रिक स्तर की सुविधाएं प्रावधानित नहीं की गईं हो वहां निवेश इकाई की सेवा-सुविधा से काम चलता रहेगा। परिक्षेत्रिक एवं उप परिक्षेत्रिक स्तर की आमोद-प्रमोद की सेवा-सुविधाओं हेतु 13.2 हेक्टर का क्षेत्र नियत है।

#### 7.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं :

##### 7.61 जल प्रदाय :

वर्तमान जल प्रदाय व्यवस्था में पम्प द्वारा पानी निकालने की क्षमता 15 एम. एल. डी. है। जिसमें से 10 एम. एल. डी. जल प्रदाय, सुरक्षित जल प्रदाय होकर 5 एम. एल. डी. जल प्रदाय सतना सीमेन्ट फैक्ट्री को होता है। नगर में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल प्रदाय 120 लीटर है। सन् 2013 तक अनुमानित 2.5 लाख जनसंख्या हेतु 135 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 33.75 एम. एल. डी. जल प्रदाय की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसके अलावा सीमेन्ट फैक्ट्री, रेलवे आदि संस्थाओं को कच्चे पानी हेतु 45 एम. एल. डी. आवश्यकता अनुमानित है तथा इस प्रकार के जल प्रदाय हेतु 188.13 लाख का व्यय अनुमानित है। सन् 2001 तक की आवश्यकता का अनुमान 41 एम. एल. डी. है। यह योजना क्रियान्वित होने पर नगर की जल प्रदाय आवश्यकता आसानी से पूरी होगी।

##### 7.62 मल विसर्जन व्यवस्था :

नगर में मल विसर्जन हेतु भूमिगत मल निकास प्रणाली व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सन् 2013 की जनसंख्या 2.5 लाख अनुमानित कर एक योजना बनाई गई है। अतः विकास योजना कार्य कालावधि तक इस योजना से काम चलेगा। विकास योजना में प्रस्तावित विकास की ध्यान में लेते हुये भूमिगत प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी। जल प्रदूषण रोकने की दृष्टि से आवासीय क्षेत्रों से निकलने वाला मल एवं औद्योगिक जल एवं कूड़े-कचरे को प्राकृतिक रूप से विसर्जित करने के पूर्व परिष्कृत (ट्रीटमेंट) करना जरूरी है। सीवेज पार्क के समीप 9 हेक्टर का क्षेत्र साम-सब्जी उद्यान हेतु प्रावधानित है।

### 7.63 विद्युत प्रदाय :

विद्युत प्रदाय के संबंध में अनुमान अध्याय 4 में दिये जा चुके हैं। विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग प्रणाली को ध्यान में रखते हुये म. प्र. विद्युत मण्डल को अपनी वितरण व्यवस्था का अवलोकन करना जरूरी है।

### 7.64 नालों का नहरीकरण :

बरसात में उत्तर से दक्षिण में बहने वाले नाले में पानी बहने के साथ-साथ यह नाला नहर के महत्वपूर्ण बस्तियों से गुजरता है। इससे नगर वासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने के साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी निर्मित होती रहती हैं। अतः इस नाले को पक्का बनाकर नहर के रूप में परिवर्तित करने संबंधी योजना नगर पालिक निगम सतना द्वारा हाथ में लेना जरूरी है। इस बिन्दु पर मध्यवर्ती क्षेत्र के प्रस्ताव देते समय विचार किया जा चुका है।

### 7.65 धोबीघाट :

धोबीघाट नारायण तालाब पर कोलगांवा थाने के समीप तथा मैहर मार्ग पर सतना नदी के तट पर है। नारायण तालाब स्थित धोबीघाट प्रस्तावित मुख्य नगरीय उद्यान के कारण बन्द करना होगा। जबकि अन्य स्थानों पर यह कार्य जारी रह सकेगा।

### 7.66 डेरी फार्म :

डेरी फार्म हेतु स्थल, दक्षिण-पूर्व में नाले के किनारे हरित क्षेत्र में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है।

### 7.67 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान :

श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान के वर्तमान स्थल के बारे में चर्चा अध्याय 3 में की जा चुकी है। वर्तमान स्थल भूमि उपयोग की दृष्टि से असंगत रहने से बन्द रखना प्रस्तावित है।

1. कोलगांवा थाने के पीछे स्थित श्मशान घाट।
2. हवाई पट्टी के समीप कब्रिस्तान/श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान के लिये नये स्थलों का चयन प्रस्तावित आबादी क्षेत्र के बाहर आवश्यक होने पर किया जावेगा।

### 7.68 अन्य सेवाएं :

नगर वासियों हेतु अन्य आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:—

(अ) **आटो एक्सचेंज**.—वर्तमान आटो एक्सचेंज स्थिति की दृष्टि से उपयुक्त है। लेकिन वहां विकास हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः निवेश इकाई क्रमांक 3-4 में डाक एवं तार विभाग को इस व्यवस्था हेतु स्थल दिया जाना प्रस्तावित है।

(ब) **डाक एवं तार कार्यालय**.—वर्तमान जनरल पोस्ट आफिस भी उपयुक्त स्थान पर मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जनरल पोस्ट आफिस हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में कार्यालय हेतु स्थल उपलब्ध किया जा सकता है।

(स) अग्निशामक केन्द्र.—निवेश इकाई क्रमांक 4 में प्रस्तावित नगर केन्द्र के परिसर में नया अग्निशामक केन्द्र बनाना प्रस्तावित है. मध्यवर्ती क्षेत्र के महत्व को देखते हुये यहां स्थित अग्निशामक केन्द्र छोटी इकाई के रूप में कार्यरत रहेगा.

(द) पुलिस थाना.—सतना नगर के लिये कोलगांवा थाना यथावत् कार्यरत रखा जावेगा. जबकि इसके निकट रिक्त पड़ी भूमि को आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित किया गया है. इसी परिसर में वर्तमान नर्सरी यथावत् रहेगी. वर्तमान में धवारी समीप स्थित नगर कोतवाली से निवेश इकाई क्रमांक 1 से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी. प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्रों में पुलिस थानों हेतु प्रावधान रखा गया है.

(इ) विद्युत केन्द्र.—वर्तमान में निवेश इकाई क्रमांक 1 में स्थित 3 विद्युत उपकेन्द्रों यथावत् रहेंगे. इसके अलावा प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्र में एक विद्युत् इकाई उपकेन्द्र प्रस्तावित है.

#### 7.7 ग्रामीण आबादी का अंतर्विकास :

सतना निवेश क्षेत्र में 32 ग्राम स्थित होकर इनमें से बरदाडीह, डिलौरा, धुरूडांग एवं बदखर, इन चार ग्रामों की आबादी आंशिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र में मिल चुकी है. विकास योजना काल में महादेवा, उमरी, बेलहटा, बदखर नीबीवृत्त एवं कृपालपुर इन 6 ग्रामों की आबादी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नगर में सम्मिलित होने की संभावना है. विकास योजना में जो प्रस्ताव दिये गये हैं उनके अनुसार इन 10 ग्रामों की आबादी को आवश्यक सेवा सुविधाएं प्राप्त होने से उनका ग्रामीण स्वरूप कायम रखते हुये नगर के साथ समन्वित विकास संभव हो सकेगा. इन ग्रामों के विकास हेतु पर्यावरण सुधार योजना प्रारंभ करने को प्राथमिकता दी जावेगी. जहां तक अन्य 22 ग्रामों का प्रश्न है, उनका ग्रामीण स्वरूप कायम रखते हुये उनको नगरीय अधोसंरचना के सभी लाभ मिलने की संभावना है.

## विकास योजना का कार्यान्वयन एवं प्रभावीकरण

विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु यदि प्रभावी ढंग से प्रयास नहीं किये जाते हैं तो भविष्य में नगरीय जीवन स्तर सुधारने में सफलता मिलना कठिन होगा। किसी नगर को संवारने में नागरिकों द्वारा ही व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रमुख भूमिका उसके निर्माण या पुनः निर्माण में निभायी जाती है। म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियोजन संबंधी परामर्श, मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्य अनुमोदित विकास योजना के अनुरूप हो, इस बावत ध्यान दिया जाता है। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जावे। भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी अनेक प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 24 से 29 में दिये गये हैं। तथा म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 भी प्रभावशील है।

विकास योजना का कार्यान्वयन मूलतः सतना नगरपालिक निगम एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन गठित होने वाले नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

### 8.1 विकास योजना का कार्यान्वयन :

विकास योजना के प्रस्तावों को कार्यान्वयन करने में लगभग 20 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस व्यय में विभिन्न उपयोगों हेतु 1484 हेक्टेयर भूमि का अर्जन तथा 1038 हेक्टेयर भूमि का विकास भी सम्मिलित है। इस व्यय में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु भूमि का विकास, सड़क तथा कुल निर्माण आदि व्यय भी सम्मिलित है। विकास योजना कार्यान्वयन हेतु पुरानी बस्ती के सुधार एवं पुनर्विकास पर होने वाला 1.20 करोड़ का व्यय भी सम्मिलित है। भू-अर्जन हेतु प्रति हेक्टेयर औसतन 15,000 रुपया व्यय होने की सम्भावना है। विभिन्न उपयोगों के लिये विकास सम्बन्धी लागत निम्न मापदण्डों के आधार पर आंकी गई है:—

भूमि उपयोग	दर प्रति हेक्टेयर में (लाख रुपये में)
(1)	(2)
आवासीय	1.12
गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार	1.12
वाणिज्यिक	1.12
गंदी बस्ती उन्मूलन एवं सुधार	1.36
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1.36
नगर पुनर्विकास	2.47
आमोद-प्रमोद (भू-दृश्यीकरण सहित)	2.47
यातायात एवं परिवहन	1.00
औद्योगिक	1.61

प्रथम चरण में विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन की लागत तथा विकास का अनुमानित व्यय निम्न सारणी में प्रस्तुत है:—

सतना : योजना क्रियान्वयन की लागत

8-सा-1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टर में)			भू-अर्जन 15000 प्रति हेक्टर की दर से (लाख रुपये में)	अर्जित भूमि के 70% पर विकास व्यय			
		प्रस्तावित	वर्तमान	शेष अर्जन हेतु		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दर/हेक्टर (लाख रु. में)	लागत (लाख रु. में)	कुल लागत (लाख रु. में) (6+9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	आवासीय	901	187.5	713.5	107	499	1.12	559	666
2.	वाणिज्यिक	145	24.3	120.7	18	84	1.36	114	132
3.	औद्योगिक	229	46.5	182.5	27.50	127	1.61	204	231.50
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें.	264	75.4	188.6	28.50	133	1.36	181	209.50
5.	आमोद-प्रमोद	132	2.8	129.2	19.50	90	2.47	222	241.50
6.	यातायात एवं परिवहन	323	173.3	149.7	22.50	105	1.00	105	127.50
7.	नगर पुनर्विकास गंदी बस्ती एवं पुनर्स्थापना	-	-	-	-	-	एक मुश्त	120	120
8.	ओव्हर ब्रिज	-	-	-	-	-	एक मुश्त	100	100
9.	रेलवे स्टेशन एवं माल गोदाम.	-	-	-	-	-	एक मुश्त	25	25
10.	रेल फाटक	-	-	-	-	-	एक मुश्त	1	1
11.	पर्यावरण सुधार	-	-	-	-	-	एक मुश्त	20	20
12.	बाढ़ रोकथाम	-	-	-	-	-	एक मुश्त	12	12
13.	क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा.	-	-	-	-	-	एक मुश्त	100	100
योग		1994	509.8	1484.2	223	1038		1763	1986

## 8.2 प्रथम चरण :

विकास योजना का कार्यान्वयन सन् 2001 तक चार चरणों में पूरा होगा तथा हर एक चरण की अवधि 5 साल होगी. प्रथम चरण सन् 1982-83 से शुरू होगा. प्रथम चरण के कार्य करने हेतु लगभग 333 लाख का व्यय अनुमानित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- (अ) आवासीय उपयोग हेतु 185 हेक्टेयर भूमि का अर्जन व विकास.
- (ब) यातायात नगर सहित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास.
- (स) प्रमुख मार्गों का निर्माण.
- (द) औद्योगिक उपयोग हेतु और विशेषतया फ्लेटेड फैक्ट्रीज एवं आरा मशीनों हेतु 20.5 हेक्टेयर का क्षेत्र का विकास.
- (इ) स्टेडियम, नगर उद्यान स्थान आदि आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु 25 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास.
- (फ) सार्वजनिक सेवा सुविधाओं एवं उपयोगिताओं जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, आदि हेतु 23 हेक्टेयर भूमि का विकास.


प्रथम चरण के विकास कार्य का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

### सतना : योजना कार्यान्वयन के प्रथम चरण की लागत

8-सा-2

क्रमांक	योजना के अंतर्गत कार्यों का विवरण	अर्जन		विकास लागत		कुल लागत लाख (रु. में) (4+6)
		भौतिक लक्ष्य (हे. में)	लागत (लाख रु. में)	भौतिक लक्ष्य (हे. में)	लागत (लाख रु. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>आवासीय</b>	185.0	27.7	129.5	145.0	172.7
2.	<b>वाणिज्यिक :</b>					
	(अ) कृषि उपज मण्डी (अन्डर कन्स्ट्रक्शन)					
	(ब) भण्डारण	4.0	0.6	2.8	3.8	4.4
	(स) यातायात नगर	5.5	0.8	3.8	5.2	6.0
	(द) विशिष्ट बाजार	4.0	0.6	2.8	3.8	4.4
	(इ) नगर स्तरीय बाजार	8.0	1.2	5.6	7.6	8.8
	(फ) खण्ड स्तर बाजार	7.5	1.1	5.3	7.2	8.3
	<b>योग . . (वाणिज्यिक)</b>	<b>29.0</b>	<b>4.3</b>	<b>20.3</b>	<b>27.6</b>	<b>31.9</b>
3.	<b>औद्योगिक :</b>					
	(अ) बहुमंजिले भवनों में स्थित उद्योग	6.5	1.0	4.5	7.2	8.2
	(ब) आरा मशीनें	10.0	1.5	7.0	11.3	22.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(स) कृषि पर आधारित उद्योग	4.0	0.6	2.8	4.5	5.1
	योग . . (औद्योगिक)	20.5	3.1	14.3	23.0	26.1
<b>4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :</b>						
	(अ) योजना इकाई केन्द्र नगरीय केन्द्र	0.0	1.3	6.2	8.6	9.9
	(ब) अस्पताल	4.0	0.6	2.8	3.8	4.4
	(स) शिक्षा संस्थाएं	4.0	0.6	2.8	3.8	4.4
	(द) कार्यालय	6.0	0.9	4.2	5.7	6.6
	योग . . (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक)	23.0	3.4	16.1	21.9	25.3
<b>5. आमोद-प्रमोद :</b>						
	(अ) स्टेडियम एवं तरण पुष्कर	-	1.2	5.6	13.8	25.0
	(ब) नगर उद्यान	5.0	0.7	3.5	8.6	9.3
	(स) योजना इकाई	12.0	1.8	8.4	20.8	22.6
	योग . . (आमोद-प्रमोद)	25.0	3.7	17.5	43.2	46.9
<b>6. यातायात एवं परिवहन :</b>						
	(अ) मुख्य मार्ग-1 (2.41 कि.मी.-35 मी.)	8.4	1.3	8.4	8.4	0.7
	(ब) मुख्य मार्ग-4 (2.41 कि.मी.-35 मी.)	8.4	1.3	8.4	8.4	0.7
	(स) मुख्य मार्ग-7 (1.81 कि.मी.-9 मी.)	5.4	0.8	5.4	5.4	6.2
	(द) मुख्य मार्ग-9 (1.21 कि.मी.-35 मी.)	4.2	0.6	4.2	4.2	4.8
	(इ) बस स्टेण्ड	-	-	-	-	-
	योग . . यातायात	-	4.0	26.4	26.4	30.4
	कुल योग . .	308.9	46.2	224.1	287.1	333.3



# SATNA

## 8-1 FIRST PHASE

- RESIDENTIAL
- COMMERICAL
- INDUSTRIAL
- PUBLIC AND SEMI PUBLIC
- RECREATIONAL
- ROAD



निम्नलिखित सारणी में विकसित भूमि से प्रथम चरण में अपेक्षित आय का विवरण प्रस्तुत है :-

**सतना : प्रथम चरण में अपेक्षित आय का विवरण**

8-सा-3

क्र.	ऋण प्राप्ति के स्रोत	योजनान्तर्गत तदनुरूप सकल क्षेत्र	शुद्ध विक्रय योग्य क्षेत्रफल	विक्रय योग्य दर (प्रति हेक्टर औसत)	प्राप्ति (लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आवासीय भूखण्ड :				
	(अ) ई.डब्ल्यू.एस.	34	24	2.15	51.60
	(ब) एल.आई.जी.	36	23	3.24	74.52
	(स) एम.आई.जी.	40	22	3.24	71.28
	(द) एच.आई.जी.	20	10	8.64	86.40
2.	वाणिज्यिक हेतु भूमि	30	21	8.64	181.44
	योग . .	160	100	-	465.24

एक करोड़ रुपये की बीज पूंजी से योजना कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण विकास के कार्य प्रारंभ कर सकेगा। यह बीज पूंजी शासकीय ऋण, जन साधारण, संस्थागत वित्त आदि से जुटाई जा सकेगी। यह पूंजी पर ब्याज एवं अन्य संबंधित व्यय (8% + 2%) निक्षेप निधि से ब्याज को जोड़कर कुल व्यय 465.30 लाख की आय अनुमानित है। इसके अलावा कार्यान्वयन अभिकरण के पास लगभग 83 हेक्टर का क्षेत्र स्वामित्व में रहेगा। जिसके विक्रय से द्वितीय चरण में आय संभव हो सकेगी। इस प्रकार विकास योजना के प्रस्ताव, विकास क्षमता एवं आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण है। प्रथम चरण के कार्यान्वयन से द्वितीय चरण हेतु न केवल पूंजी उपलब्ध हो सकेगी अपितु नगर के योजनाबद्ध विकास को दिशा भी मिल सकेगी।

**सतना : प्रथम चरण विकास कार्यक्रम धनप्रवाह**

8-सा-4

(लाख रुपयों में)

वर्ष	शासन एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण	स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी एवं समाज शिक्षा विभाग से कार्य में योगदान	नगर पालिका से कार्यों में योगदान	लोक निर्माण विभाग से योगदान	भूखण्डों के बक्की से आय (अग्रिम राशि सहित)	ऋण रहित प्राप्ति (2 से 7)	विकास ऋण सहित प्राप्ति (7-2)	विकास कार्यों पर व्यय	ब्याज का भुगतान तथा 10% की दर से कार्यालयीन व्यय	ऋण के पुनः भुगतान हेतु निक्षेप विधि	अर्जन एवं हानिपूर्ति	योग (क्रमिक 9 से 12)	आधिक्य (+) बचत (-) (8 से 13 का क्रमवर्धीय योग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1982-83	40.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	20.00	20.00	+20.00
1983-84	40.00	15.00	10.00	-	65.24	90.24	130.24	80.00	4.00	-	26.20	110.20	+20.04
1984-85	20.00	15.00	7.00	-	150.00	172.00	192.00	+94.00	8.00	-	-	102.00	+90.00
1985-86	-	10.00	7.00	2.00	125.00	144.00	144.00	100.00	10.00	-	-	110.00	+34.00
1986-87	-	4.80	7.10	2.60	125.00	139.50	139.50	13.10	10.00	100.00	-	123.10	+16.40
1981-82	100.00	44.80	31.10	4.60	465.24	545.74	645.74	287.10	32.00	100.00	46.20	465.30	180.44

### 8.3 स्वीकृत एवं स्वीकार्य योग्य उपयोग :

विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य योग्य भूमि उपयोगों की सूची निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है।

#### सतना : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

8-सा-5

भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन करने पर स्वीकार्य योग्य उपयोग
(1)	(2)	(3)
1. आवासीय	निवास गृह, भोजनालय, बोर्डिंग हाऊस सीमित घनत्व सहित, पाठशालाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थान, चिकित्सालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, आमोद-प्रमोद उपयोग, गोष्ठी गृह, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, टैक्सी एवं स्कूटर स्टेण्ड.	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसाय आदि जो कि उसी परिसर में स्थित हो औषधालय चिकित्सालय, जो कि अन्य छुआ-छूत के रोगों का उपचार नहीं करते। महाविद्यालय, शोध केन्द्र अर्द्ध शासकीय कार्यालय, मुर्गी पालन, घरेलू उद्योग, स्थानीय एवं सेवा दुकानें, आटा चक्की, होटल, पेट्रोल पंप एवं हल्के वाहनों हेतु सर्विस केन्द्र, सगठित बाजार केन्द्र में सिनेमा गृह
2. वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं व्यवसायिक कार्यालय, सेवा उपयोग जैसे-नाई, दर्जी, धोबी, ड्रायक्लीनर्स, उपहार गृह, मनोरंजन स्थान जैसे छविगृह, नाट्यगृह, विशिष्ट बाजार, थोक बाजार, मंडी, माल गोदाम, गोदाम भवन, निर्माण सामग्री प्रांगण, वाहन विराम क्षेत्र, आवासगृह व व्यवसायिक स्थापनाएं.	पेट्रोल पंप एवं सेवा केन्द्र, कोयला, इमारती लकड़ी प्रांगण, चुंगीकर मुक्ति परिक्षेत्र, बहुमंजिले भवनों के कक्षों में स्थित कारखाने, सेवा उद्योग जो बाधा उपस्थित न करे, छोटी कर्मशाला, मरम्मत की दुकाने, मंडियों में कृषि आधारित उद्योग.
3. औद्योगिक	सामान्य उद्योग जैसे भारी मध्यम और हल्के उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग जैसे दाल व तेल मिल, दूध/फलों को डिब्बों अथवा बोटलों में बंद करना, डेयरी आदि. सेवा उद्योग जैसे-रिपेयर वर्कशाप, सेवा केन्द्र, जन उपयोगिता एवं सेवाओं से संबंधित केन्द्र.	रखरखाव से संबंधित एवं अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों हेतु आवास, पेट्रोल पम्प, परिवहन कंपनी के कार्यालय, रद्दी सामान की दुकानें, शो रूम, मालगोदाम, उपहार गृह, अग्रेपण अभिकरण आदि.
	(ब) प्रदूषणकारी उद्योग जैसे रसायनिक कारखाने, चर्म उद्योग, हड्डी का चूरा,	प्रदूषणकारी उद्योग से मेल खाने वाले अन्य उद्योग तथा रखरखाव से संबंधित आवश्यक कर्मचारी हेतु आवास.

बनाने वाली मिल, मदिरा उत्पादन, निस्सारी पदार्थों की अभिक्रिया से संबंधित कारखानें एवं अन्य सेवायें.

(स) खनन उद्योग जैसे चूना, ईटों का निर्माण, मुरम, पत्थरों की खदानें, गिट्टी पत्थरों को पालिश करना आदि खनन कार्य से संबंधित उद्योग तथा इन उद्योगों से संबंधित मजदूरों हेतु आवास.

मरम्मत की दुकानें, गोदाम एवं भंडारण गृह.

4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

राज्य या केन्द्रीय कार्यालय, अर्ध शासकीय एवं अन्य कार्यालय, सांस्कृतिक संस्थाएं पुस्तकालय, विचित्रालय, कला प्रदर्शन, शिक्षा संस्थाएं जैसे-विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विविध शिल्पकला मंदिर, तकनीकी संस्थाएं इत्यादि सामान्य और विशिष्ट चिकित्सालय, चिकित्सा प्रयोग शालाएं, स्वास्थ्य केन्द्र. जन उपयोगिता एवं सेवाएं.

पेट्रोल पम्प, वाहन विराम स्थल, दुकानें, अल्पाहार गृह आदि.

5. आमोद-प्रमोद

समस्त आमोद-प्रमोद उपयोग जिसमें उद्यान, क्रीड़ागण, स्टेडियम तरणपुष्कर एवं मेला व प्रदर्शनी स्थल सहित समस्त आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित क्षेत्र.

पेट्रोल पम्प, अल्पाहार गृह, भोजनालय, मोटल्स आमोद-प्रमोद से संबंधित प्रासंगिक स्थान.

6. यातायात एवं परिवहन

रेलवे स्टेशन, माल प्रांगण, मार्शलिंग यार्ड, नगरीय बस अवसान केन्द्र, डिपो, वर्कशॉप, ट्रक स्टेण्ड, ट्रक यात्रा अवसान केन्द्र, ड्राय पोर्ट, विमानतल, हवाई पट्टियाँ.

अग्रेषण संस्थाएं, वेयर हाऊसिंग, गोडाऊन, शीतगृह, पेट्रोल पंप एवं सेवा केन्द्र, मरम्मत दुकानें, स्पेयर पार्ट दुकानें, अल्पाहार गृह मोटल एवं होटल.

7. कृषि भूमि

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कृषि शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकृत सभी उपयोग.

कब्रिस्तान, श्मशानघाट, मल शोधन केन्द्र, खनती स्थान, ईट के भट्टे तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के उपयोग, गिट्टी तोड़ने का कार्य, खनन कार्य, माल गोदाम, भंडारगृह एवं कोल्ड स्टोरेज आदि.

### 8.31 सामान्य अनुशंसाएं :

यह अनुशंसा की जाती है कि समस्त शासकीय भूमि जो नगर में यत्रतत्र स्थित है, को व्यक्ति विशेष को न देते हुए उसे तत्काल कार्यान्वयन अभिकरण को विकास हेतु सौंप देना चाहिए. इससे नियोजित विकास और रिक्त भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा शासकीय अतिक्रमण भी रोका जा सकेगा.

अन्य उपाय निम्नानुसार होंगे :—

1. असंगत भूमि उपयोग की परिस्थितियों को छोड़कर वर्तमान भूमि उपयोग में तब्दीली नहीं की जा सकेगी.
2. भावी विकास निर्धारित भू उपयोग के अनुरूप होगा.
3. निवेश इकाई हेतु परिक्षेत्रिक योजना के प्रावधान से ही आवासीय इकाई में वृत्त खण्ड स्तरीय एवं उच्च स्तरीय बाजार क्षेत्र के प्रावधान किए जावेंगे. इन विशिष्ट बाजार क्षेत्रों में निर्धारित की गई वाणिज्यिक गतिविधियां स्वीकृत/स्वीकार्य की जा सकेगी. तथापि आवासीय खण्डों में दैनंदिनी उपयोग की वस्तुओं, की दुकानें स्वीकृत की जा सकेगी.
4. जो भूमि आमोद-प्रमोद हेतु खुली भूमि के रूप में प्रस्तावित की गई है उस पर कृषि, फल-फूल उद्यान यथावत रहने दिए जावेंगे. जब तक कि उस भूमि के लिए विशिष्ट परियोजना नहीं बना ली जाती तथा ऐसी भूमि का विशिष्ट आमोद-प्रमोद हेतु भू-अर्जन एवं विकास कार्य नहीं हो जाता है.

### 8.32 विकास हेतु अनुमति :

म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973की धारा 29 के अन्तर्गत विकास की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र के लिए निम्नलिखित जानकारियाँ प्रस्तुत करना होगा :—

1. **भूमि का विवरण** :—स्थिति, मय मार्गों के नाम तथा सीमाएं.
2. **खसरा मानचित्र** :—जिसमें सम्मिलित क्षेत्र के खसरा नम्बर तथा उत्तर दिशा की बाह्य सीमा से 200 मीटर तककी भूमि/क्षेत्र के खसरा नम्बर दर्शाए हो और आवेदित भूमि "लाल" रंग से खसरा मानचित्र पर दर्शाई गई हो.
3. **स्थल मानचित्र** :—पैमाना 1:1,000 जिसमें आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग तथा उस भूमि के आसपास स्थित महत्वपूर्ण भवन जैसे-चिकित्सालय, पाठशालाएं, सिनेमा गृह आदि जो भी हो, की स्थिति दर्शाई जाय तथा आसपास की भूमि का उपयोग भी दर्शाया जाए.
4. **सर्वे मानचित्र** :—पैमाना 1:1000 पर होना चाहिए. इस मानचित्र के संदर्भित भूमि की सीमाएं दर्शाई जाना चाहिए. जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक विशेषताएं जैसे-नाला, पोखर, वृक्ष तथा कन्दूर प्लॉन. भूमि की सीमा से 200 मीटर तक के क्षेत्र से जाने वाली हाईटेन्शन लाईन, वर्तमान मार्ग की कुल चौड़ाई तथा उसका विवरण, बिजली तथा दूरभाष के खंबों की स्थिति इसी प्रकार की अन्य जानकारी जिनको प्रश्नाधीन क्षेत्र के साथ समन्वय आवश्यक है. वह भी दर्शाया जाना चाहिए.
5. सम्मिलित भूमि के मानचित्र में प्रस्तावित विकास संबंधी संक्षिप्त प्रतिवेदन तथा आवश्यकतानुसार मॉडल भी प्रस्तुत करना चाहिए.
6. मानचित्र में सेवाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए जैसे-जल प्रदाय, जल निकास, विद्युत् प्रदाय आदि. यदि सेप्टिक टैंक बनाया जाना हो तो मल युक्त पानी का निकास किस प्रकार होगा. यह भी दर्शाया जाना चाहिए.

7. प्रस्तावों के उचित एवं सूक्ष्म परीक्षण हेतु आवश्यक होने वाली अन्य वास्तुविधि तथा जानकारी भी देनी होगी.
8. प्रस्तावित विकास सम्बन्धी एक टीप भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें वाणिज्यिक अथवा उद्योग संबंधी विकास दर्शाया गया हो.

#### 8.4 वर्तमान निर्मित क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन एवं विकास पर नियंत्रण :

वर्तमान निर्मित क्षेत्र में विकास पर नियंत्रण के नियमन पूर्व के अनुच्छेदों में दिये जा चुके हैं. भवन की परिसीमा ऊंचाई एवं पार्किंग स्थानों का प्रावधान है. नवीन क्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही रहेंगे.

#### 8.41 आवासीय क्षेत्र :

मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित आवासीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य आवासीय क्षेत्रों हेतु विकास की अनुज्ञा निम्नलिखित नियमनों के अधीन दी जावेगी.

अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होंगे:—

#### सतना : आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

8-सा-6

अ. क्रमांक	भूखण्ड का आकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	50 वर्ग मीटर से कम	80% बशर्ते स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई निर्माण संबंधी प्रकाश एवं समवातन की उपविधियों का पालन किया गया हो.
2.	50 से 100 वर्गमीटर तक	40 वर्गमीटर. इसके अलावा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र हेतु 50% अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र स्वीकृत हो सकेगा.
3.	100 वर्गमीटर से अधिक परन्तु 200 वर्गमीटर तक.	65 वर्गमीटर. इसके अलावा 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र हेतु 50% अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र स्वीकृत हो सकेगा.
4.	200 मीटर से अधिक 500 वर्गमीटर तक.	115 वर्गमीटर. इसके अलावा 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र हेतु 50% अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र स्वीकृत हो सकेगा.
5.	500 वर्गमीटर से अधिक	50%.

#### 8.42 फर्शी क्षेत्र अनुपात :

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार निर्धारित होगा :—

सतना : आवासीय क्षेत्र हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात

8-सा-7

क्रमांक	विवरण	फर्शी क्षेत्र अनुपात
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे भूखण्ड जिसमें वर्तमान में निर्मित क्षेत्र 80% या अधिक स्वीकृत हो तथा भूखण्ड का आकार 100 वर्गमीटर से अधिक न हो.	2.00
2.	ऐसे भूखण्ड जिनके लिये कोई अभिन्यास न बना हो या कालोनी में स्थित न हो तथा जिनका वर्तमान निर्मित क्षेत्र 60% से अधिक हो.	1.50
3.	ऐसे भूखण्ड जिसका निर्मित क्षेत्र 60% से कम हो।	1.00
4.	ऐसे भूखण्ड जो अभिन्यास के अन्तर्गत या कालोनियों में स्थित हो.	1.00

#### 8.43 अपूर्ण रूप से विकसित कालोनियों के अभिन्यास :

जिन कालोनियों में किसी मार्ग पर 75% भवन निर्मित हो गये हो, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा. इस मार्ग पर स्थित भवन के निर्माण हेतु अनुज्ञा उस मार्ग पर स्थित भवन हेतु पूर्व में जो मानदण्ड अपनाए गये थे उसी के अनुसार दी जावेगी. जहां तक अभिन्यास या कालोनियों में स्थित अन्य मार्ग पर भवन निर्माण हेतु अनुमति देने का प्रश्न है यह अनुमति नये आवासीय क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही दी जावेगी.

#### 8.44 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र के मानदण्ड :

इस संबंध में अनुज्ञा के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

1. यदि विकास योजना में या परिक्षेत्रिक योजना में अन्यथा कुछ न कहा हो, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित मार्गों को छोड़कर अन्य स्थानों हेतु भूमि के वर्तमान उपयोगी सम्बन्धी रजिस्ट्रों में दर्शाये गये हो वाणिज्यिक उपयोग यथावत् जारी रहेंगे.
2. निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

- (अ) परिक्षेत्रिक योजना में यदि दुकानों के सामने गलियारा प्रस्तावित किया गया हो तो तदनुसार प्रावधान रखना होगा.
- (ब) इस क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग, विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के प्रस्तावों के अनुसरण में हो.
- (स) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित अनुसार हो.
- (द) अन्य तलों का यदि आवासीय हेतु उपयोग होता हो तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल कुर्सी क्षेत्र के 3/4 से अधिक न हो.
- (इ) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में लेते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा.
- (फ) वाणिज्यिक विकास हेतु भूखण्ड की गहराई, जिस मार्ग पर वह स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 10 मीटर में से जो भी कम हो, से अधिक न हो.
3. वाणिज्यिक भूखण्डों का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा. (होटलों, डिपार्टमेन्टल स्टोरों एवं कामर्शियल काम्पलेक्स हेतु देय भूखण्ड इसके अपवाद होंगे).
4. **संगठित बाजार केन्द्र** :—निम्नलिखित शर्तों पर संगठित बाजार केन्द्रों हेतु स्थान प्राप्त हो सकेगा—

- (अ) नियत उपयोग विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिये.
- (ब) संगठित बाजार केन्द्रों हेतु प्रस्तावित भूखण्ड 4000 वर्गमीटर से छोटा नहीं होगा.

**निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात**—वर्तमान निर्मित क्षेत्रों में अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित होगा :—

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाला भूखण्ड—	100%
25 वर्गमीटर से अधिक—	80%
फर्शी क्षेत्रानुपात	1.75

## 8.5 परिक्षेत्रिक एवं विकास नियमन ( नये क्षेत्र ) :

### 8.51 नये आवासीय क्षेत्र

नये आवासीय क्षेत्रों में विकास हेतु अनुज्ञा निम्न मान दण्डों के अनुरूप दी जावेगी :—

(अ) भूखण्ड का आकार :—

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 75 वर्गमीटर.
2. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 45 वर्गमीटर.
3. भूखण्ड का अधिकतम आकार 900 वर्गमीटर.
4. भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई अनुपात 1:1 से 1:2 तक.
5. भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर.
6. सेवा मार्ग के साथ राजमार्ग, प्रमुख नगर मार्ग एवं खण्ड मार्ग पर स्थित भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर.

(ब) अभिन्यासों, खुले स्थानों, खेल के मैदान, उद्यानों आदि हेतु 8 से 10% क्षेत्र प्रावधानित रहेगा.

(स) आवासीय क्षेत्र हेतु जो अभिन्यास बनाये जावेंगे उनमें निम्नानुसार मार्ग चौड़ाई प्रस्तावित करनी होगी :—

मार्ग	मार्ग चौड़ाई
1. खण्ड स्तरीय	18-20 मीटर
2. उपखण्ड स्तरीय मार्ग	15-16 मीटर
3. खुले स्थानों के बगल वाले घुमावदार मार्ग	7-8 मीटर
4. एक ओर से बंद गली	7-8 मीटर
5. पदयात्री मार्ग	4-6 मीटर
6. सायकिल मार्ग	6-8 मीटर
7. फुटपाथ	3-5 मीटर
8. पिछली गली	2-3 मीटर

(द) फर्शी क्षेत्र अनुपात.—आवासीय क्षेत्रों में फर्शी क्षेत्र अनुपात आवासीय घनता पर आधारित निम्नानुसार प्रस्तावित किया जावेगा :—

सतना : आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात

8-सा-8

क्रमांक	प्रति हेक्टेयर घनत्व सीमा	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	लघु ( 10 से 25 आवासीय इकाई तक)	0.75
2.	मध्यम ( 26 से 50 आवासीय इकाई तक)	1.00
3.	मध्यम उच्च ( 51 से 75 आवासीय इकाई तक)	1.25
4.	उच्च ( 75 से अधिक आवासीय इकाई)	1.50

टीप :—तहखाना क्षेत्र का 60% तक का क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात की गणना में नहीं जोड़ा जावेगा.

(इ) सीमान्त खुले स्थान एवं भूखण्ड पर निर्मित क्षेत्र : रिहायशी क्षेत्रों में सीमान्त खुले स्थान एवं निर्मित क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

सतना : आवासीय उपयोग हेतु भूखण्ड का आकार निर्मित क्षेत्र एवं सीमान्त खुला स्थान

8-सा-9

क्र.	भूखंड का आकार (मीटर में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र (% में)	निर्माण का प्रकार	सीमांत खुला स्थान (मीटर में)			
					सामने	आजू	बाजू	पीछे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4 X 12	48	66	पंक्तिबद्ध	2.5	-	-	1.5
	6 X 12	72		—''—	2.5	-	-	1.5
	6 X 15	90		—''—	2.5	-	-	1.5
	8 X 16	128		—''—	3.0	-	-	1.5
2.	9 X 15	135	50	पंक्तिबद्ध	2.5	-	-	1.5
	9 X 18	162		अर्द्ध पृथक्कृत	3.0	2.0	-	1.5
	9 X 18	162		पृथक्कृत	3.0	1.5	1.5	1.5
3.	12 X 18	216	50	अर्द्ध पृथक्कृत	3.0	2.0	-	2.0
	12 X 21	252		पृथक्कृत	3.5	2.0	2.0	2.0
4.	15 X 24	360	40	पृथक्कृत	6.0	3.0	2.0	2.5
	15 X 27	405		—''—	6.0	3.0	2.0	2.5
	18 X 27	486		—''—	6.0	3.5	2.5	2.5
5.	18 X 30	540	35	पृथक्कृत	7.5	3.5	2.5	2.5
	21 X 36	756		—''—	8.5	3.5	3.5	3.0
	24 X 36	864		—''—	10.0	3.5	3.5	3.0

जो भूखण्ड उपरोक्त दर्शाये गये आकार के न होंगे, उन भूखण्डों हेतु सीमान्त खुले स्थान एवं निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जावेगा :—

1. (अ) सीमान्त खुले स्थान.— प्रश्नाधीन भूखंडों का आकार जिस नियमित भूखण्ड से लगभग निकटस्थ हो, उस नियमित भूखण्ड हेतु निर्धारित सीमान्त खुला स्थान अनियमित भूखण्डों हेतु भी निर्धारित हो सकेगा.

(ब) निर्मित क्षेत्र.— नियमित आकार के भूखण्डों हेतु निर्मित क्षेत्र के अलावा अनियमित आकार के भूखण्डों से जितना क्षेत्र अधिक होगा, उस बचे हुये क्षेत्र हेतु निर्मित क्षेत्र निर्धारित करते समय बचे हुये क्षेत्र के आकार के नियमित आकार के भूखण्डों हेतु जो निर्मित क्षेत्र निर्धारित है, उसके अनुसार निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित होगा.

**उदाहरणार्थ.**—यदि 110 वर्ग मीटर अनियमित आकार के भूखण्ड हेतु निर्मित क्षेत्र निर्धारित करता है, उसके निकटस्थ नियमित आकार के भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर हो तो अनुमोदित नियमित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जावेगी:— $(90 \times 60/100 + 20 \times 50/100 = 54 + 10 = 64$  वर्ग मीटर

(2) पंक्तिबद्ध भवनों हेतु सर्विस लेन देना जरूरी होगा. वर्तमान अभिन्यासों में जहां सर्विस लेन का प्रावधान न रखा गया हो, भवन निर्मित हेतु अनुज्ञा अर्द्ध पृथक्कृत भवन के रूप में दी जावेगी तथा एक तरफ एक मीटर का सीमान्त खुला क्षेत्र निर्धारित किया जावेगा.

(3) **गैरेज का प्रावधान.**—बाजू वाले सीमान्त खुले क्षेत्र में निम्न शर्तों के अधीन गैरेज के निर्माण हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी.

- (अ) सामने वाला सीमान्त खुला क्षेत्र गैरेज द्वारा आच्छादित नहीं होगा.
- (ब) गैरेज की ऊंचाई मुख्य भवन के भूतल की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी.
- (स) भूखण्ड के क्षेत्र के 5% से अधिक वाला गैरेज का फर्शी क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र में गिना जावेगा.
- (द) भूतल का क्षेत्र यदि भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से 50% से अधिक हो तो वह निर्मित क्षेत्र में गिना जावेगा.
- (इ) 150 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले भूखण्डों में गैरेज निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी.

(4) **सीमान्त खुले स्थानों पर प्रक्षेपण.**—सीमान्त खुले क्षेत्र पूर्णतः आकाश तक खुला रहेगा. कंगनी, हवा, पानी से बचाव हेतु शेड का निर्माण या छज्जे का निर्माण किसी भी दशा में 0.8 मीटर से अधिक चौड़ाई का नहीं बनाया जा सकेगा. जहां तक प्रास के मध्य मंच की चौड़ाई का प्रश्न है यह चौड़ाई जीने की चौड़ाई से कदापि अधिक नहीं रहेगी. लेकिन सीमान्त क्षेत्र में 2.5 मीटर चौड़ाई तथा 4.5 मीटर लम्बाई वाला प्रास मंडप (केन्टी लीवरपोर्टीको) अनुज्ञेय होगा.

(5) **चौहत्ती दीवाल की ऊंचाई.**—प्राधिकारी की विशेष अनुज्ञा लिये बिना सामने वाली चौहत्ती दीवाल ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी.

चौहत्ती की पिछली और बाजू वाले दीवाल की ऊंचाई तीन मीटर से अधिक नहीं होगी. कोने में स्थित भूखण्ड की बाजू वाली दीवाल, जो मार्ग के बाजू में स्थित हो, की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी.

उपरोक्त प्रावधान जेल, सेनिटोरियम, कारखाने एवं शिक्षा संस्थाओं के लिये लागू नहीं होंगे.

## 8.52 सामूहिक सुविधाएं :

सामूहिक सुविधाओं हेतु निम्नलिखित मानदण्ड प्रचलित रहेंगे. यदि प्रस्तावित विकास एक इकाई के रूप में संभव न हो, तो अनुपातिक खाली स्थान का प्रावधान रखना होगा. इस प्रकार आजू-बाजू के अभिन्यासों से अनुपातिक स्थान प्राप्त कर सामूहिक सुविधाएं जुटाई जा सकेगी.

प्रकार	दर	प्रति इकाई क्षेत्र (हेक्टरों में)
(1)	(2)	(3)
<b>शैक्षणिक सुविधाएं :</b>		
नर्सरी स्कूल	500 से 800 भूखण्ड के समूह हेतु	0.15 से 0.20
प्राथमिक शाला	500 से 800 भूखण्ड के समूह हेतु	0.25 से 0.30
हायर सेकेण्डरी स्कूल	2000 से 3000 भूखण्ड के समूह हेतु	1.15 से 01.50
डिग्री कालेज	15000 से 20000 भूखण्ड के समूह हेतु	2.00 से 2.5
<b>स्वास्थ्य सुविधाएं :</b>		
स्वास्थ्य केन्द्र	3000 भूखण्ड के समूह हेतु	1.6 से 1.5
जनरल अस्पताल	15000 से 20000 भूखण्ड के समूह हेतु	5.0 (200 बिस्तर अस्पताल के लिये)
<b>वाणिज्यिक :</b>		
दुकाने	800 भूखण्ड के समूह हेतु 10 दुकानें	0.5 से 1.0
	3000 भूखण्ड के समूह हेतु 20 दुकानें	1.0 से 1.5
	15000 भूखण्ड के समूह हेतु 80 से 100 दुकानें	2.5
<b>आवश्यक सेवाएं :</b>		
सब पोस्ट और टेलीफोन आफिस	प्रत्येक निवेश इकाई के लिये एक	0.2
विद्युत उपकेन्द्र	प्रत्येक निवेश इकाई के लिये एक	0.4
पुलिस स्टेशन	प्रत्येक निवेश इकाई के लिये एक	0.78
पुलिस, पोस्ट	4000 भूखण्ड समूह हेतु	0.4
अग्निशामक केन्द्र	5 किलोमीटर दूरी के हेतु	0.8
<b>सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं :</b>		
कम्युनिटी हॉल	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु एक	0.3
पुस्तकालय	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु एक	0.3
वाचनालय	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु एक	0.2

### 8.53 समूह आवास :

सामान्यतः मार्गों एवं भूखण्डों को विभाजित कर समूह आवास की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी. समूह आवास रूपांकन, स्थल एवं वहां निवासित होने वाले लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में लेकर किया जावेगा.

(अ) बहुमंजिले भवनों में पहुंच, पहुंच मार्गों एवं पदयात्री मार्गों द्वारा दी जावेगी तथा इन मार्गों की चौड़ाई रूपांकन को ध्यान में लेते हुये निर्धारित होगी. इन बहुमंजिले भवनों के पास पार्किंग एवं अन्य सेवा-सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा जावेगा.

(ब) भवन समूह के आसपास खुला स्थल निम्नानुसार प्रावधानित होगा.

सामने—भवन ऊंचाई का 50%

बाजू में—भवन ऊंचाई का 25% या 4.5 मीटर जो भी अधिक हो

पीछे—भवन ऊंचाई 25% या 4.5 मीटर जो भी अधिक हो.

टीपः—घुमावदार मार्ग की अधिकतम लम्बाई 150 मीटर से अधिक नहीं रहेगी.

एक ओर से बंद गली (कलडीसेक) की अधिकतम लम्बाई 170 मीटर से अधिक नहीं रहेगी. समूह आवास एवं बहुमंजिले भवनों हेतु भूखण्डों की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं रहेगी.

समूह आवासों में उर्ध्वाधर खण्डों एवं बहुमंजिले भवनों के मध्य अधिकतम अन्तर किसी भी दशा में सबसे ऊंचे ब्लॉक (खण्ड) की आधी ऊंचाई से कम नहीं रहेगा.

(स) समूह आवासों के विकास हेतु न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 5000 वर्गमीटर होगा.

(द) समूह आवासों में फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित होगा.

सतना : समूह आवास हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं निर्मित क्षेत्र

8-सा-11

समूह	सकल आवासीय घनता (प्रति हेक्टर आवास)	प्रतिशत में अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	25	25	0.75
2.	50	30	1.00
3.	100 तक	35	1.50
4.	101 एवं 125 के बीच	35	1.75

निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नलिखित को घटाकर की जावेगी.

(अ) मार्गों, गलियों तथा फुटपाथों का परिभ्रमण परिक्षेत्र.

(ब) शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रावधानित क्षेत्र.

(स) टॉट लाटस् को छोड़कर अन्य खुले स्थल.

(द) बहुमजिले भवनों में भूतल या आधार तल, वाहनों के पार्किंग हेतु सुरक्षित रखा जावेगा.

#### 8.54 आर्थिक दृष्टि के कमजोर वर्गों के भकानों हेतु मापदण्ड :

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु अभिन्यास की निवेश अनुज्ञा हेतु निम्न मानदण्ड रहेंगे:—

न्यूनतम भूखण्ड का आकार	45 वर्गमीटर
अधिकतम भूखण्ड का आकार	80 वर्गमीटर
खुला स्थान	8% से 6%
सेवा-सुविधाएं	2% से 4%
पदयात्री मार्ग	3 से 5 मीटर
सायकल मार्ग	5 से 7 मीटर
फुटपाथ	2 से 4 मीटर
पीछे वाली गली	2.0 से 3.0 मीटर

#### 8.55 प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु मानदण्ड :

वाणिज्यिक क्षेत्र के अभिन्यास निम्नानुसार नियंत्रित होंगे:—

सतना : वाणिज्यिक विकास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात

8-सा-12

क्रमांक	स्थान	निर्मित क्षेत्र	भूखण्डों का निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाणिज्यिक केन्द्र	50%	80%	2.00
2.	निवेश इकाई केन्द्र	50%	80%	1.75
3.	खण्ड स्तरीय केन्द्र	50%	80%	1.50
4.	सुविधाजनक बाजार	60%	80%	1.00
5.	थोक बाजार	50%	70%	1.50
6.	गोदाम एवं भण्डार	50%	70%	1.50

टीप:—(1) तहखाना, वाणिज्यिक क्षेत्र, निवेश इकाई केन्द्रों, थोक व्यापार केन्द्रों, गोदाम एवं भंडारण हेतु अनुमोदित किया जावेगा तथा यह फर्शी क्षेत्र अनुपात में नहीं जोड़ा जावेगा.

(2) फर्शी क्षेत्र अनुपात में मेजनाइन तल का 50% क्षेत्र नहीं जोड़ा जावेगा.

(3) फर्शी क्षेत्र अनुपात में बरसाती क्षेत्र नहीं जोड़ा जावेगा.

(4) अन्य मंजिलों पर निर्मित क्षेत्र भूखण्ड के क्षेत्र का 50% से अधिक नहीं रहेगा.

### 8.56 सिनेमा :

सिनेमा हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल, हॉल में बैठक क्षमता, वाहनों के पार्किंग हेतु खुला स्थान, अनुशंगिक दुकानों तथा भवन के आसपास संवातन हेतु व्यवस्था, अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु व्यवस्था आदि से सीधा संबंधित है. सिनेमा हेतु भूखण्ड का आकार, प्रति कुर्सी 2.3 वर्गमीटर के हिसाब से बैठने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये निर्धारित होगा. सिनेमा हेतु भूखण्ड का आकार किसी भी दशा में 1200 वर्गमीटर से कम नहीं रहेगा.

सिनेमा भवन का निर्मित क्षेत्र, भूखण्ड के कुल आकार के 45% से अधिक नहीं होगा. सिनेमा भवन निर्मित करते समय सीमांत खुला क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

सामने वाला सीमान्त खुला क्षेत्र भूखण्ड की स्थिति पर निर्भर होकर यह 10-15 मीटर होगा. दोनों आजू बाजू एवं पीछे का खुला क्षेत्र 4.5 मीटर होगा. सिनेमा भवन के प्रांगण में अनुशंगिक दुकानों हेतु अनुमति इस शर्त के आधीन दी जा सकती है. कि सिनेमा भवन एवं अनुशंगिक दुकानों का कुल निर्मित क्षेत्र, भूखण्ड हेतु अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्र से अधिक न हो. सिनेमा भवन के प्रांगण में कारों, स्कूटरों एवं साईकिलों आदि वाहनों के पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान प्रावधानित करना होगा.

### 8.57 औद्योगिक विकास :

औद्योगिक विकास हेतु स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात निम्नानुसार रहेगा:—

सतना : औद्योगिक विकास हेतु स्वीकार्य, निर्मित क्षेत्र एवं सीमान्त खुले स्थान

क्रमांक	भूखण्ड का आकार	क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात	(क्षेत्र मीटरों में)		आजू बाजू	रिमार्क
					सीमान्त खुले स्थान सामने	पीछे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	10 X 20	200	50%	0.6	3.0	2.0	2.0	अर्द्ध पृथक्कृत
2.	15 X 20	300	50%	0.6	4.0	2.0	2.5	-तदैव-
3.	20 X 20	400	50%	0.6	4.0	3.0	3.0	-तदैव-
4.	20 X 25	500	400 तक 50% शेष क्षेत्र का 30%	0.6	4.0	3.0	3.0	-तदैव-
5.	20 X 30	600	45%	0.6	5.0	3.0	3/3	पृथक्कृत
6.	25 X 40	1000	45%	0.6*	6.0	4.4	4/4	-तदैव-
7.	40 X 50	2000	1000 तक 45% शेष क्षेत्र का 35%	0.75	9.0	5.0	5/5	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	50 X 80	4000	40%	0.75	9.0	5.0	5/5	पृथक्कृत
9.	50 X 100	5000	40%	1.00	9.0	6.0	7/7	
10.	100 X 100	10000	50000 तक 40% शेष क्षेत्र का 30%	1.00	15.0	6.0	7/7	-तदैव-
11.	150 X 200	30000	35%	1.00	15.0	10.0	10/10	-तदैव-
12.	150 X 200	30000	30% या 10500 से अधिक से अधिक जो भी अधिक हो	1.00	15.0	10.0	10/10	-तदैव-

टीप:—एक से अधिक निर्माण होने की दशा में, ऐसे निर्माणों के बीच न्यूनतम दूरी पांच मीटर होगी.

### 8.58 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के मानदण्ड, जो अन्यत्र इस विकास योजना में निर्धारित न हो, निम्नानुसार रहेंगे:—

सतना : सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता,  
निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात ( प्रस्तावित क्षेत्र )

8-सा-14

क्रमांक	विवरण	न्यूनतम आवश्यक भूमि (हेक्टर में)	निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रफल अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाविद्यालय	2.00	12%	0.50
2.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय.	1.25	12%	0.50
3.	प्राथमिक शाला	0.25	15%	0.50
4.	नर्सरी स्कूल	0.15	15%	0.50
5.	अस्पताल	4.00	40%	1.50
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	0.50	40%	1.00
7.	पुलिस थाना	0.75	30%	1.00
8.	अग्नि शामक केन्द्र	1.00	30%	1.00
9.	सार्वजनिक सभा भवन एवं पुस्तकालय.	0.50	30%	1.50
10.	धार्मिक भवन	0.15	30%	1.00
11.	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय.	-	30%	1.50

नोट:—कारों एवं साईकिल स्टेण्ड हेतु आच्छादित गैरेज निर्मिती हेतु 5% अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र दिया जा सकेगा.

## 8.6 मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन :

परिक्षेत्रिक नियमनों के द्वारा हर एक परिक्षेत्र एवं खण्ड में किसी गतिविधि हेतु स्थान निश्चित करने के लिये मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह मार्गदर्शन भवन की ऊंचाई, भवन का आकार, ढांचा, सीमान्त खुले क्षेत्र, भवन का उपयोग आदि बातों के संबंध में होगा। परिक्षेत्रिक नियमन वर्तमान निर्मित क्षेत्र एवं नये विकसित होने वाले क्षेत्र हेतु समान रूप से लागू नहीं किये जा सकते। मध्यवर्ती क्षेत्रों हेतु जो परिक्षेत्रिक नियमन होंगे वह अन्य क्षेत्रों से भिन्न होंगे। मध्यवर्ती क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों हेतु परिक्षेत्रिक नियमन पूर्व में दिये जा चुके हैं तथापि परिक्षेत्रिक एवं विकास संबंधी नियमन जो वर्तमान में लागू होने योग्य हैं, वह मध्यवर्ती क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र हेतु ही प्रयोज्य होंगे।

### 8.6.1 वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात :

वर्तमान आबादी क्षेत्र में भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी:—

25 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का भूखण्ड	100%
25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला भूखण्ड	80%

सारणी क्रमांक 6-सा-2 में मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक मार्ग, वाणिज्यिक सह आवासीय मार्गों की चौड़ाई के संबंध में स्थिति दर्शाई गई है। मध्यवर्ती क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों एवं यातायात निमित्त के पहलू को ध्यान में लेते हुये निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात प्रस्तावित है:—

वाणिज्यिक मार्ग	2.00
वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग	1.75

जहां तक वाणिज्यिक विकास की गहराई का प्रश्न है, वह किसी दशा में जिस मार्ग पर वाणिज्यिक भवन स्थित है, उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 10 मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं रहेगी।

मध्यवर्ती क्षेत्र में, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात की गणना करते समय नवीन विकसित क्षेत्र में मार्ग के मध्य से 45° के कोण से प्रकाश की पहुंच के सिद्धान्त को ढील देते हुये, 60° तक पहुंच स्वीकार्य हो सकेगी।

मध्यप्रदेश शासन  
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974

क्रमांक 904/एफ-1-31/तैंतीस/74.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सतना निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं—

अनुसूची

सतना निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में.—उमरी, करही हरमल्ला, बगहा, शुक्ला, हदबदपुर, मटेहना, धूरडांग, बमुरहा, कैमाकोठार, कैमा उन्मूलन, बठिया खुर्द, बठिया कलां, बैलावृत्त, नैना, बरदाडीह ग्राम (अंशतः).

पूर्व में.—बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, ऊतैली, कटिया, सोनौरा, सेजहटा, बेलहटा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में.—डिलोरा (भाग) सोनवर्षा और धावरी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में.—बघेड़ी, महदेवा, अमोधा-खुर्द, अमोधा कलां, चकबन्दी, गिदुरी, खूथी (अंशतः)

नोट:—बरदाडीह, डिलोरा, धवारी एवं खूथी ग्राम अंशतः सतना नगर पालिका सीमा के अंतर्गत बाकी भूमि निवेश क्षेत्र में लाई गई है.

हस्ता./-

( नवलचन्द जैन )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के अंगीकृत किये जाने संबंधी सूचना  
(म. प्र. राजपत्र भाग 3(1) दिनांक 6-10-1978 में प्रकाशित)

## कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रीवा ( म. प्र. )

सतना निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र एवं रजिस्ट्रों का अंगीकरण:—

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उनकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, सतना कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक 905-एफ/1/31/तैंतीस-74, भोपाल, दिनांक 18 मार्च 1974 द्वारा सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं.

### सतना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में.—उमरी, करहीहरमल्ला, बगहा, शुक्ला, हरबदपुर, मटेहना, धुरडांग, बमुरहा, कैमा-कोठार, कैमा उन्मूलन, बठियाखुर्द, बठियाकलां, बैलाकृत, नैना, बरदाडीह ग्राम (अंशतः)
2. पूर्व में.—बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, उतैली, कटिया, सौनोरा, सेजहटा, बेलहटा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
3. दक्षिण में.—डिलौरा, सोनवर्षा और धवारी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
4. पश्चिम में.—बघेड़ी, महदेवा, अमोधाखुर्द, अमोधाकलां, चकबन्दी, गिदुरी, खूथी, (अंशतः).

**नोट:—**बरदाडीह, डिलौरा, धवारी एवं खूथी, ग्राम अंशतः नगर पालिका सीमा के अंतर्गत बाकी भूमि निवेश क्षेत्र में लाई गई है.

आ. वि. लाल  
संयुक्त संचालक.

मध्य प्रदेश शासन  
**आवास एवं पर्यावरण विभाग**  
( पर्यावरण शाखा )

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 1981

क्र.6567-32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 904/एफ-1-31-32-73, दिनांक 18-3-74, को निरस्त करते हुये, राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत सतना निवेश क्षेत्र का गठन करती है. जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगी.

अनुसूची

**सतना निवेश क्षेत्र की सीमायें**

उत्तर.—बगहा, हदबदपुर, कैमाकोठार, बठिया खुर्द तथा नैना ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व.—नैना, बदखर, नीबीवृत्त, कृपालपुर, बैलावृत्त, कटिया, सेजहटा, तथा बेलहटा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण.—बेलहटा, सोनवर्षा, डिलोरा, धावरी तथा बघेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम.—बघेड़ी, महदेवा, अमोधा-खुर्द, चकबन्दी, गदुरी, करहीहर मल्ला तथा बगहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

( एस. यू. नाथ )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग.

विकास योजना के अनुमोदन संबंधी अधिसूचना  
(म. प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 334 दिनांक 25-4-1991 में प्रकाशित)

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 1991

क्र. एफ- 1(66)-बत्तीस-86.—चूंकि, राज्य शासन ने संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार किये गये सतना निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

और चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 (2) के अधीन प्रस्तुत की गई संचालक की रिपोर्ट पर विचार कर कुछ उपान्तरणों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 19(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सूचना क्रमांक.—

1. क्रमांक 480/434/32-1/88, दिनांक 10-2-1988.
2. क्रमांक 2716/3080/32-1/88, दिनांक 8-9-1988.

द्वारा सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे उपान्तरणों के संबंध में आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये थे;

और चूंकि, राज्य शासन ने उक्त अधिनियम की धारा 19(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया है, तथा ऐसे व्यक्तियों को जो ये चाहते थे कि उन्हें सूना जाय, सुनवाई की है;

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा नीचे दिये गये विवरण अनुसार, उपान्तरणों की पुष्टि की जाती है तथा सतना निवेश क्षेत्र की विकास योजना अनुमोदित की जाती है।

### पुष्टि किये गये उपान्तरणों का विवरण

क्रमांक	ग्राम	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	राज्य शासन का निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- |    |         |   |       |        |
|----|---------|---|-------|--------|
| 1. | कोलगवां | प्रस्तावित एम. आर. 7 के दोनों ओर की भूमि खसरा नं. 26, 28, 31, 32, 287, 330, 341, 343, 345 के अंश भाग एवं खसरा नं. 294, 295, 299 से 302, 305 एवं 332 से 338. | 23.00 | आवासीय |
|----|---------|---|-------|--------|

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	मार्ग से संबंधित	-	-	एम. आर. 9 से एम. आर. 6 को मिलाने वाले एम. आर. 7 के भाग की मार्ग चौड़ाई 30 फीट स्वीकृत की जाती है तथा उक्त से रिक्त हुई भूमि की एम. आर.-7 के दोनों ओर के प्रस्तावित भूमि उपयोग अनुरूप आवासीय वाणिज्यिक एवं उद्यान हेतु स्वीकृत.
3.	सतना मार्ग संबंधित	-	-	वर्तमान स्टेशन मार्ग की चौड़ाई स्थान की उपलब्धता के अनुसार 15 से 18 मीटर स्वीकृत की जाती है. छोटी सब्जी मंडी से पन्नीलाल चौक जाने वाले मार्ग तक चौक की पट्टी (850 फीट X 60 फीट) खसरा नं. 33 के भाग की भूमि का उपयोग वाणिज्यिक के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्वीकृत.
4.	बम्हनगंवा	खसरा नं. 32	1.60	आवासीय
5.	रघुराजनगर	खसरा नं. 214	2.75	आवासीय
6.	कोलगंवा	खसरा नम्बर 592/1क/1, 592/1क/2क एवं 393, 395, 396, 398 के भाग.	19.09	आवासीय
7.	कोलगंवा	खसरा नम्बर 388, 391, 394, 395, 397 से 399 के भाग.	12.00	खसरा नं. 394/1 ख की लगभग 1.68 एकड़ भूमि (जो वर्तमान में नर्सरी उपयोग में है) को नर्सरी उपयोग के लिये स्वीकृत तथा शेष लगभग 10.32 एकड़ भूमि आवासीय हेतु स्वीकृत.
8.	कोलगंवा	खसरा नम्बर 247 का भाग	34.00	कृषि उपज मंडी हेतु स्वीकृति.
9.	कृपालपुर	खसरा नम्बर 247.9	24.00	कृषि उपज मंडी की भूमि आवासीय हेतु अनुमोदित की जाती है. तथा एम. आर. 4 का परिवर्तित एलाइन्मेंट (प्रदर्शित मानचित्रानुसार) स्वीकृत किया जाता है तथा एम. आर. 4 को एम. आर.-6 का बढ़ाना स्वीकृत.
10.	कृपालपुर	खसरा नम्बर 42, 43, 54 एवं 55 का भाग.	11.00	शैक्षणिक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	कृपालपुर नीबी बदखार	खसरा नम्बर 1, 2, 3 के भाग खसरा नम्बर 13, 14 के भाग ग्राम कृपालपुर के खसरा नम्बर 3 से लगी भूमि. खसरा नम्बर 607 एवं 608 के भाग.	22.00 4.00 -	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक.
12.	सोनोरा चक उतेली	खसरा नम्बर 108/2 क/1,2,3	8.52	विद्यालय हेतु अनुमोदित की जाती है किन्तु सिविल एविएशन विभाग से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त होने पर ही विकास कार्य नियमानुसार किया जा सकेगा.
13.	उमरी	खसरा नं. 13, 19, 20, 26, 27, 34, 35, 33, 39, 55, 170, 171 के भाग. खसरा नं. 322, 319, 320, 318, 317, 204, 203, 305 196, 193, 192, 189, 165, 362 के भाग.	3.50 4.50	खण्ड स्तरीय मार्ग निरस्त उक्त से रिक्त हुई भूमि का उपयोग आवासीय हेतु स्वीकृत. खण्ड स्तरीय मार्ग निरस्त उक्त से रिक्त हुई (लगभग) भूमि का उपयोग आवासीय हेतु स्वीकृत.
14.	कोलगंवा	खसरा नम्बर 612/1क 614/1क/1, 614/1ग	3.93 2.97 5.20	तालाब होने से इसे खुल्ला रखने एवं वर्तमान कृषि उपयोग की भूमि को यथावत रखा जाना स्वीकृत.
15.	कोलगंवा	-	-	एम. आर.-4 की चौड़ाई 55 फीट स्वीकृत.

राज्य शासन आगे अधिनियम की धारा 19(4) के अन्तर्गत आदेश देता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और यह भी कि अधिसूचना की एक प्रति अनुमोदित विकास योजना के साथ आम सूचना के रूप में निम्नलिखित स्थानों पर रखी जावें :-

1. कार्यालय, आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा.
2. कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला सतना.
3. कार्यालय, आयुक्त, नगरपालिक निगम, सतना.
4. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना.

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

( डी. एस. राय )

उपसचिव.

## सतना : मौसम संबंधी जानकारी

माह	अधिकतम ताप का औसत (0° सी में)	न्यूनतम ताप का औसत (0°सी में)	वर्षाकाल का योग (मि.मी.)	हवा की गति का औसत (किमी. घंटे)	दिनों में हवा की दिशा की प्रतिशत संख्या								
					उत्तर	उत्तर-पूर्व	पूर्व	दक्षिण-पूर्व	दक्षिण	दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण-पश्चिम	शांत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जनवरी-I	24.7	9.0	35.5	3.7	2	3	13	6	8	9	10	4	45
II					13	10	9	3	1	3	7	27	27
फरवरी-I	27.3	11.1	22.5	4.5	1	3	10	6	9	16	11	5	39
II					12	7	8	4	2	3	14	37	13
मार्च-I	33.1	16.0	13.7	5.5	2	2	8	8	8	17	15	7	33
II					8	3	5	2	2	8	19	45	8
अप्रैल-I	38.4	21.7	10.1	6.2	2	3	6	7	11	21	18	8	24
II					7	3	3	2	1	8	25	47	4
मई-I	42.1	26.9	11.1	7.4	2	3	9	6	9	22	26	10	13
II					9	6	3	1	1	9	24	44	3
जून-I	39.1	28.0	126.0	9.2	2	3	6	5	6	31	34	7	6
II					7	6	7	4	5	20	18	28	5
जुलाई-I	31.9	25.1	356.2	7.6	2	6	9	5	5	31	26	4	12
II					4	8	10	6	5	27	19	10	11
अगस्त-I	30.5	24.5	320.5	6.6	2	5	9	5	6	28	26	6	13
II					4	8	8	3	4	24	25	11	12
सितम्बर-I	31.5	23.8	175.5	5.3	4	4	12	7	5	19	29	7	13
II					6	8	12	4	2	10	20	22	16
अक्टूबर-I	31.8	18.8	47.2	3.3	1	3	9	5	5	18	18	5	26
II					12	11	6	2	1	3	9	26	30
नवम्बर-I	28.9	11.6	12.7	2.7	1	1	3	2	5	16	20	5	47
II					15	5	4	0	0	2	6	33	35
दिसम्बर-I	25.8	8.4	6.2	2.9	1	2	6	5	5	10	15	5	51
II					15	7	4	1	0	1	4	32	36

स्रोत क्षेत्रीय मौसम विभाग, नागपुर.  
सूची I निरीक्षण का समय 08.30 बजे  
II निरीक्षण का समय 17.30 बजे

## सतना : जन्म मृत्यु के आंकड़े

वर्ष	जन्म दर की संख्या	मृत्यु दर की संख्या
(1)	(2)	(3)
1964	884	826
1965	321	151
1966	132	131
1967	2092	891
1968	966	495
1969	1067	578
1970	1705	667
1971	1544	488
1972	1190	432
1973	1375	424
1974	1282	538
1975	1460	624
1976	1453	551
1977	1467	598
1978	1535	565
1979	1573	516

## सतना : मंदगति वाहनों में वृद्धि

वर्ष	तांगा	बैलगाड़ी	साइकिल रिक्शा	ठेला	योग	प्रति 1000 जनसंख्या के लिये वाहनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1960	-	-	-	-	-	-
1965	-	13	-	202	215	-
1970	-	5	-	237	242	-
1971	-	5	106	236	347	6.5
1972	-	4	202	212	418	6.3
1973	-	7	315	260	572	8.7
1974	-	4	106	89	199	2.9
1975	-	3	758	232	993	14.2
1976	-	3	808	248	1059	14.2
1977	-	1	971	263	1235	16.5

## सतना : उच्चतम यातायात प्रहर में यातायात की मात्रा ( प्रतिकार इकाई )

अ.क्र. एवं गणना का क्रमांक	मार्ग खण्ड	उच्चतम यातायात प्रहर		उच्चतम यातायात की मात्रा		योग
		तीव्रगति	मंदगति	तीव्रगति	मंदगति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1.	पन्ना मार्ग तिराहा चित्रकूट मार्ग नाका	15-16	18-19	48	52	100
2.	पन्ना मार्ग तिराहा-धावरी मार्ग जंक्शन	17-18	17-18	162	135	297
3.	धावरी मार्ग जंक्शन-पुरानी कोतवाली	15-16	16-17	146	137	283
4.	धावरी मार्ग जंक्शन-सर्किट हाऊस जंक्शन	11-12	15-16	194	126	320
5.	सर्किट हाऊस जंक्शन-सेमरिया चौराहा	14-15	18-19	281	260	541
6.	सेमरिया चौराहा-सेमरिया मार्ग नाका	11-12	16-11	183	116	399
7.	सेमरिया चौराहा-रीवा मार्ग नाका	18-19	10-11	371	125	496
8.	सेमाना चौराहा-कनवर मार्ग टाकिज तिराहा	18-19	11-12	115	435	
9.	कनवर राम टेलर्स तिराहा-गल्ला मंडी तिराहा	10-11	15-16	160	470	630
10.	गांधी मार्ग-मित्रा उद्योग	18-19	14-15	67	272	339
11.	कनवर राम टेलर्स तिराहा बस स्टेन्ड तिराहा	13-14	18-19	163	666	829
12.	नगर पालिका-हनुमान चौक	12-13	15-16	62	303	365
13.	हास्टिल चौराहा-जयस्तंभ जंक्शन	17-18	17-18	132	595	727
14.	हास्टिल चौराहा-गांधी मार्ग तिराहा	10-11	14-15	102	478	640
15.	हनुमान चौक-बिहारी चौक	12-13	14-15	83	258	341
16.	जय स्तंभ जंक्शन-तिकुरीटोला मार्ग चौराहा	14-15	16-17	72	455	523
17.	गांधी मार्ग गल्ला मंडी	13-14	15-16	110	607	717
18.	बिहारी चौक-बारा हाऊस	18-19	12-13	99	726	825
19.	पुरानी कोतवाली-कातनी नाका	12-13	14-15	352	675	10278
20.	पुरानी कोतवाली-चोटीसाल्या मंडी चौराहा	16-17	10-11	215	1003	121
21.	छोटी सब्जी मण्डी जय स्तंभ जंक्शन	17-18	17-18	103	603	706
22.	जय स्तंभ जंक्शन-बस स्टेन्ड तिराहा	12-13	11-12	249	1632	1881
23.	बस स्टेन्ड सर्किट हाऊस जंक्शन	18-19	11-12	420	1670	2090